Monday, 02 May, 1955

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-9[illegible]
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक-सभा

सोमवार, २ मई, १९५५

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

अगरताला नगरपालिका

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री दशरथ देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि अगरताला नगरपालिका (त्रिपुरा) के सभी सदस्यों ने एक साथ अभी हाल में त्याग पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां, अगरताला नगरपालिका के सभी सदस्यों ने २५ अप्रैल, १९५५ को एक साथ त्यागपत्र दे दिया था ।

(ख) वहां की राज्य सरकार ने बताया है कि अगरताला नगरपालिका के प्रशासन, जो पिछले कुछ दिनों से बड़ा असंतोषजनक है, के सम्बन्ध में आपसी मतभेद के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से बचने के लिए वहां के सभी सदस्यों ने भ्रम पैदा करने के लिये त्यागपत्र दे दिया है ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि सभी सोलह सदस्यों ने सर्व सम्मति से त्यागपत्र दे

दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा सरकार की कुछ कार्यवाहियों द्वारा नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ऐसी शोचनीय बना दी गई थी कि नगरपालिका का कार्य करना एक प्रकार से असंभव हो गया था अतः ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया था ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : वहां की वित्तीय स्थिति इतनी असंतोषजनक नहीं थी जैसी कि सदस्य ने बताई है क्योंकि इसे केन्द्रीय सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि नगरपालिका की सहायतार्थ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धन त्रिपुरा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है । और क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा सरकार ने हाटों तथा बाजारों से जैसे महाराजगंज बाजार इत्यादि से नगरपालिका द्वारा कर इकट्ठा करने को, जो कि नगरपालिका की आय के मुख्य साधन हैं, रोकने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं नहीं समझती कि यह बात सच है ।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों से गैर कांग्रेसी बहुमत नगरपालिका को कांग्रेस बहुमत नगरपालिका में परिवर्तित करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ; और इस प्रयत्न में असफलता मिलने के पश्चात ही वित्तीय सहायता रोकी गई थी ?

राजकुमारी अमृत कौर : ये बातें बिल्कुल गलत हैं । वास्तविक बात तो यह है कि ये सदस्य

आपस में लड़ते रहे हैं और आपसी लड़ाई के परिणामस्वरूप नगरपालिका का प्रशासन तथा इसके अन्य कार्य बहुत ही असंतोषजनक हो गये। पिछले अयुक्त ने, जो दो या तीन महीने पूर्व ही गये हैं, उन्हें कई बार यह चेतावनी दी कि इस मामले में, इसके कार्य यदि ऐसे ही रहे तो नगरपालिका का कार्य उन्हें अपने हाथ में ले लेना पड़ेगा। नये आयुक्त ने सदस्यों को बुलाया और उनसे बातचीत करने के लिये कहा। वस्तुतः उनके आने के लिये समय निश्चित कर दिया गया और मुख्य आयुक्त को आशा थी कि वे आयेंगे। किन्तु निश्चित समय से दो घंटे पूर्व अचानक ही उन्होंने एक साथ पदत्याग करने का निश्चय कर लिया।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच है कि दोषपूर्ण त्रिपुरा म्युनिसिपल अधिनियम में पश्चिमी बंगाल म्युनिसिपल अधिनियम के आधार पर संशोधन करने के लिये नगरपालिका की सर्वसम्मत मांग के निरंतर होते हुए तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार के लगातार दिये गये अनुकूल आश्वासनों के होते हुए भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है ?

राजकुमारी अमृत कौर : इस सम्बन्ध में भी सरकार ने बहुत सी जांच की थी. सरकार को विधि मंत्रालय द्वारा यह परामर्श दिया गया था कि त्रिपुरा जैसी छोटी नगरपालिका पर बंगाल अधिनियम के व्यापक उपबन्धों को लागू करना संभव नहीं है। अब हम त्रिपुरा अधिनियम में संशोधन करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं ताकि म्युनिसिपल प्रशासकों को काम करने के लिये अधिक स्वतन्त्रता मिल जाये।

श्री बोरेन दत्त : क्या यह सच है कि चूंकि यह एक निर्वाचित समिति है, इसलिये त्रिपुरा के आयुक्त इसे नहीं चाहते और इसके अतिक्रमण का प्रयत्न किया गया है और अगरताला नगरपालिका के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध केवल ३ महीने पहिले एक कार्यकारी पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है।

राजकुमारी अमृत कौर : यह भी गलत है। सदस्यों में ये मतभेद कई महीनों तक चलते रहे और मुख्य आयुक्त के परामर्श पर कि वे सब मिलकर कार्य करें, उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली।

श्री बोरेन दत्त : क्या मैं . .

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति. बस इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है।

खण्ड ४—अंक ५४

२ मई, १९५५ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha
(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में)

२ शिलिंग (विदेश में)

142 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
कानपुर में श्रम स्थिति	५४७५—७७
विधेयकों पर राष्पति की अनुमति . . .	५४७७
राज्य सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र--	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार १९५३-५४ के सन्तुलन पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि . . .	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षत प्राक्कलन और १९५५–५६ का आय-व्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति--	
पंचम प्रतिवेदन--उपस्थापित . . .	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति	५४७९
अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग .	५४८०—८२
नागरिकता विधेयक--पुरःस्थापित . . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार	
करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	५४३—५५६८, ५५६८—५६ ४
श्री बी० सी० दास	५४८३—८८
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	५४८८—९२
श्री आल्तेकर	५४९२—९६
श्रीमती सुचेता कृपालानी	५४९६--९९
श्री झुनझुनवाला.	५४९९—५५०५
श्री गाडगील	५५०५—०९
श्री नन्द लाल शर्मा	५५०९—२४
श्रीमती जय श्री.	५५२४—२७
श्रीमती उमा नेहरू	५५२७—३३
पंडित डी० एन० तिवारी	५५३३—४१
श्री वेंकटरामन्	५५४१—४५
श्री मुनिस्वामी	५५४५—४८
पंडित ठाकुरदास भागव	५५४८—६०
श्री कानावडे पाटिल	५५६०—६३
आचार्य कृपालानी	५५६३—६८

कृपया बाकी मैटर कवर के पृष्ठ तीन पर देखिए

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक सभा

सोमवार, २ मई, १९५५

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१०–३५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

कानपुर में श्रम स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, जिसमें कहा गया है कि कपड़ों के कारखानों में वैज्ञानिकन के उपायों के परिणामस्वरूप श्रमिकों की दशा और देश में रोजगारी की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका पता कानपुर की स्थिति से चलता है जहां कपड़े के कारखानों के मजदूरों ने २ मई, १९५५ से आम हड़ताल करने की घोषणा कर दी है। यह आवश्यक है कि भारत सरकार तुरन्त ही उन वैज्ञानिकन के उपायों को रोके जिनसे मजदूरों का कार्य-भार बढ़ जाता है तथा उनकी छंटनी होने लगती है। इस पृष्ठ भूमि में संसद् में कानपुर की उस विषम स्थिति की चर्चा की जानी है जहां ें मजदूर नेता गिरफ्तार

कर लिये गये हैं तथा मिल मालिकों ने वैज्ञानिकन के प्रश्न पर समझौता न करने की दृष्टि से कार्यवाही की है।

मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य जा कुछ कहना चाहते ह, वह उन्होंने कह लिया होगा

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : वहां के मज़दूरों ने भी कहा है कि यदि उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश, कुछ विशेषज्ञों और प्रविधिकों का एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय उन्हें स्वीकार होगा।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : मुझे इस मामले के तथ्य ज्ञात नहीं हैं। किन्तु भारत सरकार तथा राज्य सरकार का यह निश्चय मत है कि वैज्ञानिकन केवल वहीं तक किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये जिससे बेकारी उत्पन्न न हो।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री चाहें तो वे तथ्यों का निश्चय कर बाद में वक्तव्य दे सकते हैं।

पंडित जी० बी० पंत : यह तो राज्य का विषय है

अध्यक्ष महोदय : यहां मुझे तो महत्व की बात यह जान पड़ती है कि वैज्ञानिकन किस प्रकार का हो। अन्य प्रश्नों पर विचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तथ्य सही हों चाहे गलत किन्तु यदि वैज्ञानिकन से सामान्य

[अध्यक्ष महोदय]

श्रम स्थिति में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो इस पर हमें विचार करना आवश्यक है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मेरे माननीय साथी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे कुछ और नहीं जोड़ना है। यह मामला महीनों से चल रहा है और कानपुर के कारखानों में मज़दूरों की संख्या कम करके मशीनों से काम लेना न होकर उस प्रकार के उपायों का लागू करना है जो अब बम्बई और अहमदाबाद के कपड़ों के कारखानों में काम में लाये जा रहे हैं। किन्तु समवर्ती विषय होने के कारण श्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार में आता है और वह इस मामले के विषय में कार्यवाही कर रही है। जहां तक इस घटना विशेष का सम्बन्ध है, सभा को सूचना देने वाला सब से अधिक योग्य व्यक्ति श्रम मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री ही हो सकता है। इस समय मैं जो कुछ कह सकता हूं वह यह है कि सभा में हम जिस विषय पर चर्चा करते रहे हैं वह श्रम की बचत करने वाला वैज्ञानिकन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्रम मंत्री से भी प्रार्थना की जाये कि वे तथ्यों का पता लगा कर इस सभा में वक्तव्य दें।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी ह कि निम्न विधेयकों पर, जो संसद् के सदनों द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये थे, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है :—

(१) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५५

(२) वित्त विधेयक, १९५५।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा २६ अप्रैल, १९५५ को पारित भारत का रक्षित बैंक संशोधन विधेयक १९५५ से राज्य सभा बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है!

पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३-५४ के संतुलन पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं

(१) वर्ष १९५३–५४ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के सन्तुलन पत्र;

(२) वर्ष १९५३–५४ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लाभ हानि लेखे तथा संचालन लेखे;

(३) वर्ष १९५३–५४ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के लेखों पर प्रधान मैनेजर का वित्तीय पुनर्वलोकन ; और

(४) वर्ष १९५३–५४ के लिये दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, आपत्तियों पर प्रधान मैनेजर के उत्तर तथा उस पर प्राधिकार की टिप्पणी।

[पुस्तकालय में रखी हैं। देखिये संख्या एस०—१५६/५५]

दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आय-व्ययक प्राक्कलन

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ की धारा ६१ की उप-धारा (३) के अधीन दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड के १९५४–५५ के पुनरीक्षित प्राक्कलन और वर्ष १९५५–५६ के आयव्ययक प्राक्कलन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी हैं। देखिये संख्या एस०—१५७/५५**]

याचिका समिति

पंचम प्रतिवेदन

श्री रघुरामैया (तेनालि) : मैं याचिका समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित काल के लिये अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये :

(१) श्री सनक बुचिकोटैय्या
(२) श्री ललित नारायण मिश्र
(३) मुल्ला अब्दुल्ला भाई मुल्ला तेहर अली
(४) डा० एन० एम० जयसूर्य
(५) श्री शिवनारायण सिंह महापात्र

सभा उपर्युक्त सिफारिश से सहमत हुई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

श्री एन० एम० लिंगम (कोइम्बटूर) : मैं नियम २१६ के अधीन गृह मंत्री का ध्यान "अखिल भारतीय सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग" इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : मैं निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं :

विभिन्न लोक सेवाओं में भर्ती के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में उत्तरोत्तर हिन्दी को माध्यम बनाने का प्रश्न जिसका सम्बन्ध संघ से है, कुछ समय से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। १९५३ में नागपुर विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव रखा था कि हिन्दी को अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम स्वीकार किया जा सकता है और बाद में पटना और लखनऊ विश्वविद्यालयों ने भी ऐसे ही प्रस्ताव रखे थे। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार ने इन पर विचार किया और एक ज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी एक प्रतिलिपि श्री टी० एस० ए० चेट्टियर के प्रश्न के उत्तर में लोक सभा के पटल पर ५ अप्रैल, १९५५ को रखी गई थी। और इस विषय पर सम्मति जानने के लिये कार्यालय के ज्ञापन के आधार पर राज्य सरकारों एवं अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को उसकी सूचना भेज दी गई थी।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस विषय में वह "अखिल भारतीय सेवा परीक्षा" शीर्षक संकल्प में दिये गये संकल्प के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करेगी जो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ५ अप्रैल, १९५४ को

[पंडित जी० बी० पंत]

पारित किया गया था और जो संक्षेप में इस प्रकार है :

"इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि भारत के संविधान में हिन्दी को अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा स्वीकार कर लिया है और शासकीय कार्यों में इसका प्रयोग किये जाने के लिये १५ वर्ष का समय निश्चित कर दिया है, इस कारण अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की भाषा हिन्दी कर देना वांछनीय होगा । यह कार्यवाही इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े जहां हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा वहीं यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विदेशी भाषाओं विशेषकर अंगरेज़ी का ज्ञान उच्च सेवाओं में आवश्यक रहेगा ।

२. कार्यकारिणी समिति यह सिफारिश करती है कि अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षायें हिन्दी, अंगरेजी तथा अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में होनी चाहियें और इन भाषाओं में से परीक्षा की भाषा का चुनाव करना उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करेगा । अपनी इच्छा से ली गई भाषा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उसे अंगरेजी में भी अलग से उत्तीर्ण होना चाहिये ।

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिन्दी नहीं ली होगी उन्हें अलग से आरम्भ में एक हिन्दी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ।

३. अगली अवस्था हिन्दी, अंगरेज़ी अथवा अन्य किसी प्रादेशिक भाषाओं को, जो स्वेच्छा से ली गई है, परीक्षाओं में जारी रखना होगा, किन्तु जो लोग हिन्दीके अतिरिक्त अन्य कोई भाषा लेंगे उन्हें हिन्दी में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र को लेना होगा, और जो लोग हिन्दी लेंगे उन्हें किसी एक प्रादेशिक भाषा का एक अनिवार्य प्रश्न-पत्र लेना होगा । दोनों ही दशाओं में हिन्दी अथवा अन्य किसी प्रादेशिक भाषा को लेकर इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार के लिये अंगरेजी अनिवार्य विषय के रूप में होगी ।

४. इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी उत्तरोत्तर अंगरेज़ी के स्थान पर आ जायेगी ।"

शीघ्र ही नियुक्त किये जाने वाले हिन्दी आयोग से परामर्श करने के पश्चात् यदि आवश्यक समझा गया तो सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की जायेगी ।

नागरिकता विधेयक

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित जी० बी० पंत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

हिन्दू विवाह विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम हिन्दू विवाह विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। अब इसके लिये नियत किये गये समय में से केवल छः घंटे और ४५ मिनट शेष रह गये हैं।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : यह विधेयक क्रांति उत्पन्न करने वाला न होकर प्रतिक्रिया और सुधार में समझौता कराने वाला है। फिर भी मेरे हिन्दू महासभा के मित्रों का कहना है कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो बड़ा गजब हो जायेगा। ऐसा कह कर वे हिन्दुत्व का हित नहीं कर रहे ह। हिन्दू धर्म में समयानुसार परिवर्तन करने की बड़ी क्षमता रही है और उसी के परिणाम-स्वरूप आज वह टिका हुआ है।

जब भारत परतन्त्र हुआ था तो कुछ लोगों ने हिन्दू धर्म को इतना जकड़ दिया कि उसकी सारी प्रगति रुक गई। पुरातन-वादिता सामाजिक अवनति की द्योतक है। उन्होंने बदलते हुए समय और परिस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण ऐसे पुरातनपंथी लोग ही हिन्दुत्व का अधिक अहित कर रहे हैं।

श्री पाटस्कर ने यह बड़ी खूबी से सिद्ध कर दिया कि प्राचीन हिन्दू विधि जैसी कोई चीज नहीं है। विभिन्न शास्त्र हैं तथा विभिन्न कालों में उन्हीं शास्त्रों का भिन्न भिन्न प्रकार से निर्वचन किया गया है। इसके अति-रिक्त रूढिगत विधि भी है।

इसके पश्चात् न्यायालयों का निर्णय आता है। अंगरेजी विधि न्यायालयों ने कभी कभी शास्त्र सम्बन्धी विधियों में परिवर्तन कर उन्हें हिन्दू विधि का नाम दे दिया। अंगरेजों द्वारा निर्वचन की गई विधियों के अनुसार ही आज हिन्दुओं का जीवन क्रम चल रहा है। हिन्दू विधि कभी स्थायी नहीं रही है और यदि संसद् इसमें कोई परिवर्तन करता भी है तो वह अच्छाई के लिये ही होगा, क्योंकि हमें उन विधियों में परिवर्तन करना ही है जो स्पष्ट रूप से अनुचित हैं।

इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि हम शास्त्रों का उल्लेख न करके वरन् निर्णय करने में इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय अच्छ हैं अथवा बुरे, समाज के लिये उपयुक्त सिद्ध होंगे अथवा नहीं।

पुरातनवादिता के पोषक एकपत्नी-वाद प्रायः आपत्ति नहीं करते जिसके अपवाद श्री देशपांडे और श्री आर० के० चौधरी हैं। अन्य लोग इस पर प्रत्यक्षतः आपत्ति तो नहीं करते किन्तु उनका कहना है कि हिन्दू समाज

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

[श्री बी० सी० दास]

में वास्तव में बहुपत्नीत्व प्रथा है ही नहीं इस कारण इस प्रकार का उपबन्ध इस विधेयक में नहीं होना चाहिये । मेरा उत्तर यह है कि विधेयक में इसकी व्यवस्था करने पर, आपको क्यों आपत्ति है । यदि इस समय समाज यह अनुभव करता है कि बहुपत्नीत्ववाद बुरा अथवा अनावश्यक है, तो उसकी प्रतिच्छाया हमारे सामाजिक विधियों में दिखाई पड़नी चाहिये । इस पर आपको आपत्ति क्यों होती है ? इसलिये किसी को भी अपनी पत्नी की ओर से असन्तुष्टि नहीं होनी चाहिये भले ही वह अपंग अथवा रोगिणी हो ।

किन्तु मैं पूछता हूं कि जिस परिवार का आदमी शराबी है, अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है तथा जहां हमेशा क्लेश रहता है, क्या हम उस परिवार को बच्चों के पालन पोषण के लिये एक आदर्श परिवार मान सकते हैं ?

उन लोगों का यह भी कहना है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, अतः यह नहीं टूटना चाहिए । किन्तु जिस घर में हमेशा घृणा ही घृणा हो और पति पत्नि में परस्पर कोई प्रेम न हो, तो उनको एक साथ रहने के लिये बाध्य करना अन्याय करना है ।

विवाह एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर दो प्राणियों के जीवन की यात्रा है । किन्तु यदि वे साथ साथ नहीं रहना चाहते और यदि दोनों के मार्ग भिन्न हैं, दोनों के उद्देश्य भिन्न हैं, तो फिर दोनों को साथ रख कर उनके जीवन को दुःखपूर्ण क्यों बनाया जाये ?

यह बात बड़ी आश्चर्यजनक है कि कभी कभी हमारे मित्र सोचते हैं कि नारी को विवाह-विच्छेद का अधिकार देना ही विवाह-विच्छेद का कारण है । किन्तु मैंने देखा है कि अमरीका और कनाडा जैसे देशों में भी विवाह-विच्छेद के मामले बहुत कम हुये हैं । विवाह-विच्छेद के लिये वस्तुतः सामाजिक दशायें ही उत्तरदायी हैं । बम्बई, सौराष्ट्र और मद्रास में विवाह-विच्छेद का अधिकार मिला हुआ है, किन्तु हम देखते हैं कि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं । अतः विवाह-विच्छेद के अधिकार देने को विवाह-विच्छेद का कारण बताना या उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है ।

हम देखते हैं कि विवाह-विच्छेद के अधिकतर मामले धनी वर्गों में ही होते हैं, जिनका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता और जो कि दिन रात आमोद प्रमोद में ही डूबे रहना चाहते हैं । विवाह-विच्छेद का अधिकार देने से स्त्री पुरुष के स्तर पर आयेगी और वह पुरुष की केवल दासी बन कर ही नहीं रहेगी ।

विवाह के पश्चात् स्त्री पुरुष परस्पर अनेक बन्धनों में पड़ जाते हैं । केवल विवाह-विच्छेद का अधिकार देने से ही विवाह-विच्छेद नहीं हो जायेगा, जैसा कि हिन्दू महासभाई सोचते हैं । यदि वे समझते हैं कि हिन्दू विवाह-एक पवित्र और प्रेमपूर्ण बन्धन है, तो विवाह विच्छेद विधि के बनाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । वस्तुतः ये लोग स्वयं ही अपनी विवाह पद्धति में विश्वास नहीं रखते, अन्यथा वे कभी इतना नहीं डरते । आजकल यह कानून है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मार डालता है, तो उसको फांसी की सजा दी जायेगी । यदि आप अपनी पत्नी को मार डालें, तो वह कानून आप पर लागू हो जायेगा । फिर भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं । आप इस कानून को केवल इसलिये मानते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि मनुष्यों के प्राणों की रक्षा आवश्यक है । इसी प्रकार मैं यह कहता हूं कि विवाह-विच्छेद की विधि किसी प्रकार

भी स्त्री और पुरुष के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करती। इससे स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर के जीवन साथी बन जाते हैं। जब तक दोनों में प्रेम बना रहेगा, दोनों साथ साथ रहेंगे, और समाज के कल्याण में सहयोग देंगे।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दू संहिता सम्बन्धी अखिल भारतीय अभिसमय के अध्यक्ष, डा० राधा विनोद पाल ने बताया कि विवाह-विच्छेद विधि के पारित होने से स्त्रियों का जीवन अधिक दुःखदायी हो जायेगा। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने बताया कि पुरुष अपनी पत्नियों को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचायेंगे, ताकि इस प्रकार से उन्हें अपनी पत्नियों से छुटकारा मिल जाये। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी अवस्था में उन्हें विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्धों को और भी अधिक उदार बनाने के लिये कहना चाहिए था। ये लोग, जो कि अपने आपको हिन्दू धर्म के पोषक समझते हैं, भारत की उन्नति में बाधा स्वरूप हैं। हम जानते हैं, जबकि सती प्रथा समाप्त की गई और विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित की गई, तो इन लोगों ने बड़ा ही विरोध किया और बताया कि इनसे हिन्दू धर्म ही समाप्त हो जायेगा। क्या हिन्दू धर्म इतना निर्जीव है कि यह नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बन सकता ?

हमने अपने नियति टिप्पण में यह इच्छा की है कि कुछ उपबन्धों को उदार बना दिया जाये, और कुछ दोषों को दूर कर दिया जाये। जब खण्डशः चर्चा होगी, तो हम अपने संशोधन पेश करेंगे और सभा को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे ठीक हैं और उनको स्वीकार कर लेना चाहिए।

मैं सभा का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। समानता के आधार पर स्त्री से निर्वाह व्यय मांगने की बात उठायी गई है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री जाति को कुछ विशेषाधिकार मिलने चाहिएं, क्योंकि उस पर सहस्त्रों वर्षों से अन्याय होता आया है और पुरुष के समान स्तर पर लाने के लिये ऐसा करना परमावश्यक है। हम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों के साथ भी हमने ऐसा किया है।

यदि आप चाहते हैं कि वर्तमान हिन्दू समाज उत्तम बने, और उसका जीवन सुखपूर्ण बने तो हमें समय की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए और इस अन्याय को दूर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण १५ मिनट में ही समाप्त कर दें, ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : इस विधेयक पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सम्बन्ध एक ऐसे सामाजिक मामले से है, जिसका हमारे बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ता है। मैं इस विधेयक को इस रूप में नहीं लेती कि इससे स्त्रियों को पूर्ण समानता मिल जायेगी, क्योंकि जहां तक समानता का सवाल है, बिना आर्थिक समानता के और बिना शिक्षा के वास्तविक समानता असम्भव है। मैं तो इस विधेयक को समाज सुधार सम्बन्धी विधानों की ही कोटि में लेती हूं। हम इस विधेयक का केवल इस लिये समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे वह बुरी प्रथा समाप्त हो जायेगी, जो स्त्री जाति को बड़ी दुःखदायी सिद्ध होती है।

मैंने हिन्दू महासभा के अपने मित्रों के भाषण सुने हैं। मैं श्री वी० जी० देशपांडे को बताना चाहती हूं कि शिक्षा से स्त्रियों के चरित्र खराब नहीं होते, अपितु शिक्षित होने पर वे कठिनाइयों का अच्छी तरह मुकाबला कर सकती हैं और पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकती हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

श्री एन० सी० चटर्जी बहुधा यह कहते हैं कि यह विधान जनता के सहमति बिना प्रस्तुत किया गया है। किन्तु मैं कहती हूं कि लोगों को इस विधेयक के बारे में ठीक टीक नहीं बताया जाता। स्वयं श्री एन० सी० चटर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही हिन्दू संहिता के बारे में बड़ा गलत प्रचार किया गया। मुझे विश्वास है कि यदि लोगों को इस विधेयक के खण्डों के बारे में ठीक टीक बताया जाये, तो उनमें से ९० प्रतिशत लोग इसका समर्थन करेंगे। मैंने अक्सर यह कहा है जो लोग सबसे अधिक धर्म की बात करते हैं, वे ही सबसे अधिक अधार्मिक होते हैं, जबकि अन्य कुछ न कुछ अवश्य सामाजिक नियमों का पालन करते हैं।

मैं इस विधेयक के दो महत्वपूर्ण खण्डों के सम्बन्ध में ही कुछ शब्द कहना चाहती हूं। पहला प्रश्न 'निर्वाह व्यय' का है। मैंने पहले ही बताया है कि मैं इस विधेयक को इस रूप में नहीं लेती कि इससे स्त्रियों को पुरुष के समान होने का अवसर मिलेगा, यद्यपि संविधान में भी यह प्रत्याभूति दी गई है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जायेगा। हम देखते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता। अपने सचिवालय में ही यह नियम पारित किये गये हैं कि विवाह के पश्चात् यदि स्त्री ठीक काम नहीं कर पाती तो उसको विवाह के आधार पर नौकरी से हटा दिया जायेगा।

हम अपने देश में देखते हैं कि अधिकाश स्त्रियां अशिक्षित हैं और अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हैं। मैं यह नहीं कहती कि प्रत्येक अपनी जीविका कमाने में लग जाये, किन्तु उसमें जीविका उपार्जन की योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

तृतीय, हमारे समाज में उत्तराधिकार की समान विधि नहीं है। प्रवर समिति में मैंने कहा था कि हमको उत्तराधिकार के समान अधिकार दिये जायें और हम निर्वाह व्यय देने को तैयार हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, मैं नहीं चाहती कि यह खण्ड इस विधेयक में रहे।

दूसरी बात मैं दाम्पत्य अधिकारों से सम्बन्धित खण्ड के बारे में कहना चाहती हूं। मैं इसका वैधानिक रूप से विरोध नहीं करना चाहती। हमारे वकील मित्रों ने बताया है कि दाम्पत्य अधिकार उस प्रकार से लागू नहीं हो सकते जैसा कि भूतकाल में होता था। तथापि, मैं समझती हूं कि यह प्राचीन समय की क्रूरता की निशानी है। जब दो व्यक्तियों का एक साथ रहना असम्भव है तो न्यायालय को ऐसा निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है कि उनको एक साथ रहना पड़ेगा। न्यायालय उसको लागू करने में समर्थ है अथवा नहीं, यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि दोनों के परस्पर विरोध को दूर करने की अधिक से अधिक कोशिश की जाये, ताकि बच्चों का जीवन नष्ट न हो किन्तु मैं दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिये इस खण्ड के रखने के पक्ष में नहीं हूं। मैं अनुभव करती हूं कि यह खण्ड निकाल दिया जाये। श्रीमती जयश्री ने बताया कि कांग्रेस दल इस खण्ड को केवल इसलिये रखना चाहता है, क्योंकि इससे पति और पत्नी दोनों में मेल कराने में सहायता मिलेगी। किन्तु मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से मेल स्थापित किया जाये। इसके बजाय तो मैं यह चाहती हूं कि यदि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें न्यायिक प्रथक्करण का अधिकार दे दिया जाये, मेरी समझ में यह अधिक अच्छा होगा।

मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहती हूं। यह बड़ा ज़रूरी है कि हम आज से ही बच्चों को औरस मानने लगेंगे। माता पिता के

पापों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मुझे हर्ष है कि शून्य एवं निर्रथक विवादों के सम्बन्ध में हमने इसको स्पष्ट कर दिया है और विधेयक में इस सम्बन्ध में जो कुछ जोड़ा गया है उसका मैं स्वागत करती हूं। किन्तु एक विभेद रखा गया है। सम्पत्ति पर उनका उत्तराधिकार औरस बच्चों के समान नहीं रखा गया है। मेरा कहना यह है कि माता पिता को कुछ भी दण्ड दिया जाये, किन्तु बच्चों को किसी प्रकार का भी नुकसान न हो।

अन्त में मैं हिन्दू महासभा और हिन्दू संहिता विरोधी समिति द्वारा दिये गये छोटी छोटी पुस्तिकाओं के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। एक पुस्तिका का शीर्षक 'हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी स्थिति' है। इस पुस्तिका में बताया गया है कि बम्बई में तीन साल में विवाह-विच्छेद के १४० मामले आये। उनमें से ९६ मामलों पर आज्ञप्तियां दी गईं। इनमें से ५० प्रतिशत मामलों को पूर्व से ही रूढ़िगत विवाह-विच्छेद का अधिकार था। इसके अलावा उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह कही गई थी कि कुछ मामले बड़े जटिल मालूम पड़ते थे।

श्री राधा विनोद पाल ने हिन्दू संहिता विरोधी सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये अपने भाषण में यह बताया कि मानव स्वभाव ही रूढ़िवादी है, अतः इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हमें नहीं लाने चाहिएं।

हिन्दू समाज में केवल कुछ वर्गों के लोगों में ही विवाद विच्छेद की प्रथा प्रचलित नहीं है।

यदि उन सब वर्गों और जातियों को ध्यान में रखा जाय जिन्हें पहले से ही विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त है, और यदि बम्बई, सौराष्ट्र मद्रास इत्यादि ऐसे राज्यों को भी ध्यान में रखा जाय जहां इस प्रकार की विधियां पहले से लागू हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम यह एक बहुत साधारण सा विधान बना रहे हैं जो सभी हिन्दुओं पर लाग् होगा।

श्रेष्ठ जातियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि वे लोग वास्तव में श्रेष्ठ हैं तो उन्हें घबराने की क्या आवश्यकता है ? सभी पुरुष तथा स्त्रियां सुखमय, शान्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। स्त्रियां यह नहीं चाहतीं कि उन्हें देवीजी कहकर सम्बोधित किया जाए, किन्तु यह अवश्य चाहती हैं कि उनके साथ मनुष्यों वाला व्यवहार किया जाय। उन्हें प्यार की अपेक्षा अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त पुरुषों को आत्म विश्वास की आवश्यकता है। इसी प्रकार उन्हें स्त्रियों में भी विश्वास होना चाहिए। बहुत कम ऐसे मामले होंगे जिनमें विवाह-विच्छेद तक बात जाएगी।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : सनातन धर्मियों ने शोर मचा रखा है कि हमारे वेदों पर हाथ मत डालिये, हमारे मनु, याज्ञवल्क्य और पाराशर के सिद्धान्तों को मत छेड़िये। संस्कारों की दुहाई दी जा रही है। किन्तु इन लोगों में बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान है और जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। उपनयन और समावर्तन दो बड़े महत्वपूर्ण संस्कार हैं, किन्तु बहुत कम लोग हैं जो इनका पालन करते हैं।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए]

नतिष्ठति तुयः पूर्वानोपास्ते यश्च पश्चिमाम्
सशूद्र वद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मण : ॥

अर्थात् जो व्यक्ति प्रातः अथवा सायं सन्ध्या नहीं करता वह शूद्र है।

व्यवसायों के बारे में मनु ने लिखा है :

सेवाश्ववृत्ति राख्याता तांच यत्नेन वर्जयेत्।

अर्थात प्रशासन की सेवा कुत्ते के जीवन के समान है।

[श्री आल्तेकर]

किन्तु अब इसे बदल कर यूं कर दिया गया है :

सेवा सुवृत्तिराख्याता तच्च यत्नेन साधयेत् ॥

अर्थात् सेवा ही सर्वश्रेष्ठ आजीविका का साधन है और इसकी प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए ।

यह काम हैं जो यह सनातन धर्मावलम्बी कर रहे हैं । यदि मनु और याज्ञवल्क्य संसार में आ जाएं तो सम्भवतः ऐसे हिन्दुओं को हिन्दू न समझें । ये लोग ऐसे हैं कि जिसका आदर करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते, और जिसका अनुसरण करते हैं, उसका आदर नहीं करते । तो इस प्रकार से उनके कथन और आचरण में आकाश पाताल का अन्तर है ।

वास्तव में, बात यह है कि आज के इस बदलते हुए युग में हमारे धार्मिक संस्कार और रीति रिवाज सब कुछ बदल गए हैं । जिस प्रकार से हम पहले यज्ञ और पूजा करते थे, उस प्रकार से हम आज नहीं करते हैं ।

हमारे वेद, शास्त्र और स्मृतियां क्या हैं ? वे हमारे धर्म ग्रन्थ हैं । परन्तु ये सभी ग्रन्थ एक ही दिन में नहीं रचे गए थे । इनमें समय समय पर परिवर्तन और विकास होता रहा है । जब जब भी परिवर्तनों की आवश्यकत का अनुभव किया गया इनमें परिवर्तन किए गए हैं ।

अपस्थम्ब धर्म सूत्र में स्पष्टतया लिखा है कि सभी धर्म सम्बन्धी रीति रिवाज परम्परागत हैं, और समय समय पर इनकी रचना की गयी थी ।

इसी प्रकार से स्मृति शब्द बताता है कि स्मृतियां पहले लिखित रूप में नहीं थीं, केवल मौखिक रूप में थीं । उन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया था ।

स्मृतियों में भी ऐसे प्रसंग आये हैं :

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षद्धर्भस्य लक्षणम् ।।
——मनु

हम देखते हैं कि समय के अनुकूल स्मृतियों में भी अन्तर मिलता है ।

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतया गौतमाः स्मृताः
द्वापरे शखलिखितौ कलौ पाराशरः स्मृतः ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक स्मृतियां समय-समय पर जनता के कल्याण तथा सुविधा को ध्यान में रख कर बदलती रहीं ।

ब्रिटिश शासन काल में भी विविध प्रकार की व्याख्यायें और टिप्पणियां भी की गयीं, फिर भी न्यायाधीश वांछित विधि की व्यवस्था नहीं कर पाये । संयुक्त परिवार के किसी एक व्यक्ति द्वारा सम्पत्ति खरीदने और अस्पृश्यता के सम्बन्ध में भी विधान की आवश्यकता थी, अन्यथा न्यायाधीश के निर्णय से यह कार्य सम्भव नहीं था ।

मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग दत्तक विधि के सम्बन्ध में पूछते हैं कि इसमें सुधार कब किया जायेगा । मैं चाहता हूं कि शीघ्र ही ऐसे आवश्यक सुधार किये जायें । यदि एक उत्तर पुत्र सम्पत्ति पर कब्जा कर लेता है और गोद लेने वाली स्त्री को घर से निकाल देता है तो उसे जीवन-निर्वाह व्यय के लिए मुकदमा चलाना पड़ता है । और विधि में संशोधन किये बिना ऐसे मामले में कोई उचित न्याय नहीं किया जा सकता ।

पहले सगोत्र विवाह की अनुमति नहीं थी । पर आज की अवस्था में जब हम सम्पूण देश में फैले हुये हैं, सगोत्र विवाह होने में कोई हानि नहीं है ।

फिर सजाति विवाह प्रश्न है । इसके सम्बन्ध में १९४९ की विधि है । पर मैं, उन

लोगों को जो सजाति विवाह के विरोधी हैं, यह बताना चाहता हूं कि एक स्मृतिकार ने लिखा है :

न विशेषोस्ति वर्णानामाक्षै ब्राह्ममिदं जगत् ।
ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णता गतम् ॥

पहले जातियों का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर होता था पर अब जाति पर ऐसा कोई विशेष व्यवसाय करने का बन्धन नहीं है अतः ऐसी पुरानी प्रथाओं को मानना आवश्यक नहीं है। सनातन धर्म मतावलम्बियों ने स्वयं अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, का समर्थन किया है, क्योंकि वह समय की बदली परिस्थितियों के साथ इन प्रथाओं में भी परिवर्तन चाहते हैं।

मनु ने भी एक पत्नीत्व का समर्थन किया है, पर कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह आदर्श अव्यवाहारिक बन जाता है, अतः विधवा पुनर्विवाह और विवाह-विच्छेद भी आवश्यक हैं । मनु ने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया है पर नारद तथा प्रजापति, आदि स्मृतिकारों ने विशेष परिस्थितियों में इसकी सुविधा दी है। पति की मृत्यु हो जाने पर या ऐसी दशा में जब उसका पती न हो पुनर्विवाह की अनमति थी।

विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में भी मनु ने अनुमति नहीं दी है । विवाह एक पवित्र बन्धन माना गया था । पर कुछ परिस्थितियों में अपवाद भी होते थे । यदि कोई व्यक्ति संस्कारों का ठीक पालन नहीं करता , जब अग्नि के समक्ष की गयी यह प्रतिज्ञा :

"धर्मेच अर्थेच कामेच त्वाम् नातिचरामि ।"

का पालन नहीं करता तो विवाह की पवित्रता कहां शेष रह जाती है । ऐसी परिस्थितियों में नारद और शुक्र ने पुनर्विवाह की छूट दी है । या कुछ विशेष तथा कड़ी परिस्थितियों में ही ऐसा होना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्रुतियों में भी ऐसी व्यवस्था है। अतः हमें भी मानवीय दृष्टिकोण से लोगों की इन समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख कर यह विधेयक रखा गया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । मुझे दुःख है कि हिन्दू कोड विधेयक का इस सभा ने विरोध किया था और अब हम उसे खण्डशः ले रहे हैं । इस विधेयक से उन लोगों पर प्रतिक्रिया हुई है जो रूढ़िवादी हैं, और उन लोगों पर जो इस विधेयक को महिलाओं का एक बहुत बड़ा अधिकार-पत्र मानते हैं।

विधेयक का विरोध करने वालों ने यह कहा कि सब के लिए एक रूप यवहार संहिता होनी चाहिए । ठीक भी है किस के लिए समान संहिता होनी चाहिए, पर हमें सरकार की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना है। आशा है, भविष्य में शीघ्र ही हम एक रूप व्यवहार संहिता बना सकें।

श्री चटर्जी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधि हैं। यदि जनता हमारी बात को नहीं मानती, तो हमें उसे समझाना और मनाना चाहिए क्योंकि यदि जनता उसे नहीं मानेगी तो विधि का उपयोग क्या होगा ?

पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हिन्दू समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गये हैं जिनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते और समय की आवश्यकता के अनुसार हमें विधि बनानी चाहिए ।

हम जानते हैं कि भारत में सामाजिक विचार बहुपत्नीत्व व द्विपत्नीत्व के विरुद्ध है। पर अब इसका प्रचार कम हो गया है । अब भी केवल रूढ़िवादी लोग ही ऐसा नहीं करते हैं बल्कि पढ़े लिखे फैशनेबुल लोग भी ऐसा करते हैं । इससे हिन्दू धर्म तथा हिन्दू विधि का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

विवाह,विच्छेद का प्रश्न लीजिए । हम सभी इसका विरोध करते हैं । हमें भी हिन्दू धर्म, हिन्दू समाज से प्रेम है । लोग कहते हैं कि विवाह-विच्छेद से हिन्दू समाज नष्ट हो जायेगा । पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मैं आप को ऐसे उदाहरण दूंगी कि अनेक हिन्दुओं ने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार करके विवाह-विच्छेद की सुविधा ली, क्योंकि हिन्दू धर्म में उनको यह सुविधा नहीं थी । मैं कहती हूं कि हमें उनको यह सुविधा हिन्दू धर्म में ही देनी चाहिए ताकि वह धर्म परिवर्तन न करें क्योंकि यह धर्म परिवर्तन हिन्दू धर्म के लिए लज्जा तथा हानि की बात है । अतः विवाह-विच्छेद का अधिकार दिया जाना चाहिए ।

हिन्दू समाज में ही ८० प्रतिशत लोगों में विवाह-विच्छेद प्रचलित है, अतः यह शोर यह विरोध केवल २० प्रतिशत उच्चवर्ण के हिन्दुओं द्वारा होता है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया कि जिन राज्यों में विवाह-विच्छेद प्रथा प्रचलित है, वहां भी विच्छेद के केवल कुछ थोड़े ही मामले होते हैं । अतः मेरा अभिप्राय यह है कि हिन्दू समाज का संगठन ऐसा है कि हम लोग विवाह-विच्छेद के लिए कभी इच्छुक ही नहीं होते । अतः यदि विवाह-विच्छेद विधेयक पारित भी कर दिया जायेगा तो भी इससे हिन्दू समाज के नष्ट होने का कोई भय नहीं है । पर आवश्यक मामलों में जहां विवाह-विच्छेद परम आवश्यक हो, उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए । इससे समाज की दशा सुधरेगी ही ।

इस विधेयक के कुछ समर्थकों ने इसे महिलाओं के लिए बहुत बड़ा वरदान बताया पर महिलाओं का वास्तविक भला तो तभी होगा जब वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी । एक महिला सदस्य ने कहा कि हिन्दू विवाहित स्त्री को वेश्या का जीवन बिताना पड़ता है । यह बहुत लज्जाजनक बात है । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था । हिन्दू समाज में हिन्दू महिला का स्थान सहधर्मिणी का है । वह अपने पति की साथी, सहयोगी और मित्र होती है । उसकी स्थिति यह है । कुछ सदस्याओं ने यह कहा है कि नारी सदैव से दलित एवं शोषित रही है । यदि यह बात सच है, तो क्या आधुनिक काल में नारी ने जो आशातीत प्रगति की है कभी सम्भव हो सकती थी ? स्वतन्त्रता संग्राम में हमने सदैव अपने भाइयों तथा पतियों के कंधों से कंधा मिला कर संग्राम लड़ा है । राजपूत काल में भी नारियों ने युद्ध से भयभीत हुए पतियों के लिये द्वार बन्द कर दिये । क्या तथाकथित प्रताड़ित तथा शोषित नारी के लिये यह सब सम्भव हो सकता था ? मैं माननीय बहिनों से यह निवेदन करूंगी कि वे ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण एवं कपोल कल्पित बातें न करें, तथा दायित्व की भावना से काम लें ।

यह विधेयक केवल उन अभागी नारियों के लिये व्यवस्था करता है जो पति द्वारा परित्यक्त, आश्रयविहीन अथवा निरीह हैं । हम उन शोकाकुल बहिनों को सहायता देना चाहते हैं ।

मैं इस विधेयक का सामान्य रूप से समर्थन करती हूं, किन्तु इसमें कतिपय दोष भी हैं जिन्हें श्रीमती रेणु चक्रवर्ती बता चुकी हैं । अतः मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहती । केवल मैं पुरजोर निवेदन करती हूं कि मैं दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन सम्बन्धी खंड ९ की विरोधिनी हूं । यह प्रगति, के साथ मानो प्रतिगामी व्यवस्था करता है, क्योंकि न्यायालय की आज्ञप्ति पर स्त्री को ऐसे पुरुष के साथ रहने के लिये बाध्य होना पड़ेगा जिसके साथ वह नहीं रहना चाहती है । इस व्यवस्था को विधेयक से हटा दिया जाय ।

मैं स्त्री के द्वारा पति को निर्वाह-व्यय दिये जाने से सम्बन्धित खंड २४ तथा २५ की

भी विरोधिनी हूं। इस प्रकार की समानता से कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा होता यदि प्रवर समिति की सभी महिला सदस्यायें इस सम्बन्ध में एक विभति-टिप्पण प्रस्तुत करतीं। यह संसार के समक्ष एक अपवाद है। प्रगति के नाम पर हम एसी अभद्र बातें कर रहे हैं जैसे कि समाज में कभी भी सम्भव नहीं हो सकता सकता है

स्त्री का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है तब भला वह निर्वाह-व्यय कहां से देगी। सहस्त्रों में कदाचित् ही एक स्त्री निर्वाह-यय देने में समर्थ हो। उक्त दोनों खंडों का उचित रीति से संशोधन किया जाय। निर्वाह-व्यय का दायित्व केवल पुरुष पर ही रखा जाय स्त्री पर नहीं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): जो बिल आज यहां पर आया है उसके सम्बन्ध में, जैसा कि हमारी बहन रेणु चक्रवर्ती न बताया, दोनों तरफ से बहुत गर्मी की बातें कही गईं। इसी प्रकार से हमारी बहन सुचेता-कृपलानी ने भी कहा है कि इस चीज़ के ऊपर गर्मी से बात नहीं होनी चाहिये। हमारे पाटस्कर साहब इतनी दूर चले गये कि जब मनुजी ने स्त्रियों को बेचने के लिये कहा है तो डाइवोर्स का सवाल ही कहाँ उठता है। उनकी यह बात सुन कर मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। शास्त्र में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और उनका इन्टर्प्रेटेशन भी हर प्रकार से हो सकता है हर आदमी उसका अर्थ अपने दृष्टिकोण से कर लेता है। मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा है। हमारे आल्तेकर साहब ने भी यहां बहुत से स्तोत्र और मंत्र सुनाय। मैं उन सब मंत्रों को समझता भी था फिर भी मैंने उनको सुनने से इंकार किया क्योंकि दूसरा अर्थ भी उसका हो सकता है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): उनका प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री झुनझुनवाला: क्योंकि शास्त्र का अर्थ एक बन्धु एक प्रकार से बतलाते हैं और पाटस्कर साहब, जो ईक्वली पंडित हैं, उसका अर्थ दूसरी तरह से बतलाते हैं और आल्तेकर साहब तीसरी तरह बतलाते हैं। हमारे हाईकोर्ट तक में जो बातें जाती हैं उनको मैं ठीक ठीक नहीं समझें पाता हूं क्योंकि हमारे हाईकोर्ट के चीफ जज छागले साहब **रीलिजन** का एक अर्थ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसी का दूसरा अर्थ हो जाता है और प्रीवी कौंसिल के जज साहब तीसरा ही अर्थ कर देते हैं। अतएव सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को एक लेमैन की तरह यह समझना चाहिये कि असल में बात क्या है, कौनसी बात से समाज का लाभ है लोगों की आवश्यकता क्या है और हम कोई ऐसा काम न करें जो कि मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य के विरुद्ध जाये। हर एक मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को ले कर चलता है। हमारे एक भाई न कहा कि हमारा उद्देश्य यह है कि हम खूब आनन्द भोगें ठीक है। उनके लिय इस प्रकार की सामग्री जुटा दी जाय कि उनके आनन्द भोगने में कोई भी बाधा न आवे। हमको इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है परन्त यदि कोई यह चाहता है कि यदि इस संसार में इंद्रिय भोग के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज़ है जिसको कि मनुष्य को प्राप्त करना है, तो उसके रास्ते में रोडे अटकाये जायें, यह ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह डाइवोर्स की बात आई है, और जो यह बिल आया है, तथा जो टुकड़े-टुकड़े करके बिल लिये गये हैं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जैसा कि मेरी बहन रेणुचक्रवर्ती और सुचेता कृपलानी ने कहा कि जब तक कि स्त्रियों की माली हालत नहीं सुधर जाती तब तक उन को डाइवोर्स आदि से कोई लाभ नहीं है।

[श्री झुनझुनवाला]

अतएव इस बिल में मैं डाइवोर्स का समर्थन इस लिये नहीं कर सकता कि जब तक कि स्त्रियों को पूरा अधिकार न मिल जाय, इसको नहीं आना चाहिये। वह अधिकार किस तरह से मिल जाय, उसमें हो सकता है कि मेरा मतभेद हो, जिस प्रकार से स्त्रियां चाहती हैं उस तरह से वह अधिकार न देकर हम उनको दूसरी तरह से पूरी एकानमिक इन्डेपेन्डेन्स देना चाहते हैं कि उसी हालत में यह डाइवोर्स का क्लाज यहां रक्खा जाय। परन्तु यदि वर्तमान रूप से डाइवोर्स का क्लाज इस बिल के अन्दर रक्खा जायेगा तो उसका सबसे बुरा असर हमारी बहनों पर ही होगा, यह मेरी राय है।

जो मोनोगमी की बात है उसको तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ही अच्छी है। हमारे हिन्दुओं के बीच में पोलीगैमी की जो प्रथा है और जिस तरह से उसका कुव्यवहार किया गया है, वह हिन्दू धर्म के ऊपर एक बड़ा भारी कलंक है। जहां यह मोनोगैमी की चीज़ रक्खी गई है उसी के साथ डाइवोर्स रक्खा गया है तो डाइवोर्स तो मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूं। एक मेरे भाई जो पोलीगैमी के पक्ष में थे उन से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप आखिर डाइवोर्स के विरुद्ध क्यों हैं। जब आप मोनोगैमी प्रीच करते हैं तो क्या आप पुरुष को यह अधिकार नहीं देंगे कि वह एक स्त्री को दोड़ कर दूसरी शादी कर ले? तब मैंने उससे कहा कि आपके दिल के भीतर जो बात थी, इंद्रियों का आनन्द भोगने की, वह तो मैं समझ गया, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। विवाह का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। मैंने आप से यह बात कही कि जो जिस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसको सब प्रकार का मौका दिया जाय, अतएव जो आदमी यह समझता है कि इस संसार में केवल इंद्रिय भोग ही करना है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उद्देश्य प्राप्त करना नहीं है, उसके रास्ते में रोड़े न अटकाये जायें हमारी जो सैक्रामेन्टल मैरेज है वह एक धार्मिक मैरेज है। जैसा मैंने कहा कि मैं बहन रेणु चक्रवर्ती से पूर्णतः सहमत हूं कि मनुष्य को अपने में कान्फिडेन्स रखना चाहिये, पर साथ में स्त्रियों को भी अपने में कान्फिडेन्स रखना चाहिये और डाइवोर्स से नहीं डरना चाहिये। मैं चाहता हूं कि वैसे ही पुरुष और महिलायें हमारे देश में हों, और वैसे ही पुरुष और महिलायें हमारे देश में होंगे कि डाइवोर्स हो या कोई भी चीज़ हो उससे किसी को डर नहीं होगा। परन्तु। कह कर ही मैं रुक जाता हूं, इस सम्बन्ध में मैं विशेष और कहना आवश्यक नहीं समझता हूं।

अब मैं दूसरी बात कहता हूं। विवाह करने के समय हम प्रतिज्ञा करते हैं। सेक्रामेन्टल मैरेज में हम एक प्रतिज्ञा करते हैं तो आप इस हिन्दू मैरेज में डाइवोर्स का क्लाज़ क्यों रख देते हैं। डाइवोर्स का क्लाज़ रखने के लिये स्पेशल मैरेज ऐक्ट है। आप इस में इसको रख दीजिये कि हां, साहब, यदि आप को डाइवोर्स करना हो, जो मनुष्य या स्त्री डाइवोर्स चाहती है वह पहले से ही अपने मत को प्रकट कर दे और अपनी मैरेज को स्पैशल मैरेज ऐक्ट के अनुसार कर ले, उसके बाद डाइवोर्स करें, यह क्लाज़ इस में आप रख दें।

जो प्रतिज्ञा हम सैक्रामेंटल मैरिज के अनुसार करते हैं, उसके विषय में हमारे गाडगील साहब कहेंगे कि वह कंट्रैक्ट इल्लीगल है, क्योंकि कोई भी कंट्रैक्ट जन्म भर के लिए बाइंडिंग नहीं हो सकता है। सम्भव है कि उनके कानूनी मत से वह प्रतिज्ञा—वह कंट्रैक्ट—इल्लीगल हो, परन्तु धार्मिक और नैतिक मत से इल्लीगल नहीं है, वह बाइंडिंग है। हम वह वह प्रतिज्ञा करते हैं और वह जन्म भर हमारे मन में कायम रहती है। वह प्रतिज्ञा भी इस बात

के मार्ग में एक बड़ी भारी रोकने वाली चीज़ होती है कि हम किसी एक मामूली झगड़े के कारण ही एक दूसरे को छोड़ दें। सरकार का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वह कोई ऐसा प्राविज़न लाए जिससे मनुष्य के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़े। यदि सरकार और गाडगील साहब इत्यादि व्यक्ति यह समझते हैं कि सैक्रामेंटल मैरिज करना खराब है, तो वह यह पास कर दें कि सेक्रामेंटल मैरिज को मैरिज नहीं समझा जायगा। वह बात तो समझ में आ सकती है, परन्तु एक प्रतिज्ञा करके उसको भंग करवाना हमारी समझ में नहीं आता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक स्त्रियों को पूरी तरह से इकानोमिक इंडिपेंडेंस न मिल जाय, तब तक डाइवोर्स के सम्बन्ध में जो भी बातें होंगी, वे हमारी बहिनों के विरुद्ध ही जायेंगी।

रेस्टीच्यूशन आफ कॉज्यूगल राइट्स के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी खराब क्लाज़ इस बिल में डाल दी गई है। इसका मतलब यह है कि लोग कोर्ट में जाकर कहें कि हमारे कानज्यूगल राइट्स रेस्टोर होने चाहिएं। पहले भी जब इस पर यह बहुत बहस हुई थी, तो मैंने इसका विरोध किया था। मालूम नहीं कि यह क्लाज़ फिर क्यों रख दी गई है।

मेरे ख्याल में यह क्लाज़ इस बिल में नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने लेजिटमेसी आफ चिल्ड्रन के बारे में कहा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बतलाया है कि जब कोई आदमी पाप करे, बुरा काम करे—मालम नहीं उन्होंने "पाप" शब्द को क्यों हटा लिया—तो उसका प्रभाव उसके बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने भी कहा है कि वह डाइवोर्स के विरुद्ध हैं, परन्तु यह एक नैसेसरी ईविल है। जब यह एक ईविल ही है, तो फिर इसको क्यों रखा गया है? और अगर यह नैसेसरी ईविल ह, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज ऐक्ट है। जो डाइवोर्स करना चाहता है, वह उससे फायदा उठा सकता है। परन्तु इस तरह हमारे सैक्रामेंटल मैरिज पर धब्बा न लगाया जाय। डाइवोर्स के बारे में जो क्लाज़िज़ हैं, उनमें बताया गया है कि किस तरह से कोर्ट में जाकर प्रूव करना होगा। लेकिन जिस देश में, अर्थात् अमरीका में अस्सी परसेंट डाइवोर्स होते हैं, वहां यह सब तमाशे होते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझ को बतलाया कि वहां पर लोग सुबह ही कागज़ पढ़ते हैं कि किसने किस तरह डाइवोर्स किया। इस देश के हमारे युवकों और युवतियों का ध्यान भी जब डाइवोर्स पास हो जाएगा इन बातों की तरफ जाने लगेगा और वे भी तरह तरह के उपाय निकालते रहते हैं। इन क्लाज़िज़ में कोर्ट में जाने की जो रेस्ट्रिक्शन्ज़ लगाई गई हैं, वे ठीक नहीं हैं। इसका फैसला तो पंचों के द्वारा हो जाना चाहिए, जैसा कि हमारे देहात में बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। यदि आपको डाइवोर्स रखना ही है तो उसी प्रकार से रखना चाहिए। हमारे मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी पढ़ कर सुना रहे थे कि रशा में डाइवोर्स की ऐसी ही व्यवस्था है—पंच लोग बैठ जाते हैं और बहुत जल्दी निबटारा कर देते हैं। हमारे बिल में भी उस प्रकार की बात रखनी चाहिए। हम को ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिसमें डाइवोर्स भी एक ऐसी चीज़ बन जाय कि वकीलों की आमदनी खूब बढ़े और युवक-युवतियां रोज़ तमाशा देखें और उसका अनुकरण करें। श्री हीरेन मुकर्जी ने जिस क्लाज़ का ज़िक्र किया था, मैं उसको देखूंगा और क्लाज़ वाई-क्लाज़ कनसिडरेशन के समय अमेंडमेंट लाऊंगा। इस सम्बन्ध में इस प्रकार का सीधा तरीका होना चाहिए कि डाइवोर्स के लिए कोर्ट में तमाशा न हो और उसमें विशेष समय नहीं लगना चाहिए। जब क्लाज़िज़ के ऊपर डिस्कशन होगी, उस समय म इस सम्बन्ध में और कुछ कहूंगा।

[श्री झुनझुनवाला]

पाटस्कर साहब ने प्रोजेनी के बारे में कहा है। यह तो एक वैज्ञानिक चीज़ है और इस के बारे में कई रायें हो सकती हैं और हैं कि डाइवोर्स से वर्णसंकर सन्तान होती है। हमें देखना है कि डाइवोर्स का इस पर क्या असर पड़ेगा। कोई विशेषज्ञ ही बतला सकते हैं—मैं नहीं बतला सकता हूं। आज हम गायों और बैलों की नस्ल सुधारने चले हैं। हमारे एक मिनिस्टर सहाब ने एक बार कहा कि हमें गाय की नस्ल सुधारनी है, क्योंकि उससे हमें अच्छी अच्छी गायें प्राप्त हो सकती हैं। मैंने उनसे हास्य में कहा कि मिनिस्टर, एम० पी० और एम० एल० एज़० की नस्ल भी सुधारने का रास्ता निकालिए, ताकि वे हमारे ऊपर अच्छी तरह से शासन कर सकें।

इतना कह कर मैं प्रार्थना करूंगा कि आप यह वायलेंस हिन्दू सैक्रामेंटल मैरिज पर न करें और की हुई प्रतिज्ञा को भंग न करवायें। अगर इस बिल में डाइवोर्स का क्लाज़ रखना ही है, तो स्पेशल मैरिज ऐक्ट के प्रकार का क्लाज़ इसमें भी रख दें।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : अन्य लोगों की आलोचनायें तो समझ में आ सकती हैं, किन्तु मैं हिन्दू महासभा वालों की विरोधी आलोचना समझने में नितांत असमर्थ रहा हूं। क्योंकि यह पहिला प्रयास है जो कि असंगठित हिन्दू समाज को संगठित करने के लिये किया जा रहा है।

संसद के अधिकार को चुनौती दी गई है, किन्तु १८३९ से जबकि सती अधिनियम पारित हुआ था तब से पिछले वर्ष तक जबकि कई सामाजिक अधिनियम पारित किये गये, संसद् का अधिकार निश्चित रूप से स्थिर हो चुका है।

श्री चटर्जी ने कहा कि इस विधेयक को कांग्रेस घोषणापत्र में स्थान नहीं दिया गया। अपने सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि चुनाव के समय मैंने खुले आम कहा था कि मैं हिन्दू कोड विधेयक का समर्थक हूं, यदि आप विरोधी हों तो मेरा विरोध कर सकते हैं।

हिन्दू विधि के सुधार के सम्बन्ध में हमारा प्रांत बहुत प्रगतिशील रहा है। वहां धर्म निर्णय मंडल नामक एक संस्था थी। महामहोपाध्याय श्री काणे, आल्तेकर तथा स्वर्गीय केवलानन्द सरस्वती, प्रभृति विद्वान् इसके सदस्य थे। उन्होंने कई संकल्प पारित किये तथा यह सिद्ध किया कि हिन्दू कोड हिन्दू विधि के अनुकूल है।

संहिताबद्ध करने का उद्देश्य स्पष्ट है कि विधि सरल निश्चित तथा एकरूप हो जाय। ओपनहेम ने भी यही कहा है कि संहिताबद्ध करने से कई विरोधाभासी बातों का उन्मूलन हो जाता है तथा देश के जीवन में एक रूप भावना का विकास होता है। हिन्दू विजनों का भी यही मत था। याज्ञवल्क्य नीलकंठ ने अपनी टीकायें इसी लिये की थीं। यदि मनु का लेख अटल होता तो वे टीकायें न करते। धर्म में आपद्धर्म नामक एक सिद्धांत भी है जो कि परिस्थिति के अनकूल धर्म की व्याख्या करने को कहता है।

जॉली ने हिन्दू लॉ एण्ड कस्टम ['हिन्दू विधि तथा नीतियां'] में लिखा है कि व्याख्याकारों ने वे बहुत सी बातें छोड़ दीं जो कि निर्रथक हो चुकी थीं। इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम समय के उपयुक्त विधि निर्मित करें।

इस विधेयक में कोई मौलिक व्यवस्था नहीं की गई है प्रत्युत मूल व्यवस्थाओं के ही क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है। उदाहरणार्थ उत्तराधिकार तथा विवाह-पद्धति में अब तक कोई एकरूपता नहीं थी। विधि में सरलता निश्चितता तथा एकरूपता होनी चाहिये

यह प्रयास इसी सम्बन्ध में है। केवल यह बात छोड़ कर कि अब हिन्दू विवाह एक पत्नीत्व होंगे इस विधेयक में कोई नई बात नहीं है। यह भी बम्बई में इसके पूर्व ही लागू है जिसे अब सम्पूर्ण भारत में विस्तृत किया जा रहा है। हम श्री रामचन्द्र जी के आदर्श का अनुकरण कर रहे हैं।

धर्म का अर्थ है प्रजा को संगठित करने वाली शक्ति। जब हमें शक्ति का ह्रास होता ज्ञात हो तो धर्मवेत्ताओं को चाहिये कि वे धर्म के सिद्धांतों में फेर बदल करें।

इस विधेयक से, विवाह के संस्कारिक पक्ष को स्पर्श नहीं किया गया है, केवल द्विपत्नीत्व विवाहों को रोकने की व्यवस्था की गई है जो बहुत अनिवार्य है। आज सामाजिक व्यवस्था बदल गई है। समाज में वह प्राचीन अनुशासन नहीं रहा है। इन्हीं बातों के कारण उक्त कार्यवाही करनी पड़ी है।

विवाह-विच्छेद का उपबन्ध भी नया नहीं है। मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों के श्लोकों से यह स्पष्ट है कि विशेष परिस्थितियों में स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है।

वास्तव में धर्म ने वयक्तिक भावनाओं का आदर किया है। हमारे पूर्वजों ने मानव की दुर्बलताओं तथा महानताओं को समझा था तथा स्मृतियों में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने उसी के अनुरूप नियम बनाये थे।

जहां तक विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है, हमें उन बातों से निश्चय नहीं करना है जो कि विरोधी पक्ष के लोगों ने कही हैं। विधेयक का प्रमुख लक्ष्य यही रहा है कि विवाह स्थायी रहे, केवल अपवाद स्वरूप ही विवाह-विच्छेद तथा पुर्नविवाह की आज्ञा दी गई है।

बम्बई विवाह-विच्छेद अधिनियम, १९४७ में पारित हुआ, तब से १९५२ तक विवाह-विच्छेद के केवल १५० अभ्यावेदन प्राप्त हुए; जिनमें से केवल ९४ मामलों में विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी गई। उनमें से भी ३० मामलों में अभियोग का आधार यह था कि पति ने दुबारा विवाह कर लिया था।

मद्रास विवाह-विच्छेद अधिनियम १९४९ में पारित हुआ था। सारे राज्य में २५,००० मामले हुए। लगभग एक हजार मामलो पति ने दोबारा व्याह कर लिया था। मद्रा के कई जिलों, उत्तरी अर्काट, करनूल, कोयम्बेटूर इत्यादि में उक्त विधेयक का नाममात्र प्रभाव पड़ा है।

इन दोनों राज्यों में विवाह-विच्छेद विधेयक के लागू होने से यह सिद्ध होता है कि लोगों ने इस व्यवस्था का कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया। इसलिये यह कहना निराधार है कि इस विधेयक के पारित होते ही लोग विवाह-विच्छेद के लिये दौड़ पड़ेंगे। ऐसे लोग हिंदू मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं। मुख्य धारणा यही रखी गई है कि पति-पत्नी जन्म-जन्मान्तर तक एक दूसरे के प्रति सच्चे रह।

यह भी कहा गया है कि विशेष विवाह विधेयक के पारित होने पर इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रही है। इस विधेयक का उद्देश्य ही यह है कि एक निश्चित विधि होनी चाहिये। सब बातें न्यायाधीशों के हाथों में ही न छोड़ी जायं क्योंकि इससे निर्णयों में विभिन्नता होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाय जिससे कि उसका लागू करना सरल निश्चित तथा एकरूप हो। मेरा यह निश्चित मत है कि इस विधेयक में विवाह के सांस्कारिक रूप के विरुद्ध कुछ नहीं है, जिससे कि हिन्दू धर्म पर आक्षेप हो। इसके विपरीत यह विधि को परिस्थितियों एवं समय के अनुरूप बनाने का एक प्रयत्न है। जो लोग ऐसा करने से रोकते हैं वे समाज की प्रगति में बाधा डालते हैं। यदि आप विधि को समाज की वर्तमान नैतिकता के तुल्य

[श्री गाडगील]

परिवर्तित नहीं करते तो इससे देश तथा समाज की प्रगति अवरुद्ध होगी, इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री नंद लाल शर्मा :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मलाय
दैव्यै चतस्यै जनकात्मजाये
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्राके मरुद्गषेम्यः ॥

आज हिन्दू जाति के इतिहास में यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है.....

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस मध्य) : विप्लव हो जायगा।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : ठीक कह रहे हैं।

श्री नंद लाल शर्मा : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे विषय के ऊपर किसी प्रकार का हलकापन, मज़ाक य ठिठोली करना उचित नहीं है। दूसरे के प्राणों के साथ खेलना और स्वयं उसको हंसी और मज़ाक में उड़ाते जाना यह उचित नहीं है। मैं उसका अपनी बुद्धि और मत के अनुसार विश्लेषण करूंग। जो कार्य औरंगजेब तक नहीं कर पाया, आज हमारे श्री पाटस्कर ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार ने भी नहीं किया स्वयं अपने भाषण में पाटस्कर साहब ने स्वीकार किया है कि मुसलमान राजाओं ने हमारे विवाह और हमारी धार्मिक प्रथाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। हो सकता है कि तलवार के द्वारा यज्ञोपवीत उड़ाये हों और दूसरे अत्याचार किये हों परन्तु क़ानून हमारा बदल डाला हो, ऐसा नहीं किया और आगे चल कर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी यह चीज़ नहीं की और यह चीज़ कि उन्होंने हिन्दुओं के कानून में तबदीली नहीं की यह प्रिवी कौंसिल के जजमेंट्स और दूसरे जजों के जजमेंट्स से साबित होती है.....

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : प्रिवी कौंसिल ने किया है।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि मैं जो कह रहा हूं, उसे आप शान्ति से सुनें। उन्होंने हर परिस्थिति में याज्ञवलक्य, मनु, वेदों के पंडितों को बुला कर और उनके अर्थों को जान कर उन्हीं के अनुसार अपने जजमेंट्स देने का परिश्रम किया है। दोनों अवस्थाओं में हिन्दू के लिये उसके धर्म ग्रन्थों, उसके वेदादि शास्त्रों का प्रमाण उसके जीवन के लिये विद्यमान था। जो कार्य मुसलमानों के शासन काल में नहीं हो सका और जो अंग्रेजी राज्य में नहीं हो सका, वह काम आज होने जा रहा है और स्वतन्त्र भारत के अन्दर हिन्दुओं से उनका पर्सनल् लॉ और उनके धर्म ग्रन्थ छीने जा रहे हैं। ऐसा आपने ओवर राइडिंग क्लाज़ में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसके बाद कोई टैक्सट आफ़ ला उसकी कोई इंटरप्रेटेशन, कोई आचार, प्रमाणिक नहीं होगा।

हमारे कम्युनिस्ट बंधुओं ने स विधेयक का स्वागत किया है। मैं देख रहा था कि यह क्यों स्वागत कर रहे हैं? आज कांग्रेस के साथ इनको गले मिलने का समय कैसे मिल गया, परन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उनका आदर्शवाद, उनका जन्म और उनका बीज, यह एक विदेशी संस्कृति के अन्दर है. उनका आदर्शवाद, भी विदेशी संस्कृति से है और कम्युनिज्म सम्भवतः तब तक नहीं पनप सकता जब तक कि देश की अपनी संस्कृति और सभ्यता नष्ट न हो जाय। इसलिये परिश्रम किया जा रहा है। मुझे तो वह डाइन याद आती थी जिसने एक बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और मां भी रोने लगी कि यह लड़का हमारा है और वह डाइन भी रोने लगी कि नही लड़का मेरा है। दोनों जज के सामने बुलाई गईं। जज ने पूछा, "अरे, यह

किस का लड़का है ?" दोनों ने कहा कि "मेरा है", और दोनों ही रोने लगीं । अन्ततोगत्वा बीच के कुछ लोगों से परामर्श किया गया, लेकिन वह भी कैसे कहें ? दोनों ही रोती हैं, दोनों कहती हैं कि लड़का मेरा है । अन्त में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने यह परामर्श दिया कि "अच्छा लड़के को काट कर के आधा आधा दोनों को बांट दिया जाय ।" जिस समय लड़के को काटने का प्रश्न आया तो असली मां बेचारी आगे बढ़ी और कहने लगी कि, "नहीं, ऐसा करो । लड़का दूसरी स्त्री को दे दो, उसी लड़का है, मेरा नहीं है ।" लेकिन वह डाइन लड़के को कटवाने के लिये तैयार हो गई । मैं तो यह परिस्थिति देख रहा हूं कि वह लोग जो हिन्दू धर्म में विश्वास नहीं करते, हिन्दू शास्त्रों की ओर जिन का ध्यान नहीं है, वह "डेविल कोटिंग स्क्रप्चर्स" के ढंग से हमारे सामने वेद शास्त्र को कोट किया करते हैं । मैं एक बात को निश्चित रूप से कहता हूं । आप यदि वेद शास्त्र के बल पर सिद्ध करने की चेष्टा करें अपनी बात को तो मैं अंगद और हनुमान की तरह से कह दूंगा, जैसे उन्होंने कहा था :

"फिरहिं राम सीता मैं हारी"

अगर आप वेद शास्त्र द्वारा इसको सिद्ध करने की शक्ति रखते हैं तो मैं स्वयम् सनातन धर्म क्षेत्र के सब बन्धुओं की ओर से कहता हूं कि आपके सामने मैं हार जाऊंगा । पर आप वेद शास्त्र के बल पर इस को पहले सिद्ध तो कीजिये ।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि यदि आप यह सिद्ध करें कि जनता इसका समर्थन करती है तो मैं कहता हूं कि हमारी बहन सुभद्रा जोशी ने जो भाषण दिया और हमारे पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा जो कि हिन्दू सिविलाइज़ेशन को पेट्रिफाइड और डैड कहने में अभिमान समझते हैं, और खुद भी जिन को ब्राह्मण होने का, पंडित होने का, तथा अपने बाप दादों का बड़ा अभिमान है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह लोग गांधी ग्रांउन्ड में या राम लीला ग्राउंड में आ कर अपनी बात कहें । गवर्नमेन्ट की बेयोनेट्स की छाया में आ कर, या दफा १४४ की आड़ लेकर वह यहां पर कहते हैं कि "देअर इज़ नो अपोजीशन" । अपोजीशन का पता आप को बाहर चलेगा । आप एक शेर को पिंजरे में बन्द कर के उसको तोप और बन्दूक दिखाते हैं तथा अपने को वीर कहते हैं । आप मैदान में, यहां से बाहर निकल कर बतावें कि आपके अन्दर कितनी बहादुरी है, आप में कितना दम है, बुद्धि है । आप यहां पर बेयोनेटस के नीचे बैठ कर कहते हैं कि हिन्दू समाज रूढ़िवान है और यहां पर अपनी वीरता बघारते हैं । मैं फिर आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे यह विश्वास है कि अभी भी कांग्रेस के अन्दर कितने ही सदस्य हैं जो संस्कृति और सभ्यता का आदर करते हैं, जो अपने धर्म को चाहते हैं इसलिये जब तक आप की ओर से कोई चाबुक इश्यू नहीं होता, जब तक आप कोई अवरोध नहीं करते अपने बेचारे बन्धुओं पर तब तक मैं समझता हूं कि उनको अपनी अन्तरात्मा के अनुसार मत देने का अधिकार है । जिस दिन आप ने अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया, चाबुक चलाना शरू कर दिया तो हम यही देखेंगे कि हमारे भारत के भाग्य विधाता अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध बोल जायेंगे । मैं आशा करता हूं.....

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में यह तो सदस्यों की स्वतन्त्रता तथा न्याय निष्ठा पर एक आक्षेप है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): सामाजिक मामलों में कोई व्हिप जारी नहीं किये जाते हैं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मेरे पास पर्चे मौजूद है ।

पंडित के० सं० शर्मा: किसी की स्वतन्त्रता तथा न्यायप्रियता पर आक्षेप करना संसदीय प्रक्रिया के प्रतिकूल है। मेरा निवेदन है कि यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यथा सम्भव आक्षेप करने की चेष्टा न करें। सामान्यतः प्रत्येक सदस्य से प्रत्येक मामले में अपने स्वतन्त्र विवेक से काम करने की आशा की जाती है। परन्तु यदि कोई यह कहता है कि वह सब व्हिप से बाध्य हैं, समूचे दल ने कोई निर्णय किया है, और वह निर्णय गलत है, इत्यादि तो मैं उसे नियम विरुद्ध नहीं कहूंगा। कुछ न कुछ सत्य दोनों ओर प्रतीत होता है।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं और आभार मानता हूं कि आखिर में उन्होंने इस में न्याय का प्रदर्शन किया।

दूसरे स्वयम् पाटस्कर साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्राचीन हिन्दू कोड १२–१३ वर्ष केन्द्रीय विधान सभा के सामने रहा। आपको भी पता है, आप सत्य से बचने की चेष्टा न करें १२–१३ वर्ष तक निरन्तर जो विधेयक स्वीकार नहीं हो सका उसका कारण सिवा जनता के विरोध के और कोई दूसरा नहीं था। आप की हिन्दू लॉ कमेटी ने, जिस का नाम राव कमेटी था, सारे भारत में घूम कर कैसी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के अन्दर डा० डी० एन० मित्तर की स्पष्ट राय है कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों से, आचार्यों से, जजों से बात की और उनके निर्णयों को देख कर मेरा निश्चित मत है कि हिन्दू जनता और "हिन्दू समाज चूंकि चाहता नहीं है, इसलिये इसको जबर्दस्ती उसके सिर पर न लादा जाय। मैं लोकतंत्र के नाम से अपील करूंगा कि आप केवल इस बात को ध्यान में रखें कि यदि जनता नहीं चाहती है, और जनता के विचारों के विरुद्ध" यह शब्द हैं डा० अम्बेदकर के, उन्होंने यह शब्द इस हिन्दू कोड बिल को पिछली बार उपस्थित करते हुए कहे थे कि मैं जानता हूं भारतवर्ष की मैजारिटी जनता इसके विरुद्ध है, किन्तु हमें जनता के कल्याण की भावना से जबर्दस्ती उन के सिर पर इसको लादेंगे।

श्री पाटस्कर : ऐसा कौन कहता है ?

श्री नन्द लाल शर्मा : इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह कहना है कि हिन्दू लॉ समय समय पर बदलता रहा है। ऋषि मुनि बदलते रहे और स्मृतियां भी उसी प्रकार बदलती रहीं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हिन्दू धर्म शास्त्रों के स्वरूप को न जानने का ही फल यह हो सकता है कि ऐसा कहा जाय। श्री आल्तेकर प्राचीन प्रथाओं और सन्तों को भले ही गाली दे लें : अहरह संध्या मुपासीत मैं पूछता हूं कि इसका हिन्दू विवाह से क्या सम्बन्ध है। मान लीजिये कि मैं कोई बात करता हूं या नहीं, लेकिन मैं यह कहने बैठूं कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता, तो वह केवल अप्रासंगिक ही तो होगा :

"मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी"

मेरे भी मुख है, मैं भी बोल सकता हूं, कि यश हाथ की हरड़ होती है लेकिन इस प्रकार कोटेशन पर कोटेशन देने से और प्रसंग से क्या सम्बन्ध है ? दूसरे बेचारे लोग यह समझते हैं कि चूंकि संस्कृत में श्लोक बोल रहे हैं तो अवश्य ही कुछ महत्व की बात कहते होंगे। हमारे चार वेद हैं जो धर्म शास्त्र के मूल स्रोत माने गये हैं जिसके लिये बार बार कहा गया :

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः

हमारे पाटस्कर साहब ने भी कहा 'स्वस्यच प्रियमात्मनः' सब ठीक है और इसी

पर अड़ गये किन्तु यदि किसी कामी पुरुष की दुर्दृष्ट किसी स्त्री पर हो जाय और वह कह दे "स्वस्यच प्रियमात्मनः" मेरा कांशिएन्स कहता है कि मैं इस स्त्री पर अत्याचार करूं, तो क्या वह सम्भव होगा ? इसलिये यह नियम है कि "स्वस्यच प्रियमात्मनः" सदाचार के आधीन है. आचार विचार जो है वह स्मृति के आधीन है और स्मृतियां वेदों के आधीन हैं। इसलिये वेदों के लिये कहा गया :

"वेदो ऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम"

अर्थात् धर्म का मूलभूत स्रोत जो है वह वेद है और वह अपौरुषेय है अर्थात् किसी मनुष्य की भांति "कारण पाटव प्रमाद भ्रम विपुलिप्सा" आदि दोषों से संश्लिष्ट नहीं है। 'त्रिकालावाध्य सत्य' इसी को कहते हैं। जो कास्मोपालिटन ट्रथ है, दैट इज़ ट्रथ फॉर ऑल टाइम्ज़। इसलिये यह कह देना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है कि मनु तो आज से दो हज़ार वर्ष पहले हो गया, उसको आज की परिस्थितियों का क्या पता था ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैक्सपीयर आज से दो तीन सौ वर्ष पहले हो गया, परन्तु मेरे मित्र आज भी उसकी सेइंग्ज़ को कोट करते हैं और इसी तरह शैले और वर्डसवर्थ को कोट करते हैं। न्यूटन के लाज़ को तो कास्मोपालिटन और यूनिवर्सल ट्रथ ताते हैं, परन्तु मनु के लाज़ के विषय में कहते हैं कि वे तो दो हज़ार वर्ष पुराने हो गये हैं। यह बात सर्वथा गलत और अनुचित है।

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे

अर्थात् गोशाला में, रास्ते चलते हुए और भस्म में पेशाब न करें, यह मनु ने कहा है। ऐसा करना भी नहीं चाहिये, लेकिन अगर आप फिर भी करें, तो मैं आपको गोस्वामी के अतिरिक्त और क्या कह सकता हूं। आप किसी बात का केवल इसलिये विरोध या निन्दा करें कि वह आज से दो हज़ार वर्ष पहले कही गई है, तो वह बहुत अनुचित है।

इसके बाद में कहना चाहता हूं कि स्मृतियों और श्रुतियों में कहीं कहीं पर जो विरोधाभास दीखता है, जो भेद दीखता है, वह केवल विरोधाभास है--विरोध नहीं है और उसके इन्टरप्रेटेशन की एक विशेष विधि है। जैसे

उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति

अर्थात् सूर्य उदय पर होम करना चाहिये और उससे पहले करना चाहिये। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों और परिस्थितियों के लिये यह भेद किया गया है। यह केवल मात्र एक विरोधाभास है।

मैं अब शीघ्र ही विधेयक के विषय पर आता हूं। पहली बात तो यह है कि जहां पर स्मृति श्रुति के अनुकूल होगी, वहां ही वह मान्य समझी जायगी और जहां स्मृति और श्रुति का विरोध होगा, वहां श्रुति ही मान्य होगी। इसलिये मनु के विरुद्ध स्मृतियों को अर्थ लगाना उचित नहीं है। संहिता ने कहा है :--

यद्वैमनुरवदत्तद्भेषजम्

अर्थात् संसार के समस्त दुखों के लिये एकमात्र औषधि मनु ने बताई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्मृतियों में मौलिक तत्वों में कहां मतभेद है ?

'सवर्णाभ्यः सवर्णासु जायन्ते हिद्विजातयः,
असमानार्ष गोत्रजाम्।

मैं यह पूछता हूं कि कौन सी स्मृति है, कौन सा पंडित है, जो हमको बतलाएगा कि अमुक स्थान पर इसका विरोध किया गय है ? आपने सगोत्र में विवाह का कानून बना दिया, किन्तु मुझे बताया जाय कि कौन से शास्त्र में कहा गया है कि सगोत्र में विवाह करना कल्याणकारक होता है। याज्ञवलक्य, मनु और अन्य स्मृतियों ने इसका निषेध किया है।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तो पदिश्यते

मैं कहता हूं कि इसका भी कहीं विरोध नहीं है और इसलिये यह उचित है कि वाह्य रूप से परस्पर विरोधी दीखने वाले भावों का अर्थ हम ज़र सोच समझ कर लगायें और अपने स्वार्थ के लिये उनका उपयोग न करें। ऐसा करना अन्याय होगा।

अब मैं मॉनोगामी एकपत्नीत्व के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में हमारे गाडगील साहब ने राम और कृष्ण का नाम लिया और बड़े ऊंचे आदर्शवाद की बातें कीं। इस बारे में हमारे कम्यूनिस्ट भाई तो कहते हैं कि "हैवन्ज़ वुड फाल" और गाडगील साहब कहते हैं कि "अर्थ वुड विकम हैवन"—पृथ्वी ही स्वर्ग बनने वाली है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस मॉनोगामी का बल में उल्लेख किया गया है, "इज़ इट मानोगामी इन दि ट्रू सेन्स आफ दि टर्म ?"

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री नन्द लाल शर्मा : आप तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप राम का नाम ले रहे हैं, जिसकी प्रतिज्ञा थी

स्वाप हेतुरनुपाश्रितोऽन्यया रामवाहुरुपधान-मेषते।

अर्थात् "हे सीते, स्वप्न में भी जो भुजा किसी दूसरी स्त्री के सिर के नीचे नहीं गई, वही भुजा तुम्हारे सिर का आश्रय होगी" ऐसे राम का नाम लेकर और ऐसे राम के मुकाबले में आप हमारे सामने अनप्रिन्सिपल्ड पॉलीगैमी और पॉलीएन्ड्री रख रहे हैं, जिसका तात्पर्य सिर्फ यह है कि "वन एट ए टाइम" इस खिलवाड़ को आप मॉनोगामी का नाम दे रहे हैं। दिस इज़ एन इन्सल्ट टु यूअर ओन कल्चर। आप अपनी सभ्यता को कलंकित कर रहे हैं। आप दूसरी संस्कृतियों का भारतवर्ष में इन्टरजैक्शन कर रहे हैं। और आपका उद्देश्य क्या है ? यू वांट टू यूज़ इट ओनली एज़ ए स्टैपिंग स्टोन टु डाईवोर्स। आख़िर आपका मतलब क्या है। असल में आपका भाव तो यही मालूम होता है कि अगर किसी की किसी कारण से सन्तान न होती हो, तो या तो वह मुसलमान बन जाय, जबकि वह बिना तलाक दिये चार विवाह कर सकता है, और या अपनी स्त्री को छोड़ दे और उसका घर नष्ट हो जाय और स्त्री दर दर ठोकरें खाती फिरे। इस लिय मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर विशेष रूप से विचार करें। आप स्वयं कहते हैं कि "पालीगैमी इज़ औन इटस लास्ट लैग्स।" एक दूसरे वन्धु कहते हैं कि "पालीगैमी इज़ नौट जनरली प्रैक्टिस्ड इन हिन्दू कम्यूनिटी।" जब इतनी बात आप स्वीकार करते हैं, तब क्यों अपना सर्वनाश करने के लिये अपने देश, अपनी जाति और अपने सारे समाज को विश्रृंखलित करने के लिये आप इस प्रकार का विधान लोगों पर थोप रहे हैं ?

विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में मैं दो दृष्टिकोणों से निवेदन करूंगा। एक तो ह शास्त्रीय दृष्टिकोण। आपने उसको स्वीकार किया है। हां, एक पद आपको अवश्य मिल गया है और उसी को आप बार बार हमारे सामने रख रहे हैं। यह तो वही बात है कि किसी व्यक्ति को हल्दी की गांठ मिल गई और उसने पंसारी की दुकान खोल ली इस श्लोक को छोड़ कर आपको कुछ नहीं मिला है कि

"नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतितेऽपतौ, पंचरचापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते।"

हमारे गाडगील साहब पता नहीं किस भलेमानस को कोट कर बैठे और डाभी साहब ने भी कहा कि "देवल यह कहता है" और "नारद यह कहता है" कि स्त्री आठ वर्ष प्रतीक्षा करे। मनु के शब्द ये हैं :

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः
विद्यार्थं षट यशोऽर्थंवा कामार्थं स्त्रीस्तु वासरान

और मैं यह भी बता दूं कि कुल्लूकभट ने इसकी टीका इस बिल को दृष्टि में रख कर या इस बिल के लिये नहीं की थी और न ही उनको यह पता था कि आप इस तरह हिन्दू जाति पर कुठाराघात करेंगे। कुल्लूकभट लिखते हैं :

तत ऊर्ध्वं पतिसंन्निधिं गच्छेत

अर्थात् इसके बाद पति के पास चली जाय। यदि पति धर्मकार्य के लिये गया हुआ है, तो आठ वर्ष उसको न छेड़ और उसके बाद पति के समीप चली जाय। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह किसी दूसरे खसम के पास चली जाय। इस तरह हमारे शास्त्रों के साथ अन्याय किया गया है। डाभी साहब ने कहा कि "देवल यह कहता है।"

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैंने नारद को उद्धृत किया था।

श्री वी० जी० देशपांडे : आपने गलत उद्धरण दिया था।

श्री नन्द लाल शर्मा : देवल मेरे पास है। देवल में यह प्रसंग नहीं है, देवल में तो कि म्लेच्छ तथा अन्त्यज पतनादि के द्वारा किसी स्त्री का अवरोध किया जाय, तो उसका क्या प्रायश्चित्त है ? मैं कहना चाहता हूं कि अंगरेज़ी के ट्रांस्लेशन्स के आधार पर हिन्दू जाति के साथ खिलवड़ा करना उचित नहीं है।

श्री अल्तेकर :

अगर्भधारणात्कन्या पुनर्देयेति चापरे

देशकालादिमा धर्मा अनुष्ठेया विजानता।

अष्टौ वर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्

अप्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्।

जीवति श्रूयमाणे तु स्यादेष द्विगुणे विधि :

अप्रवृत्तौ तु भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापते :

अतोऽन्य गमने स्त्रीणां एष दोषो न विद्यते।

श्री नन्द लाल शर्मा : यहां पर 'कन्या' शब्द है और ब्राह्मेतर विवाह से अभिप्राय है। नारद और पराशर दोनों के एक ही श्लोक हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पराशर में ये दोनों वस्तुएं टैक्स्ट और कनटैक्स्ट—प्रसंग और शब्द—दोनों के विरुद्ध हैं। यह पराशर स्मृति के चौथे अध्याय में ३२ वां श्लोक है और ३३, ३४, ३५ के बाद यह चौथा अध्याय समाप्त हो जाता है। तीन श्लोकों में परपुरुषगमन का सर्वथा निषेध किया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि जो स्त्री पति के मर जाने पर परपुरुष का दर्शन नहीं करती, वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है।

मृतेभर्तरि या नारी ब्रह्मचर्यव्रतेस्थिता

सा मृता लभते स्वर्गं यथास्पेशते ब्रह्मचारिणः

इसी प्रकार आगे कहा गया है :

व्यालग्राही यथा व्यालं वलादुद्धरते विलात्

एवं स्त्री पतिमुद्धृत्य तेनैव सहमोदते

अर्थात् जैसे सांप पकड़ने वाला अपनी बीन के बल से छिद्र में पड़े हुए सर्प को ज़बर्दस्ती खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री नरक में पड़े हुए पुरुष को वहां से उद्धृत कर के पतिलोक में उसके साथ प्रमोदन करती है। इसलिये जो अर्थ वह लगा रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से वह सर्वथा अशुद्ध है सामान्य संस्कृत जानने वाला भी जानता है कि "पति" शब्द का सातवीं विभक्ति में एक वचन में "पत्यौ" बनता है, "पतौ" नहीं। इस परिचय में वहां पर पतौ शब्द का अर्थ कोई नहीं लगा सकेगा। पतौ केवल घि संज्ञा में हुआ करता है और उसका संधिच्छेद करने पर अपतौ शब्द में होता है। जिसका अर्थ अल्पपति, पतिकल्प अथवा 'भावी पति' होना चाहिए। इस लिए सप्तपदि पूर्णता पर कहते हैं तुम हमारे मित्र हो गये और इसलिए हमारे और तुम्हारे जो सम्बन्ध हो गए हैं वे कभी टूटने वाले नहीं हैं। इसी के अनुसार ऋग्वेद में लिखा है :

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या
जरदष्टिर्यथासः

भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गार्ह
पत्याय देवाः।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

इसी प्रकार से अथर्ववेद में भी लिखा है :

मय्येव मस्तु पोष्या मह्यं त्वादाबृहस्पति
मया पत्या प्रजावती प्रसून्जीव शरद् शतम: ।

इन शब्दों में जो लिखा है वह यह है कि १०० बरस तक हम इकट्ठे रहें, हमारे जो सम्बन्ध हैं वे कभी न टूटें। ऐसी परिस्थिति में किसी और दूसरे के साथ सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है। अगर मान भी लिया जाय कि किसी परिस्थिति में विवाह हो भी गया और आप के कहने के अनुसार सप्तपदी की बात में कुछ तथ्य नहीं है और एक पति मर जाए, दूसरी मर जाए, तीसरा मर जाए और चौथा मर जाए तो यह अनवस्था दोष हो जाएगा। इसके बारे मे मुझे यह कहना है कि आपको किसी-न-किसी स्थान पर ठहरना ही होगा और ठहरने का स्थान वही हो सकता है जो धर्म के अनुकूल हो।

इतना कहने के बाद मैं केवल दो शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। यह विचार मैं लौकिक दृष्टिकोण से आपके सामने रखना चाहता हूं, न कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से। आप शास्त्रीय दृष्टिकोण को छोड़ दीजिये। यहां पर कहा गया है कि हिन्दु स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है और यह होता है और वह होता है। जो इस तरह से हिन्दु जाति को खुल्लमखुल्ला गाली दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं उन से मेरी परमहंस रामकृष्ण के नाम पर यह प्रार्थना है जब एक वेश्या बाज़ार में चल रही थी और लोग उससे हंसी मज़ाक कर रहे थे तो परमहंस उसके चरणों पर गिर गए और कहने लगे, हे मां, तुम्हें इन बच्चों का पालन करना है और इनको रास्ता दिखाना है और इनकी रक्षा करनी है। अगर तुमने ही ऐसे काम करने शुरू कर दिये तो इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुमने ही ऐसा किया तो इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा। हिन्दुस्तान में उस स्त्री का जिसका पति मर जाता था उसका जो सम्मान हुआ करता था वह हम से जानते हैं। एक आदमी अपनी बहनों का विवाह करने के लिए खुद को कर्ज़ में फंसाने से भी संकोच नहीं करता है। नव रात्रों के अन्दर कन्या के चरण धोने के बाद भोजन किया करते हैं। तो यह दशा स्त्री की हिन्दू जाति के अन्दर रही है। पितुर्दशगुणा माता गौरवेनातिरिच्यते—माता का स्थान पिता से दशगुणा अधिक गौरवमय है। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने इस बिल के समर्थन में जो मिस मेयो ने जो कुछ 'मदर इंडिया' में लिखा है उसको भी मात कर दिया है। इस प्रकार की बातें कह कर और इस प्रकार का बिल लाकर हमारे घर में ही, हमारे संसद् में ही इसके समर्थन में तकरीरें की जाएं, यह एक शर्मनाक बात है। आपको एक बात पर विचार करना चाहिए। इस बिल से फायदा किसका होने वाला है? जो लोग इस बिल के समर्थन में बोलते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हू कि क्या इससे स्त्रियों का भला होगा? दो चार जो तितलियां हैं, जो लिपस्टिक, फेस पाउडर इत्यादि लगाकर इधर उधर चलती फिरती हैं जो छोटी उम्र में ही सिनेमा जाने लग जाती हैं उनका विवाह-विच्छेद हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है ; लेकिन मैं आप से पूछता हूं कि उन स्त्रियों का क्या होगा जिनके चार चार बच्चे हैं और जो बीमार पड़ गई ह और कुछ देर तक ठीक नहीं हो सकी हैं और जो निराश्रय और निस्सहाय हो जाएंगी। हम श्रीमती रेणु को सुनते हैं कि आप लोगों को आप में कान्फीडेंस नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मुझे अपने पर इतना कान्फीडेंस है कि अगर यह बिल पास भी हो जाए तो मेरी स्त्री और मेरे बच्चे इस मार्ग पर नहीं जाएंगे। मुझे तो अफसोस आप लोगों पर है जिनकी कन्यायें आज भी कुमार्ग की शिक्षा पर

जा रही हैं। उनके रास्ते में आपने आज कुछ रुकावटें भी रखी हुई हैं और अगर अब वे रुकावटें हटा दी गईं तो मैं कहता हूं कि सर्वनाश हो जाएगा। आज हम सब जानते हैं कि कुमारियों के लिए पति मिलना बहुत कठिन हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में मुंह डाल कर देखे तो उसे पता चलेगा कि वर का ढूंढना आज कितना कठिन हो गया है। अब आप इस बिल को तैयार लाकर जीते जी उन स्त्रियों को विधवा बनाने जा रहे हैं। पहले ही कुमारियों को पती नहीं मिलता, विधवाओं की समस्या आपके सिर पर है और अब आप एक और मुसीबत खड़ी कर रहे हैं।

मैं एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं। और पाटस्कर साहब से और दूसरे भाइयों से अपील करता हूं कि आप 'को-एग्सस्टेंस' 'को-एग्सिस्टेंस' कहते हैं और जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विश्व को तो आप को एग्सिस्टेंस का सबक देते हैं और यह बताते हैं तमः प्रकाशवत दो विरुद्ध स्वभाव वाले लोगों की को–एग्स्टिेंस सम्भव है लेकिन यहां पर जब मैं अपने शास्त्र के अनुसार जीवित रहना चाता हूं तो आप मुझे इस तरह जीवित रहने की आज्ञा नहीं देते हैं और आप मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं।

अब यहां पर कहा गया है कि अगर तलाक की व्यवस्था न की गई और मोनोगैमी की व्यवस्था न की गई तो डर है कि कहीं लोग मुसलमान न हो जाएं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लोगों के मुसलमान होने का डर मुझे नहीं है। मुझे तो डर उन लोगों से है जो सिविल मैरेज में चले जाते हैं और जो स्पेशल मैरेज में चले जाते हैं उनसे है। उन के दिल में हिन्दू शास्त्र के प्रति कोई सम्मान नहीं रहता और मैं समझता हूं कि यही हिन्दू जाति की सर्वथा हानि का कारण होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप तो कहते हैं कि यह एक छोटा सा बिल है लेकिन में आपको बताता हूं कि यह एक छोटा सा बिल नहीं है इसमें तो हज़ारों बिलाव आ जाते हैं। जिस समय इस बिल पर क्लाज बाई क्ल ज़ डिस्कशन होगी उस समय मैं अपने संशोधन रखूंगा और उन पर बोलूंगा इस समय मैं आप से केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इन दो चीज़ों को इस में से हटा दें। पहली चीज तो हिन्दू शास्त्रों के सम्बन्ध में है कि आप इसको हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से सर्वथा विच्छिन्न करें और दूसरी बात आप ने जो इस में तलाक के बारे में रखी है उसको हटा दीजिये बाकी का जो झगड़ा हमारे सिर पर आएगा उसको हम सहन कर लेंगे :

श्रीमती जयश्री (बम्बई उनपनगर) : माननीय विधि मंत्री ने मूल विवाह विधेयक में जो कुछ प्रगत्यात्मक परिवर्तन किये हैं, उनके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं। मनुष्य के जीवन में बिवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और इसका प्रभाव केवल विवाह सूत्र में बंधे जाने वालों पर ही नहीं अपितु उनकी सन्तति पर भी पड़ता है। अतः इस बन्धन में बंधे जाने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और बन्धन के उत्तरदायित्वों को लागू करना सरकार का कर्त्तव्य है। क्योंकि विद्यमान हिन्दू विधान एक पक्षीय है, यह जनतन्त्रात्मक नहीं है और इससे देश की करोड़ों स्त्रियों को अन्याय सहन करना पड़ता है, हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं। फिर, यह विधान प्रान्तीय हिन्दू शास्त्रों पर भी आधारित नहीं है। अतः हिन्दू विधान को संविहित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, हिन्दू धर्म स्थिर नहीं, अपितु गतिशील है। यह एक सागर रूप है और मंथन द्वारा इसे अति महत्वपूर्ण रत्न प्राप्त किये जा सकते हैं। सांस्कारिक विवाहों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सप्तवदी में कछ प्रतिज्ञायें होती हैं। कि "मेरे साथ सात पद

[श्रीमती जयश्री]

चलने से तू मेरा साथी हो जा; सात पद साथ साथ चलने से हम साथी हो गये हैं और एक दूसरे से कभी पृथक् न होंगे।" परन्तु मैं पूछती हूं कि क्या ये प्रतिज्ञायें केवल स्त्रियों के लिए हैं और क्या इनका पालन करना पुरुष का कर्त्तव्य नहीं है ? हमारे राम राज्य परिषद् के सदस्य ने कहा था कि राम ने यह कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया : राम बाहु सदैव तुम्हारी सेवा में है और सीता पर हम सब को गर्व है। परन्तु मैं सदस्यों से पूछती हूं कि वे कितने नीचे गिर गये हैं ? वे गिर गये हैं और उन्होंने हमारी स्त्री जाति को भी नीचे घसीट लिया है। जब वे संस्कार का उल्लेख करते हैं तो मैं कहती हूं कि फिर दहेज प्रथा क्यों रहे ? जहां अति अधिक दहेज मांगा जाता है, क्या उसे हम सांस्कारिक विवाह कह सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में दहेज न मिलने पर स्त्रियों पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है और फिर भी हम कहते हैं कि धर्म खतरे में है। मैं सदस्यों से पूछती हूं कि सच्चा धर्म क्या है ? गांधी जी ने कहा था कि यदि धर्म के नाम पर बला कार किया जाता है तो धर्म पर बलात्कार होता है। हमें अपने समाज में विधवाओं की स्थिति पर ध्यान देना है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था "मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं जानता जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछता और अनाथ बच्चों को भोजन नहीं देता।" मैं समझती हूं कि सच्चा धर्म यही है और यदि समाज सच्चे धर्म का पालन करता है, जिसे हम सदाचार कहते हैं, तो इसमें हानि क्या है ? सदाचार ही धर्म है। यदि वर्तमान विधेयक द्वारा सुधार करना और समाज के उस ढंग का अनुसरण करना चाहता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह धर्म के विरुद्ध कैसे जाता है।

सभ्यता की वर्तमान स्थिति में दाम्पत्य अधिकार के बारे में इस प्रकार के खंड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पति और पत्नी सम्बन्ध विच्छेद करना चाहते हैं तो वे न्यायिक पृथक्करण प्राप्त कर सकते हैं अतः मेरा निवेदन है कि इस खंड को हटा दिया जाये। विवाह-विच्छेद के बारे में दूसरी बात यह है कि भारतीय नारी अन्तिम नारी होगी जो विवाह-विच्छेद के लिए न्यायालय में जायेगी। वह विवाह-विच्छेद नहीं चाहती, अपितु वह कोई अन्य उपाय अपनायेगी। न्यायालय पंच फैसला या समझौता का सुझाव दे सकता है और यदि वह असफल रहता है तो फिर न्यायालय विवाह-विच्छेद का आदेश दे सकता है। मुझे सन्देह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने बम्बई में विधेयक के पारित होने के उपरान्त, गलत विवाह-विच्छेद के गलत मामलों के गलत आंकड़े, बताये हैं। द्विविवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व बम्बई में हज़ारों द्विविवाह हुए और परिणामस्वरूप उस समय विवाह-विच्छेदों की संख्या भी बहुत थी। परन्तु चूंकि अब यह अधिनियम समस्त राज्यों में लागू होगा और लोगों के लिए राज्य के बाहर जाकर विवाह करना असम्भव होगा, इसलिए भविष्य में इतने विवाह-विच्छेद न होंगे। मैंने एक संशोधन पढ़ा था कि यदि पत्नी की अनुमति हो तो पति को दुबारा विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि यह एक पक्षीय न्याय क्यों हो रहा है ? मान लीजिये कि पत्नी भी विवाह करना चाहती है तो क्या पति उसे अनुमति देगा ? यदि पत्नी के बच्चा नहीं होता है तो आप पत्नी में ही दोष क्यों ढूंढते हैं। यदि हम बच्चे चाहते हैं तो आजकल हमारे पास अन्य उपाय भी हैं ; अर्थात् हम बच्चे गोद भी ले सकते हैं। इस संशोधन के प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं।

यदि हम अपनी विधियों के लिए सम्मान चाहते हैं तो में अपनी सभ्यता के इस ढंग में ये परिवर्तन करने चाहिए। किसी भी देश की

सभ्यता उस समाज में स्त्रियों के स्तर से जानी जाती है, और हमें उन्हें उचित तर प्रदान करना चाहिए। यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो उचित ढंग से कीजिये और फिर विवाह-विच्छेद के लिए स्त्रियों के पास कोई कारण नहीं रहेगा। वे अपने घर से प्यार करती हैं और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहतीं। मैं पुनः कहती हूं कि मंत्री महोदय ने हिन्दू विधि में जो परिवर्तन किये हैं वे अधिकतर विधि को अपेक्षा स्मति और वेदों पर आधारित हैं। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : पेश्तर इसके कि मैं कुछ भी इस सम्बन्ध में कहूं, मैं अपने मंत्री जी को मुबारकवाद देती हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद यह बिल हमारे सामने पेश किया और इस बिल के मुताल्लिक उनकी मेहनत को देख कर हमको कुछ हिम्मत सी आ गई है और उसी हिम्मत के जोर से मैं चन्द बातें आप की खिदमत में पेश करना चाहती हूं।

यह बिल कोई नया बिल नहीं है, यह बिल काफी पुराना है। इस हिन्दू कोड बिल की बहसें इस हाउस में काफी हो चुकी हैं और इस हाउस के बाहर भी हम स्त्रियों की बहुत सी सभायें हुई हैं, बहुत सी कान्फ्रेंसें हुई हैं, जिन में केवल हिन्दू मैरेज ऐंड डिवोर्स की ही चर्चा नहीं बल्कि इन्हेरिटेन्स की भी चर्चा हो चुकी है और इस हाउस के काफी मेम्बर भी इस बिल का स्वागत करने के लिये बैठे हैं। चैटर्जी साहब का व्याख्यान सुन कर तो मैं हैरत में हूं और यहां जो लोग बोल रहे हैं वह भी इतनी गर्मागर्मी में और इतने जोश में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इस बिल को देखें तो हमको बहुत ठंढे दिल से इस पर सोचना चाहिये और इस पर निश्चय करना चाहिये। तभी हमारे सामने सब चीज़ें आ सकती हैं। जैसा अभी नंद लाल शर्मा जी कह रहे थे, मेरे दिल में भी यह ख्याल उठा था कि इस बिल में असल में हमारा ही सवाल है, स्त्रियों का ही सवाल है। इस बिल में असल में हमें अपनी स्त्रियों की किस्मत का फैसला करना है, लेकिन जो हमारा पुरुष समाज है, जो हमारे चारों तरफ है, उसने आज जो जो अनुचित बातें स्त्रियों के बारे में कहीं, उन को सुन कर मैं परेशान थी। वह आखिर डाईवोर्स से क्यों घबराते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है कि इस नाम से वह क्यों इतना डरते हैं। डाइवोर्स जो है वाकई कोई बुरी चीज नहीं है, डाइवोर्स के माने तो केवल इतने ही हैं कि अगर, भगवान् न करे, कोई ऐसी मुसीबत आ गई हो कि किसी तरह से भी घर में अमन चैन नहीं रह पाता हो, तो यह एक जरिया है उससे नज त पाने का। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहती हूं, जैसा कि मेरी और बहनों ने भी कहा, कि डिवोर्स का लेना आसान भी नहीं होता है। जिस बिरादरी और जाति में स्त्री का डाइवोर्स है, आज उसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाता है। मेरे हिन्दू भाइयों को न मालूम किस बात का डर है? जहां डिवोर्स का नाम आता है, उनके दिल और दिमाग में यह बात आ जाती है कि डिवोर्स हुआ कि हमारी स्त्रियां हमको छोड़ देंगी, और या यह कि डिवोर्स हुआ कि मरद स्त्रियों को छोड़ देंगे। यह विचार बिल्कुल गलत है।

जब एलीमनी का सवाल सामने आया था, तो उस वक्त में चीन चली गई थी। जब मैं वापस आई, तब मैंने इसको देखा। यह कैसा मज़ाक किया गया है? एलीमनी तो स्त्री उस वक्त दे सकती है जबकि उसको जायदाद में से कुछ हिस्सा मिले। सक्सेशन बिल भी अभी तक हमारे सामने आया नहीं है। स्त्री को अभी सक्सेशन का अधिकार मिला नहीं है, इनहैरिटेंस का अधिकार मिला नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि स्त्री की तरफ से भी एलीमनी होनी चाहिए। इस बिल में ऐसा प्राविजन

[श्रीमती उमा नेहरू]

नहीं होना चाहिए और ऐसा करके स्त्रियों के साथ मज़ाक नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि हमारे यहां परिवर्तन तो हमेशा से होते रहे हैं--सोशल रिफार्म्ज़ हमेशा से होती रही हैं। प्रश्न इस वक्त यह है कि हम क्या चाहते हैं? समाज में स्त्री की जो बेसिक पोज़ीशन है, हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। हम कोई छोटी छोटी रिफ़ार्म्ज़ नहीं चाहते हैं। हम तो स्त्री की बेसिक पोज़ीशन को बदलना चाहते हैं। हमको किसी से भिक्षा नहीं मांगनी है--हम तो समाज में तबदीली चाहते हैं। स्त्री अपने कुटुम्बों को तोड़ना नहीं चाहती। स्त्री भी जीते जागते भगवान के जीव हैं। हम आपसे किसी बात में कम नहीं हैं। हम भी आपकी ही तरह दिलो-दिमाग के मालिक हैं। हमारे पास भी वही चीज़ें हैं, जो कि आपके पास हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी इस हाउस में इस बारे में बात होती है, तो स्त्रियों का ज़िक्र बड़े अपमानजनक और ज़िल्लत के साथ होता है--उनका कोई आदर नहीं किया जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि हम वही पूजनीय और आदरणीय मातायें हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया है और आज हम यहां पर सुन रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा कानून बनाया जाये और कौनसा न बनाया जाये, हमको कौन सी सहूलियत दी जाये और कौन सी न दी जाये। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं, हम तो अपनी बेसिक पोज़ीशन को बदलना चाहते हैं।

मुझे श्री चटर्जी का व्याख्यान सुन कर कोई दुःख नहीं हुआ। एक वकील की हैसियत से उन्होंने अपना केस निहायत अच्छी तरह यहां पर रख दिया। उन्होंने बहुत कुछ हमारे मिनिस्टर साहब को भी कहा। मिनिस्टर साहब उनकी बातों का जवाब स्वयं देंगे। मैं सफ़ : तना ही कहना चाहती हूं कि जब उन्होंने बहस की, तो मैंने फ़ौरन देखना शुरू किया कि हमारे चैटर्जी साहब की पर्सनल ज़िन्दगी कैसी है। मैंने उनकी सोशल लाइफ़ की तरफ़ नज़र की। मुझे मालूम हुआ कि वह एक एडवान्सड आदमी हैं। उनके घर में बहुत सी सोशल रिफ़ार्म्ज़ हुई हैं, शादी-व्यवहा व्याह में सोशल रिफ़ार्म्ज़ हुई हैं। यहां पर तो वह खाली एक मुकदमा ले कर आए थे। किसका मुकदमा? हिन्दू सभा का मुकदमा। मेरी हिन्दू सभा से कोई लड़ाई नहीं है। मैं स्वयं हिन्दू स्त्री हूं और मुझे इसका गर्व है। लेकिन मेरा हिन्दू धर्म वह धर्म नहीं है, जो कि वे समझते हैं। मेरा धर्म चौबच्चे का धर्म नहीं है--मेरा धर्म समुद्र है। मैं हिन्दू सभा के बड़े बड़े आदमियों को एक माता की हैसियत से उस चौबच्चे में से घसीट कर निकालूंगी। मैं बताना चाहती हूं कि हिन्दू धर्म में समय समय पर बड़ी उन्नति हुई है। यहां पर मनु का ज़िक्र बेकार किया जाता है। मैं पूछती हूं कि उस वक्त स्त्रियों की हालत क्या थी? उस वक्त स्त्री की कमर में रस्सी बांध कर उसको बेचा जाता था।

श्री वी० जी० देशपांडे: झूठ है, गलत है, अनहिस्टारिकल।

श्रीमती उमा नेहरू: आपको स्त्री का इतिहास पढ़ना होगा। पन्द्रह बीस वर्ष हुए, मैं खुद शिमला गई। मैंने सुना कि मशोवरा में स्त्रियां बेची जाती हैं। मैं स्वयं उस बाज़ार में गई और मैंने देखा कि अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी हैं और मरद आ कर उनको खरीदते हैं।

मैं वृन्दावन भी गई, जहां मारवाड़ी ने एक बड़ा दालान लिया हुआ है और वहां स्त्रियां पंखे खींचती हैं। उनमें से अधिकतर बंगाली हैं। वहां पर "हरे कृष्णा" का भजन होता है और लोग स्त्रियों को खरीदते हैं। ये सब सही बातें हैं--किसी से छिपी हुई नहीं हैं।

मनु के कहने के मुताबिक स्त्री कमज़ोर है। बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करता है विवाह के बाद पति रक्षा करता है और विधवा होने के बाद पुत्र रक्षा करता है। बाज़ार में से हटा कर घरों में उनके लिए रक्षक मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अब तो ज़माना पलट गया है। अगर मनुजी आज ज़िन्दा होते और आज के मुताबिक परिवर्तन न करते, तो वह मनु भी न कहलाते। लेकिन आज मनु का नाम लेना फ़िज़ूल है। उन्होंने जो कानून बनाए, वे ठीक थे, लेकिन अब हमें समयानुसार अपने कानून बनाने हैं।

मैं सब मेबरों से यह भी कहना चाहती हूं कि अगर आप समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करते और लकीर के फकीर बने रहते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपकी मृत्यु होगी और आपका समाज खत्म हो जाएगा। समाज की खूबी यह होती है कि समय के अनसार उसके उसूल बदलते रहे हैं। इस बात का आपको विचार रखना है।

श्री नन्द लाल शर्मा चले गए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा का ज़िक्र किया था मैंने बहुत से विवाह देखे हैं। मैंने सप्तपदी भी देखी है। मैंने देखा है कि किस कद्र भगवान् को साक्षात रख कर वह प्रतिज्ञा की जाती है यह प्रतिज्ञा कि हम एक दूसरे के साथ वफ़ादारी करेंगे और ईमानदारी से रहेंगे। लेकिन जब लड़की घर में आई, तो पति वफ़ादार नहीं रहा, हालांकि पत्नी बराबर ख्याल करती रही। मैंने यह भी देखा है कि जब कोई दूसरी बहुत पसन्द आ गई, तो उसको घर में भी ले आये और अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल गये। आज हिन्दू समाज में स्त्री की हालत इतनी कमज़ोर और गिरी हुई है। उसकी सामाजिक स्थिति इतनी कमज़ोर है।

एक माननीय सदस्य : नई शिक्षा के कारण।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं यह परिवर्तन इस लिए चाहती हूं कि मेरे बेटे, मेरे भाई, मजबूत बनें। जब मैं मजबूत माता बनूंगी, तब ही उनको मजबूत बना सकूंगी। जब मैं कमजोर हूंगी, तो मेरे बच्चे कभी बहादुर नहीं हो सकते। इस लिए मेरा पहले तो इस बिल पर बोलन का कोई विचार नहीं था लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत सी गलत बातें कही जा रही हैं तो मैंने उन बातों का जवाब देने के लिए बोलने का फैसला किया। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहती लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहती हूं कि स्त्रियों के साथ न्याय किया जाये। यहां पर कुछ भाइयों ने कहा कि स्त्रियों का चरित्र ऊंचा होना चाहिये और इनको सीता और सावित्री बनना चाहिये। इस बात में मैं उन से सहमत हूं और मुझे यह बात अपील भी करती है। लेकिन मैं उन से कहना चाहती हूं कि जब वे चाहते हैं कि स्त्रियां अपने आप सीता और सावित्री बनें, उन्हें भी चाहिये वे राम की तरह बनें। लेकिन आप तो राक्षस हैं और राक्षस होने के बाद आप चाहते हैं कि हम सीता और सावित्री बनें। मैं और कुछ नहीं कहती केवल इतना ही कहती हूं कि आप भी अपने आप को सुधारें। जो प्रैक्टीकल आदमी होते हैं वे पहले से ही सोचते हैं कि...

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा) : तो क्या आप इक्वैलिटी की तरफ जा रही हैं?

श्रीमती उमा नेहरू : मैं आप को स्त्रियों की तरफ से बताना चाहती हूं कि हमारा जरा भी यह विचार नहीं है कि हम आप की तरह इक्वैलिटी की तरफ जाएं क्योंकि हमको निश्चय है कि परमात्मा ने स्त्री को आप से ऊंचा बनाया है, आप चाहे इस बात को मानें या न मानें। इस बात की मुझे परवाह नहीं है आप के बच्चों को पालने की जिम्मेदारी माता की होती है और वह इस जिम्मेदारी

[श्रीमती उमा नेहरू]

को बड़ी अच्छी तरह से निभाती है। मां अपनी जान पर खेल कर बच्चे को जन्म देती है तो आज जरूरत इस बात की है कि जो कमजोरियां हिन्दू धर्म में आ गई हैं उन को दूर किया जाए। आज हमें हिन्दू धर्म की जड़ों में ऐसी खाद डालनी चाहिये कि जिससे यह वृक्ष बड़ा हो और जिस को फूलना-फलना है और दुनिया को साया देना है और यदि वह अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो यह काम स्त्रियां ही कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते। यह जो माली का काम है यह स्त्रियां ही ठीक तरह से कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते। इस लिये मैं अपने भाई देशपांडे जी से और दूसरों से भी कहना चाहती हूं कि मुझे उतना ही गर्व एक हिन्दू स्त्री होने का है, बल्कि उससे भी ज्यादा है, जितना मेरे भाइयों को है। मैं हिन्दू धर्म को मानने वाली हूं। इस नाते भी आज मैं चाहती हूं कि जो हिन्दू स्त्री है वह आगे बढ़े और अपनी शक्ति से आप को आगे बढ़ कर ले जाए।

श्री डा० एन० तिवारी (सारन दक्षिण): मैं शास्त्रीय तर्क में नहीं जाना चाहता। इसका कारण यह है कि दोनों तरफ से शास्त्रों का हवाला दिया जाता है और श्लोक पढ़ जाते हैं जिनका अर्थ मेरे विचार में पढ़ने वालों को भी मालूम नहीं है। जो इन का अर्थ समझते भी हैं वे भी दूसरों को कहते हैं कि हम नहीं समझते। कल ही रामलीला ग्राउण्ड में पहली मई के सम्बन्ध में भाषण देते हुए प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि जो बातें २०० साल पहले लागू थीं वे आज की बदली हुई परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं। आज हमें नये सिरे से विचार करना है। मैं भी चाहता हूं कि आज नये सिरे से विचार किया जाये और देखा जाये कि कौनसी बात हमारे लिये लाभप्रद हो सकती है। मैं बहुत पुरानी बातें आपके सामने नहीं रखना चाहता लेकिन मैं उन लोगों की बातें जो सुधारक हैं, उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में भी राजा राम मोहन राय जो कि एक बहुत बड़े सुधारक थे और जिन्होंने समाज सुधार के बहुत से काम किये उनके विचार आपके सामने रखता हूं। उन्होंने मैंट्रीमनी के बारे में लिखा है : विवाह एक दिव्य संस्था है, और इसका उसी रूप में सम्मान करना पड़ेगा।

वे इसको अवनत करके एक माननीय संस्था और सांसारिक सम्बन्ध समझते हैं जो इसे एक व्यवहार संविदा मानते हैं।
आगे चल कर पृष्ठ ८८ में वे कहते हैं :

ईश्वर का विधान विवाह बन्धन को पवित्र और अटट घोषित करता है।

ईश्वर का लगाया हुआ यह पवित्र बन्धन सांसारिक हाथों से कहीं खोला न जाए।

ये जो नये सुधारक हैं उनके विचार हैं। पुरानी बातों को आप जाने दीजिये। आप कहते हैं कि २००० वर्ष पहले जो बात लागू होती थी आज वह नहीं मानी जा सकती। मैंने भी आप के सामने कोई पुरानी बात नहीं रखी और उस सुधारक की ही बात रखी है जो अभी ही हो गुजरे हैं और जिन्होंने बहुत सी समाज सुधारक बातें की हैं। बहुत से लोग सिविल मैरेज की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि वे प्रोग्रेसिव बनने के ख्याल से ही एसी बातें करते हैं। आप मैरेज इंन्स्टीट्यूशन के एवोल्यूशन को देखिये, इसको विवेचना कीजिये। आपको मालूम होगा कि शुरू शुरू में स्त्री पुरुष का सम्बन्ध बिल्कुल बे रोक-टोक हुआ करता था और कोई क़ायदा नहीं था। इसके बाद जब सोसाइटी ने प्रोग्रेस की तो कम्युनिटी मैरेजिज़ होने लगी और उसके बाद थोड़ी सी ओर तरक्की होने के बाद मैरेजिज और ही ढंग से होने लगीं। लेकिन अब क्या आप

फिर प्रोग्रेस के नाम पर पीछे को ओर जब कि कम्युनिटी मैरेजिज़ हुआ करती थी, और अनहिन्डर्ड मैरेजिज़ हुआ करती थीं जाना चाहते हैं ?

कहा जाता है कि ८० परसेंट लोग डिवोर्स चाहते हैं, तलाक चाहते हैं और इस प्रथा को मानते भी हैं ।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़): ९० फी सदी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ९० फीसदी ही सही या १०० फीसदी ही मान लीजिये । मेरा निवेदन यह है कि यदि २० फीसदी, जैसा कि आप कहते हैं, तलाक नहीं चाहते तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कानून किस के लिए बन रहा है । उनको तो कोई ज़रूरत नहीं जो इस प्रथा को मानते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भी यह कानून बनाया जा रहा है । इसके साथ ही साथ मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों की राय क्यों नहीं लेते जो इस को नहीं चाहते हैं । जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं इस के बारे में पुरुषों की राय लिये जाने की बात नहीं कहता बल्कि स्त्रियों की राय लिये जाने की बात कहता हूं मुझे विश्वास है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सौ प्रतिशत स्त्रियां इस डिवोर्स की प्रथा के विरुद्ध हैं ।

हमारी बहन श्रीमती उमा नेहरू जी ने कहा कि वे प्रतिष्ठा चाहती हैं । म भी चाहता हूं कि उनको वही प्रतिष्ठा हासिल हो जिसकी कि वह हक़दार हैं । मैं उनको नीचे गिराना नहीं चाहता । मैं चाहता हूं कि उनका सम्मान हो । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस बिल के द्वारा जो प्रतिष्ठा आप चाहती हैं वह प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकेगी । आप मानें, चाहे न मानें, मैं अपना यह फर्ज़ समझता हूं कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप तलाक के फेर में पड़ेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा ऊंचे जाने के बजाये नीचे आयेगी । आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इसको दोबारा बदलने की ज़रूरत न पड़े । इस लिये मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझें या न समझें, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप को बाद में इस विधेयक को बदलना पड़ेगा । त्यागी जी के शब्दों में सब को राक्षस बनाने के लिए यह बिल बनाया जाता है । इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं उनकी बात को मानता हूं । अक्सर कहा जाता है और अभी श्रीमती उमा नेहरू ने भी कहा कि हम स्त्रियां इस बिल को चाहती हैं ।

श्री रघुबीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व) नापसन्द नहीं करती हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : हमारी बहिन ने इस बात का भी दावा किया है कि अधिकांश स्त्रियां इसको पसन्द करेंगी । मैं आपसे कहूंगा कि यह विवाह विधेयक में जो सारी बातें हैं, मैं उन सब का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उन बातों का विरोध जरूर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि वे क़ानून न हों जो समाज को पीछे की तरफ़ ले जान का प्रयत्न कर रही हैं । आज प्रगति के नाम पर मनुष्यत्व बारबेरिटी की तरफ़ ले जाने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि मोनोगामी ला हो और एक पति-पत्नी के आदर्श पर क़ायम रहा जाय । पुरुष और स्त्री अपने जीवन में केवल एक ही बार शादी करें, यही चीज़ श्रेयस्कर होगी; मध्यम बात यह होगा कि एक संगी के मर जाने से दूसरा संगी बना लेना, और संगी के जीते जी दूसरी शादी कर ले, यह निकृष्ट बात होगी । क्या आप इस तरह का विधेयक पास करके एक निकृष्ट बात करना चाहते हैं, यदि निकृष्ट बात नहीं करना चाहते तो पाट-स्कर साहब की उस फिलासफी को नामंजूर

[पंडित डी० एन० तिवारी]

करें। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि कास्ट के खिलाफ हमारा जिहाद है यह मेरी समझ में ढोंग है।

श्री बाल्मीकि (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : वह सही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : जब एक पत्नीवाद के आदर्श को वह कायम रखना चाहते हैं तो इस प्रकार का उसके ख़िलाफ़ जिहाद करना यह क्या उन्हें शोभा देता है।

पंडित के० सं० शर्मा : एक स्त्री वाद तो वह भी चाहते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं समझता हूं कि इस वर्तमान विधेयक को जिस रूप में पेश किया गया है, पब्लिक ओपीनियन उसके फ़ेवर में नहीं है और इस सम्बन्ध में मुझे एक क़िस्सा याद हो गया कि एक आदमी किसी तरह से अंधा हो गया और अंधा होने पर लोगों से कहने लगा कि भाई मुझ को तो अंधा हो जान पर भगवान् के दर्शन हो रहे हैं और बाहर की आंखें फूट जाने से अन्दर के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, और उसकी देखादेखी और भी लोग अंधे हो गये। जो लोग अंध हुए, उन्होंने इस अंधे आदमी से कहा कि भाई हम को तुम्हारी तरह भगवान् के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, अरे बेवकूफो, मैं तो अंधों की संख्या बढ़ाने के लिए ख्वाहिश-मंद था, इसलिए मैंने ऐसा तुम लोगों से कहा। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ चीज़ उसी तरह की इस बिल को पास करने के सम्बन्ध में हो रही है। आप समझते हैं कि बिल पास करके हम सुधार लायगे लेकिन होगा उसका उलटा सरी धारा आफ होनी चाहिए। बिल में दो एक ऐसी ख़ामियां हैं जिनकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। एक तो है अनमेल विवाह का रोकना। कहीं भी इस वर्तमान विधेयक में इसका ज़िक्र नहीं है कि अनमेल विवाह को रोका जाय। आज हम देखते हैं कि पच्चीस वर्ष की लड़की के साथ साठ और सत्तर वर्ष का बूढ़ा पुरुष शादी कर लेता है। उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। हार्ड केसेज़ में डिवोर्स ज़रूरी है, यह ठीक हो सकता है। एक क़ानून सारे हार्ड केसेज़ को डील नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ केस बाकी रह जाता है जो क़ानून के दायरे में नहीं आता। आपने जो स्पेशल मैरिज ऐक्ट पास किया है, उसमें ऐसी छूट दी है कि जो लोग शादी के बाद में भी उस क़ानून के अनुसार अपने को रजिस्टर करा सकते हैं, उस क़ानन के अनुसार उन हार्ड केसेज़ को डील किया जा सकता है और वहां तलाक़ दिया जा सकता है, विवाह-विच्छेद हो सकता है। हिन्दू विवाह विधेयक में इस कानून को लाने की क्या ज़रूरत है? क्यों दुहरी मार लगा रहे हैं? मैंने कहा कि आपको इसमें अनमेल विवाहों को रोकने के लिए कोई प्राविजन रखना चाहिए ताकि शादी के समय स्त्री और पुरुष की परस्पर आयु में पन्द्रह या बारह वर्ष से ज्यादा का अन्तर न हो।

श्री रघुबीर सहाय : कोर्टस् को अख्तियार दे दिया गया है कि वे ऐसी अनमेल शादियां रोक सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : वर्तमान कानून में कहीं भी ऐसा प्राविज़न नहीं है जिसके ज़रिए ऐसे अनमेल विवाहों को रोकने का उपाय हो सके। यदि आप चाहते हैं कि अदालत में न जाना पड़े और मुकदमेबाज़ी न करनी पड़े तो आपको इस तरह की शादियों को प्रीवेन्ट करने के लिये पहले से उपाय सोचना पड़ेगा क्योंकि मसल मशहूर है कि 'प्रीवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर'। कम उम्र में कोई शादी

हो या एक स्त्री के रहते कोई दूसरी शादी करना चाहता हो तो आप उसको सज़ा दीजिये बाद में जाकर विवाह-विच्छेद करने की नौबत आये, इससे पहले ही एक तरह का प्रीवेन्टिव क्लाज़ होना चाहिए जिससे उस विवाह को होने से रोक सकें।

तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह है कि पहले जो शादियां हो चुकी हैं उन पर आप हाथ न उठायें क्योंकि पीछ वाली शादियों पर नये क़ानूनों को लागू करना हुत हार्ड होगा। आप जो यह करने जा रहे हैं कि पुराना विवाह विच्छेद एक साल के अन्दर हो सकेगा, यह चीज़ उसमें आप लागू न करें।साथ ही ऐसे कानून जो समाज के सुधारने के क़ानून हैं उनको जल्दी जल्दी से नहीं लाना चाहिए और उनको रश-अप नहीं करना चाहिए।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने इलाहाबाद में भाषण देते हुए यह शब्द कहे थे कि आज भारत में सरकार सामाजिक ढांचे में अधिक हस्तक्षेप करती हुई प्रतीत होती है। उन्होंने वैदेशिक कार्यों की भारतीय परिषद् की एक बैठक की प्रधानता करते हुए भी कहा था कि यदि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा किसी भी पूर्वविचारित ढांचे को लागू करना चाहेगी तो इससे लोगों का नैतिक स्तर गिर जायेगा। हमारे समाज का यह वर्तमान ढांचा शताब्दियों से चला आ रहा है और हमें इसमें परिवर्तन करने से पहले विचार करना चाहिए।

पंडित के० सी० शर्मा : वह तो उन्होंने सोशलिस्टिक पैट्रन के बारे में कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जसे कि राष्ट्रपति के बारे में है कि उन की राय यहां पर किसी बात के पक्ष तथा विरोध में उल्लिखित न की जाये, उसी प्रकार से यद्यपि एसा कोई नियम नहीं है, फिर भी माननीय सदस्यों को चाहिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय की राय का किसी ात के पक्ष या विरोध में यहां उल्लेख न करें। जहां तक संभव हो इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिए।

पंडित डी० एन० तिवारी : म केवल इतना ही बतलाना चाहता था कि सामाजिक सुधार के क़ानूनों के लिए बहुत सोच विचार की ज़रूरत है और जल्दी जल्दी उनको नहीं करना चाहिए। अभी हम लोगों ने आज़ादी पाई है और इसके बाद चाहते हैं कि सारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को तुरन्त बदल दें, यह बात ग़लत होगी। हम लोगों को वेट करना होगा। पहले दूसरे सुधारों को करलें तब इसमें हाथ लगायें, तभी अच्छा होगा। मैं जो कहना चाहता था वही श्री मावलंकर साहब ने वहां पर कहा और इसलिए मैंने उनको यहां पर कोट किया लेकिन अगर उपाध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि मैं उनको यहां पर कोट न करूं तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही चाहता हूं कि इस प्रकार की एक प्रथा हो जाये और यह एक स्वस्थ प्रथा होगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जो कहना चाहता था वह यही था कि ऐसी बातें छुट गयी हैं जिनका कि होना इस बिल में ज़रूरी है, जैसे प्रीवेन्टिव क्लाज़ और अनमेल विवाहों की बात इसमें होना ज़रूरी थी। अनमेल विवाह की बातें होना भी बिल में ज़रूरी हैं।

सारे बिल में एक ही बात, एक ही क्लाज बहुत कंटेन्शस है, और वह है तलाक वाली बात। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तलाक वाली बात निकाल दी जाय, तो रह

[पंडित डी० एन० तिवारी]

क्या गया ? बहुत सी बातें रहेंगी । एक बात के निकाल देने से क्या सारी बातें निकल जाती हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जो अपनी बीवी को तकलीफ देते हैं वही तलाक से डरते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी उमा बहिन ने कहा था कि कोई हल्की बात न कही जाय जो कि शान के खिलाफ हो आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कि शान के खिलाफ है। यह बात मुझे तकलीफ देती है या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आती है तो मैं इसके लिये ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता ।

तो मैं कह रहा था कि वही एक धारा है जिस की वजह से इस विधेयक का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और इसी कारण देहातों में भी इसका विरोध होगा। तो जैसा मैंने बताया कि जितने लोगों पर यह कानून लागू होने जा रहा है, उन में क्या स्त्री और क्या पुरुष, अधिकांश लोग इसको नहीं चाहते हैं । इसलिय ऐसा नहीं करना चाहिये कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान। वह चाहे या न चाहे, पर आप उन पर जबर्दस्ती कानून लागू करें, या लाद दें इसलिये मैं आपके सामने अधिक न कह कर यही कहूंगा कि केवल क्लाज १३, १४ और १५ आप निकाल दें और अनमेल विवाह का प्रोविजन इस में कर दें ।

श्री वेंकटरामन (तंजोर): इस विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाते समय इस सभा में और दूसरी सभा में पर्याप्त विचार प्रकट किये गये हैं अतः मेरा ख्याल है कि अब इस विधेयक में सन्निहित सिद्धान्तों का विरोध करना सम्भव नहीं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा था कि बच्चों की और सत्ता सम्बन्धी खंड प्रगत्यात्मक नहीं है और यह रद्द हुए विवाह से उत्पन्न बच्चों को समानादकों को, पैतृक सम्पत्ति का तनिक भी अधिकार नहीं देता । किन्तु ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि विद्यमान हिन्दू विधि के अनुसार औरस बच्चों का पैतृक-सम्पत्ति अधिकार उस जाति या वर्ग पर निर्भर है, जिससे वे सम्बन्ध रखते हैं । इस विधेयक में खंड १६ अनौरस बच्चों को माता-पिता की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार देता है । इसके अतिरिक्त जिन सम्प्रदायों में विद्यमान हिन्दू विधि के अधीन अनौरस बच्चों को समानोदकों की सम्पत्ति पाने का अधिकार है, वहां यह खंड उस अधिकार की रक्षा करता है । अतः मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान खंड १६ स्थिति को निकृष्ट बनाने की बजाय उत्तमतर बनाता है । फिर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्रथानुकूल आजकल विवाह-विच्छेद का जो अधिकार विद्यमान है उसको बनाये रखने के बारे में उल्लेख किया था । इस सम्बन्ध में मैं, खंड २९ के उपखंड २ की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो प्रथानुकूल विधि को बचाता है । अतः यदि प्रथानुकूल विधि से पक्षों को विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त है तो वे अब भी उसी नीति से विवाह-विच्छेद कर सकेंगे और इसके लिए प्रथानुकूल व प्राप्य प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जायेगा। जब तक कि हम विवाह-विच्छेद अधिकार सीमित करना न चाहें तब तक इस सुझाव की कि विवाह-विच्छेद की प्रथानकूल रीति को समाप्त कर दिया जाये, इस सभा से सिफारिश नहीं की जा सकती । मेरा ख्याल है कि प्रथानुकूल रीतियों के अनुसार विवाह-विच्छेद करने के जाति में विद्यमान अधिकार को सीमित करने के लिए इस सभा के सदस्यों का प्रयत्न बहुत हानि पहुंचायेगा और उनके विद्यमान अधिकारों

पर बड़ा भारी बन्धन होगा। अतः मैं खंड २९ के उपखंड (२) के रखे जाने के पक्ष में हूं।

दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति का श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्रीमती जयश्री ने बड़ा विरोध किया है। यद्यपि प्रत्यक्षतः यह महसूस होता है कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति का अधिकार विवाह के आधुनिक विचार के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं महसूस करता है कि देश में विद्यमान परिस्थितियों में यह अधिकार होना चाहिये। न्यायालयों में अपने थोड़े से अनुभव में मैंने देखा है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कन्या पति के घर जाकर रहना चाहती है परन्तु उसके माता-पिता या संरक्षक किसी-न-किसी बहाने से उसे वहां नहीं जाने देते। ऐसे मामलों में न्यायालयों ने दाम्पत्य अधिकारों को पुनः प्राप्त कराके वह कार्य किया है जिसे जाति का प्रत्येक व्यक्ति सराहता है। श्रीमान्, आपने भी अपने अनुभव में ऐसे मामलों को देखा होगा जहां सास पुत्री को ससुर के घर और ससुर पुत्र को सास के घर भेजने से मना कर देते हैं। क्योंकि सम्पूर्ण भारत में लगभग एक-सी ही प्रथायें रही हैं, अतः मेरा निवेदन है कि यह इतना बुरा और अवांच्छित उपबन्ध नहीं है जितना कि लोग इसे व्यक्त करना चाहते हैं। उचित मामलों में न्यायालय माता-पिता या संरक्षकों की सम्पत्ति को, यदि वे दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति को रोकते हैं, जब्त कर सकते हैं। माता-पिता या संरक्षक को प्रथम चिन्ता अपनी सम्पत्ति की होती है और फिर पुत्र या पुत्री की। अतः मेरा निवेदन है कि हमारे वर्तमान समाज में दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्राप्ति के अधिकार को पूर्णतया छीन लेना ठीक न होगा।

इस सभा में प्रस्तुत हुए मूल विधेयक में, न्यायिक पृथक्करण के लिए यह आवश्यक था कि प्राथक्य के लिए प्रार्थना करने से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष विषमय कोढ़ या रतिज रोग से पीड़ित हो। परन्तु जब यह राज्य-सभा के समक्ष आया तो लोगों ने कोढ़ और रतिज रोग के रोगियों के मामलों को दो विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया। ऐसा करने में वे यह भूल गये कि यदि अमुक व्यक्ति रतिज रोग से पीड़ित है तो भी मामला न्यायालय में देने से पूर्व वह कम-से-कम एक वर्ष से उस रोग से पीड़ित रहा हो। परिणाम यह हुआ है कि एक पक्ष को कोढ़ होने के कारण विवाह-विच्छेद कराने में तीन वर्ष और रतिज रोग के कारण विवाह-विच्छेद कराने में दो वर्ष लगते हैं। यदि ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि यह खंड १३ (१) (५) के स्वरूपानुरूप नहीं है।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

मेरा ख्याल है कि यह प्रारूप की एक गलती है जो राज्य-सभा ने की है और मैं चाहता हूं कि विधेयक के पारित होने के पूर्व यह गलती ठीक कर दी जाये।

पत्नी से भरण पोषण भत्ता दिलाने का आदेश देने के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं। भत्ता देने के लिए स्त्री को बाध्य करना उस पर बड़ा भारी कुठाराघात करना होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: जीवन भर के लिये।

श्री वेंकटरामन: हमने जो उपबन्ध करने का प्रयत्न किया था वह यह है कि जहां परिस्थितियों में अन्तर हो, वहां धनराशि को बदलने में न्यायालयों का आश्रय लिया जायगा और पति पत्नी का बराबर संपीड़न करता रहेगा और उसको दिये जाने वाले निर्वाह व्यय को घटाने बढ़ाने के लिये याचिका पर याचिका प्रस्तुत करता रहेगा। मेरे विचार से हमें ऐसी विधि बनानी चाहिये जिससे कि किसी प्रकार का संपीड़न न होगा। मेरे विचार से यह खंड बिलकुल अस्वीकार्य है और मुझे विश्वास है कि विधि मंत्री पत्नी द्वारा पति

[श्री वेंकटरामन्]

को देय निर्वाह-व्यय सम्बन्धी इस उपबन्ध को रद्द कर देंगे। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक यथासम्भव शीघ्र पारित कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि विधि मंत्री इस बात पर विचार करें कि यदि वह सभा को यह आ वासन दें कि हिन्दू कोड विधेयक के तीनों भाग एकत्र किये जायेंगे और छोटी मोटी गलतियों को ठीक कर के सभी को स्वीकार्य ऐसे किसी कोड का उपबन्ध किया जायगा तो हम अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री वी० मुनिस्वामी (तिंडीवनम्) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि सारे देश का समर्थन इसको प्राप्त हुआ है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि इस सभा के कुछ सदस्यों ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं।

मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि केवल विधेयक प्रस्तुत करने से ही सामाजिक सुधार आसानी से किये जा सकते हैं। केवल मानसिक परिवर्तन से ही देश के नैतिक अथवा सामाजिक ढांचे में कुछ पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है।

मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों ने यहां वेदों के उद्धरण दिये हैं किन्तु यह बात माननीय विधि मंत्री से ही प्रारम्भ हुई थी। मैं तो यह कहूंगा कि स विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये वेदों से उद्धरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह इस तरह है कि अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों ही उन्हीं शास्त्र और उन्हीं सूत्रों के आधार पर तर्क कर रहे हैं। यह समय है ज कि हम यह समझें कि सनातनि और आर्य समाजियों पर दोष लगाना व्यर्थ है वास्तव में रूढ़ीवादी और देश के तथाकथित बड़े बड़े लोग ही वेद और शास्त्रों के नाम से चिल्ला रहे हैं और उन्हें वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दे रहे हैं जो यहां इस विधेयक का विरोध करने आये हैं। वे एक इस प्रकार के एक साधारण विधेयक को भी पारित नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं और सरकार भी उनका और उन संगठनों का समर्थन कर रही है। अतः हमें इसी समय यह समझना चाहिये कि इन चीजों के समर्थन से कोई लाभ न होगा। मैं सभा को बता सकता हूं कि मद्रास के एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश श्री नेल्सन ने "एव्हयू ऑफ हिन्दू लॉ" पुस्तक में लिखा है कि "हिन्दू विधि उन अंग्रेजी नैयायिकों द्वारा जो संस्कृत नहीं जानते थे, उन संस्कृत पंडितों की सहायता से जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, बनायी गयी थी।" मद्रास राज्य में ३० वर्ष पूर्व हमने इस प्रकार की विधि से प्रारम्भ किया है। अतः हिन्दू विधि में सुधार किया जाना चाहिये यह एक बहुत साधारण सा विधेयक है।

मुझे य देखकर भी आश्चर्य हुआ कि मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने सभी विधि पुस्तकों से उद्धरण दिये हैं कि हिन्दू विधि के अनुसार विवाह एक ठेका नहीं बल्कि एक संस्कार है। संयोवश विधि मंत्रालय में मंत्री के कहने में यह भूल हो गयी कि हिन्दू विधि के अनुसार, विवाह संस्कार नहीं है। किन्तु उसके विरुद्ध उन्होंने हिन्दू विधि के सभी पुस्तकों से उद्धरण दिये हैं। मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस प्रकार के विधेयक का विवेचन करने का यह उचित तरीका नहीं है।

एक दूसरा पहलु भी है। विधि मंत्रालय में मंत्री ने स्पष्ट बताया है कि वर्तमान समय के अनुसार, यह विधेयक अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु उन्होंने कुछ चीजें यहां रखी हैं मेरी इच्छा थी कि वह वेदों के यहां उद्धरण न देते क्योंकि वेद और शास्त्र महासागर जैसे गम्भीर हैं और हिन्दू धर्म के अन्तर्गत प्रत्येक चीज़ का समन्वय किया जा सकता है। अतः इन वेदों

का उद्धरण देने से कोई लाभ नहीं है। प्रत्येक चीज़ में ईश्वर का नाम ले आना हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है।

मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं किन्तु मुझे यह देख कर खेद होता है कि लोगों ने यहां वेद और गीता के उद्धरण दिये हैं। इस विधेयक के अनेक उपबन्ध बहुत सरल हैं। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया, वर्तमान हिन्दू विधि मूल हिन्दू विधि नहीं है क्योंकि उसमें अनेक नवीन विधियों और न्यायिक निर्णय समाविष्ट हुए हैं। अतः श्रुति, स्मृति और पुराणों के उद्धरण देने से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वेदों को यहां लाना चाहते हैं, तो विधेयकों को भूल जाइये ; दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकतीं।

मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों जैसे श्री वी० जी० देशपांडे और अन्य लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया है किन्तु मुझे विश्वास है कि वे अपने हृदय में इसे एक बहुत अच्छा विधेयक ही कहते रहेंगे। शासक दल के हित में भी यह अधिक अच्छा होता कि यह विधेयक अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक की तरह यथासंभव शीघ्र पारित किया जाता। इससे आगामी निर्वाचनों में बहुत सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं विवाह-विच्छेद के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्ध को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ और व्यक्तिगत मेरी यह धारणा है कि विधेयकों के ज़रिये विवाह-विच्छेद नहीं कराये जा सकते। कुछ माननीय सदस्यों के विरोध से ऐसा मालूम होता है कि यह हिन्दू विवाह विधेयक नहीं है बल्कि हिन्दुओं में विवाह-विच्छेद को प्रोत्साहन देने के लिये एक हिन्दू-विवाह-विच्छेद विधेयक है। मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने इस विधेयक के बारे में इस कार कहा है जैसे कि यह आज ही से विवाह-विच्छेद को चालू कर देने वाला एक विधेयक है। निश्चय ही यह विधेयक इस प्रकार का नहीं है और इसका उद्देश्य भी यह नहीं है क्योंकि केवल विधेयकों से ही किसी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। इन विधेयकों को कार्यान्वित करने के पूर्व मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

यह विधेयक एक बहुत सरल विधेयक है और यह इसलिये नहीं रखा गया है कि देश में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाये बल्कि इसलिये रखा गया है कि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हम भी एक सभ्य राष्ट्र बनते जा रहे हैं। किन्तु यदि आप चाहते हैं कि अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक और इस हिन्दू विवाह विधेयक का कुछ वास्तविक प्रभाव पड़े तो यह आवश्यक है कि हिन्दू जाति के सभी सदस्य उन्हें कार्यान्वित करने के लिये ठोस कार्यवाही करें। अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक यथासम्भव शीघ्र पारित किया जाय

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेयरमैन साहब मैं आपका मशकूर हूं, कि आपने मेहरबानी करके मुझे इस बिल पर बोलने का मौक़ा दिया .....

श्री वेंकटरामन् : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बिल के बारे में बहुत सी.....

श्री वेंकटरामन् : अंग्रेज़ी में बोलिये साहब।

जब आप किसी वैधानिक प्रश्न पर चर्चा करते हैं तब यह अधिक उचित है कि आप अंग्रेज़ी में बोलें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बिल के बारे में बहुत सा क्रिटिसिज्म किया गया है मुझे अंग्रेज़ी में बोलने की यह ज़रूरत नहीं है

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

क्योंकि जो साहब मुझे चाहते हैं कि मैं अंगेज़ी में बोलूं, वह पहले ही बिल के हक़ में हैं और मैं भी बिल के हक़ में हूं। मैं चन्द एक बातें अर्ज़ करने के वास्ते खड़ा हुआ हूं ताकि जो बिल के अन्दर ख़राबियां हैं वे दूर हो जायं। सबसे अव्वल चीज़ जो मुझे नज़र आती है और जिसकी वजह से मैं इस बिल का खैर-मकदम करता हूं वह यह है कि इसके अन्दर सबसे अव्वल बात यह है कि जातिपांत का झगड़ा ख़त्म हो और मुझे यह बहुत पसन्द है। मेरे दोस्त ने जो अभी स्पीच की, वह अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहे थे और क्या उनकी मंशा थी। मैं भी हिन्दू हूं और एक आर्थोडक्स हिन्दू हूं। मैं हिन्दू धर्म को बखूबी समझता हूं हिन्दूइज़म को बखूबी समझता हूं। यह गीता के और वेद के बरखिलाफ़ बिल कैसे है? यह बिल तो बिल्कुल हिन्दूइज़म असूलों के मुताबिक़ है, सोलह आने मुताबिक़ है और यह कहना गलत है कि हिन्दू सब डूब जायेंगे अगर यह बिल पास हो जायगा। मेरी राय में इस बिल का पास करना बिलकुल लाज़िमी है और ज़रूरी है।

इस हाउस में जब मैं स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल की तस्वीर देखता हूं तो मेरी आंखों के सामने वह नज़्ज़ारा आ जाता है कि जब उन्होंने सन् १९२१ में एक अपना बिल पेश किया था और वह चीज़ इस मौजूदा बिल के अन्दर मौजूद ह और जिसके वास्ते आपने मुझे कम्पलीमेंट दिया था, हालांकि मैं उसका मुस्तहक़ नहीं था। सन् २१ में जब वह बिल पेश हुआ। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि इस मुल्क से जातिपांत का झगड़ा ख़त्म हो और चुनांचे वह उनका बिल खारिज हो गया, अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि शादी के बारे में यकसां क़ानून हो। सन् ४९ में मैंने उसी क़िस्म का बिल हाउस में पेश किया और शायद पांच मिनट में बिल पास हो गया, पांच मिनट के अन्दर वह चेंज हो गया, क्योंकि देश उसके वास्ते तैयार है। आज यह हक़ीक़त है कि देश के अन्दर कोई शख्स नहीं चाहता कि कास्ट सिस्टम हो, ह जो हमारे दोस्त चिल्लाते रहते हैं यह सब बनावटी ऐजिटेशन है कि देश के अन्दर लोग यह कहें कि हमें कास्ट सिस्टम चाहिए, और वगैर कास्ट के मैरिज नहीं हो सकती। आज देश बहुत आगे बढ़ गया है ....

श्री वी० जी० देशपांडे : बढ़ा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : देश आगे बढ़ा है, इसका विरोध तो किसी ने भी नहीं किया है। हमारे दोस्त श्री देशपांडे भी इसके हक़ में हैं कि देश आगे बढ़ा है। और शादी सब जातोंके साथ दुरुस्त व जायज़ है। भला हो महात्मा गांधी और राजाजी का जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया और जिन्होंने अपने लड़के की राजा जी की लड़की से शादी की। स्वामी दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द और दूसरे बुजुर्गों ने भी इसको लबैक कहा है और यह क़ानून मैं समझता हूं कि उस दिशा में बड़ा भारी क़दम है।

दूसरी चीज़ जो इस बिल के अन्दर आती है वह डाइवोर्स के मुताल्लिक़ है। मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं इस डाइवोर्स के बेहद हक़ में हूं। इस बिल के अन्दर मुझे खूबसूरती यह मालूम होती है कि इसके अन्दर डाइवोर्स मौजूद है और उसके वास्ते मेरी वजूहात ये हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उन लोगों के ख्याल से जो शादी को इन्डिस्सोलयूबल समझते हैं, ह तसल्लीबख्श नहीं है। उनको सिर्फ इतना कहने से कि यह इनएविटेबिल मेज़र है, उनके इतना कहने से तसल्ली नहीं हो सकती, दरअसल यह उनके ख्यालात के बरखिलाफ़ है, मैं इसको छिपना नहीं चाहता। लेकिन ताहम मैं जानता

हूं कि अगर हम ऐसा न करें तो हम उन लोगों के बरखिलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिनको इस जमाने में हमारी मदद की ज़रूरत है। इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक तो वह लोग हैं जो डाइवोर्स को प्रैक्टिस करते हैं। उनका आप की मर्जी है चाहे जितना परसेन्टेज रख लीजिये, ६०, ७०, ८० कितना ही रख लीजिये बाकी लोग ऐसे हैं जो कि डाइवोर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मुझे यह बिल उन लोगों के हक़ में बहुत ज्यादा ज़रूरी मालूम होता है जो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं पर वह जानने लगे हैं कि हम कितना बड़ा भारी अन्याय ऐसा न करने से सोसायटी पर करते हैं। मुझे सन् १९२८, २९ में सारे हिन्दुस्तान में घूमने का मौक़ा मिला, एज आफ कंसेन्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत में मुझे मौका मिला कि मैं हिन्दुस्तान की हालत को देखूं। एक मर्तबा मैंने देखा कि कमेटी के सामने तीन शख्स ब्यान देने आये। एक औरत आई, दूसरी उसकी लड़की आई और तीसरा एक मर्द आया। हमने उनका ब्यान लिखा। औरत ने बताया कि यह जो लड़की मेरे साथ बैठी है वह एफ० ए० पास है, वह लड़की नौजवान, खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। औरत कहने लगी कि इसके खाविन्द ने मैरेज को कन्समेट करने के वास्ते दस हजार रुपये मांगे। जो मर्द उनके साथ आया, इत्तफाक़ से पहले पता नहीं था कि, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक पब्लिक प्रोसीक्यूटर है और लड़की का पिता है। मुझे यह सुन कर किस कदर दुःख हुआ कि सिर्फ शादी को कंसमेट करने के वास्ते, एक पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी, नौजवान और खूबसूरत लड़की की शादी कंसमेट करने के वास्ते खाविन्द और खाविन्द का पिता दस हजार रुपये मांगते हैं।

एक और वाकया ब्यान करूं थोड़ा अर्सा हुआ जब हिन्दू कोड बिल चल रहा था, उस वक्त सात आठ औरतें मेरे घर पर आईं और कहने लगीं कि आप हिन्दू कोड बिल के बारे में क्या ख्याल रखते हैं ? आप उसकी मुखालिफत करेंगे या नहीं ? मैंने कहा कि आप को मेरी राय तो मालूम ही है, मैं बारहा हाउस में और हाउस के बाहर बोल चुका हूं। मैंने उन से पूछा कि आप में से कितनी शादी शुदा हैं ? म जानता था कि उन में से ज्यादातर मैरीड थीं, क्योंकि उनके हाथ में चूड़ियां थी। मैंने उनसे कहा मैं आपके खाविन्दों से कहना चाहता हूं कि वह दूसरी शादी कर लें, आप को छोड़ दें क्योंकि आप प्रोपेगन्डा करती फिरती हैं, मैंने हिन्दुस्तान के अन्दर कहीं भी हिन्दू औरतों को प्रोपेगन्डा करते नहीं देखा, लेकिन आप प्रोपेगन्डा करती फिरती हैं। तो वह कहने लगीं अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हमको बड़ी तकलीफ होगी। मैंने पूछा कि तकलीफ क्यों होगी, आपके पति की दूसरी शादी हो जायेगी, उन्होंने कहा हम नहीं चाहती हैं कि हमारा पति दूसरा शादी कर सके, हम चाहती हैं कि मोनोगैमी हिन्दुस्तान में हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो गजब हो जायेगा। मैंने कहा, तो क्या मैं समझूं कि आप हिन्दू कोड बिल के हक़ में हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही हिन्दू कोड बिल है तो हम उसके हक़ में हैं।

उन औरतों के पीछे एक लड़की भी बैठी थी। उन औरतों ने कहा कि यह लड़की शादी शुदा है, लेकिन इसके खाविन्द ने इसको छोड़ दिया है। मैंने उनसे पूछा कि बतलाओ, तुम इस लड़की की मां के बराबर हो, मेरे पास आई हो। हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं, सब मेरी लड़कियों के बराबर हैं, आखिर इसका कोई सोल्यूशन है कि इस लड़की के लिये क्या किया जाय जिस के खाविन्द ने बिना किसी कुसूर के उसको छोड़ दिया है ? वह सारी उम्र कैसे बितायेगी ? तो वह कहने लगीं कि साहब, आप ठीक कहते हैं, डाइवोर्स के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कितनी ही ऐसी औरतें हिन्दुस्तान के अन्दर हम देखते हैं जिन के साथ बेइंसाफी हुई है, जिन के खाविन्द आज शादी करते हैं और शादी के एक महीने बाद या तीन महीने बाद उनको छोड़ देते हैं। आज उनके वास्ते सिवा डाइवोर्स के कोई चारा नहीं है। आपने सुना है कि औरतें सती होती आई हैं, आपने सुना है कि विडो मैरेज नहीं होती, आपने सुना है कि कितने जौहर हो गये, लेकिन कहीं भी आपने क्या सुना है कि कोई आदमी औरत के मरन के बाद जल मरा हो, कहीं भी आदमियों का ज़ौहर हुआ है ? कितने आदमियों ने मज़ाक में भी कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा ? मैं ऐसे आदमियों को भी जानता हूं जो कि एक शादी करने के बाद अगर स्त्री मर जाती है तो दूसरी शादी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कितने आदमी हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से कि चूंकि फलां औरत के साथ उनकी शादी हो चुकी है, इस लिये वे दूसरी शादी नहीं करना चाहते हैं ? मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि ऐसी औरतों के वास्ते जिन के खाविन्द उनको छोड़ देते हैं, क्या इलाज है ? मैं चाहता हूं कि मुझे इसका जवाब दिया जाय। मुझे वेदों का हवाला नहीं चाहिये, मुझे शास्त्रों का हवग्ला नहीं चाहिये। यहां पर वेदों और शास्त्रों की बड़ी चर्चा हुई, मुझे मालूम है कि उनमें क्या लिखा है। आज आप मुझे बतलायें कि कुंती के बच्चा कैसे पैदा हुए थे, मुझे बतलायें कि आखिकानीन लड़का कौनसा होता है ? मुझे बतलायें कि दमयन्ती ने दूसरी मर्तबा स्वयम्बर कैसे रचाया ?

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल सीधी): गलत है, इसलिये स्वयम्बर नहीं रचा गया था। स्वयम्बर इस लिये रचा गया था कि नल का पता लग सके, उस में कोई दूसरा राजा नहीं बुलाया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दमयन्ती के वास्ते नल पहुंचा राजा के साथ जिसका वह सार्थी था। मेरे पास सच्ची सच्ची इन्फार्मेशन है। मैंने नल दमयन्ती का ओरिजिनल टैक्स्ट पढ़ा है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं अगर उस ज़माने के अन्दर यही आइडियल चले आते थे जिन का ज़िक्र यहां पर किया गया तो क्या वजह थी कि यह सब बातें हुईं ? जो मेरे दोस्त मनुस्मृति का बार बार ज़िक्र करते हैं, जो नारद और पराशर का ज़िक्र करते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि इस देश में सबसे पुरानी प्रति किस ग्रंथ की है। मैं कहना चाहता हूं कि ८०० वर्ष से पुरानी प्रति किसी ग्रंथ की भी नहीं है। मनुस्मृति भी ८०० वर्ष से ज्यादा पुरानी देश में नहीं है। और हमारी यह बदकिस्मती है कि एक पृष्ठ पर कुछ लिखा हुआ है और दूसरे पृष्ठ में उस के विरुद्ध लिखा हुआ है और तीसरे में उसके विरुद्ध भी लिखा हुआ है। वह किताबें न विश्वसनीय हैं और इनमें बड़ी वृद्धियां हुई हैं। लेकिन यह बात नहीं है कि इसकी वजह से शास्त्रों के वास्ते मेरे दिल में इज्जत नहीं है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे शास्त्रों में जितना ज्ञान भरा हुआ है, उतना किसी भी किताब में नहीं, हमारे शास्त्र सबसे पुराने हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि शास्त्र जिस जमाने में बने थे, उस वक्त उन लोगों को अख्त्यार था, हमारे ऋषियों और मुनियों को अख्त्यार था अपने शास्त्र बनाने का, उसी तरह से आज जिन आदमियों ने कान्स्टिट्यूशन बनाया इस देश के वास्ते उनको अख्त्यार है कि अपने देश के वास्ते वह कानून बनायें और सही तरीक़े अख्त्यार करें। आज कोई सोसायटी ऐसी नहीं हो सकती जिस के अन्दर यह कहा जाय कि जो शादीशुदा लोग हैं वह प्योर न हों, उनकी शादीशुदा लाइफ हैपी न हो, और इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस आइडियल के खिलाफ जाती हो। हमारे देश में चेस्टिटि अव्वल दर्जे की चीज़ मानी गई है और इसी ख्याल से इस देश में छोटी लडकियों की शादी

का रिवाज़ जारी हुआ । इसी आइडियल के पीछे सती सिस्टम देश में चलाया गया ताकि चैस्टिटी व आईडियल कायम रहे, हमने इसको कायम रखने के लिये कितनी ही कुर्बानियां की हैं इससे मैं इंकार नहीं करता, लेकिन आज आप इस चैस्टिटी को कैसे बचायेंगे ? मैं चाहता हूं कि आज के दिन यह नया दस्तूर डाइवोर्स का नये सिरे से सब जातियों के अन्दर दाखिल किया जाय, इस वजह से नहीं कि मैं डाइवोर्स का दिलदादा हूं, मैं खुद एक हिन्दू हूं, मेरे चार लड़के हैं और एक लड़की है मैं खुद भी विवाहित हूं, मैं अपनी बीवी से डाइवोर्स नहीं चाहता हूं और न अपनी लड़की लड़के का डाइवोर्स चाहता हूं, लेकिन जब हम अपने भाइयों के वास्ते कानून बनाते हैं, हम अपनी लड़कियों और बहनों के वास्ते कानून बनाते हैं जिनकी दुर्दशा हम से सही नहीं जाती है, तब मैं उनके नाम पर आप से अपील करता हूं आप उन लोगों का ख्याल रक्खें। अगर कोई मुझ से पूछे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और अभी उमा बहन जी ने बताया कि किस तरह से देश के अन्दर ब्राथेल्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारी बहन राय जी ने बताया कि किस तरह से ब्राथेल्स बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से देश में खराबी होती जा रही है यह आप कलकत्ते में जाकर देखिये। आज आप पंजाब में जाकर देखिये कि देश के पार्टीशन ने क्या गज़ब ढाया है। मैं चाहता हूं कि मैरिज अपने पेडेस्टल पर आये, शादी की पवित्रता की बाधाएं दूर हों, हम स्टेट की जिम्मेदारियों को समझें। आज मैं क्या देखता हूं ? मेरे दोस्त श्री वेंकटरामन ने एक दफा २९ बी का ज़िक्र किया, वह हमारे नोटिस में ले आये कि बहुत से हमारे भाई हैं, जिन को हम छोटी जाति का कहते हैं, मैं तो खैर जाति पांति मानता नहीं हूं, लेकिन मैं भी उन में क्या देखता हूं कि आज एक शख्स ने लड़की की शादी की, छः महीने बाद या ीन महीने खाविन्द के पास रही, उसके बाद उस लड़की के मां बाप पहुंचे और लड़की को ले आकर ५०० रुपया ले कर उसकी दूसरी शादी कर दी।

श्री वेंकटरामन् : उसे मान्यता नहीं दी जायेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आपको बताऊंगा कि क्या मान्य होगा । ४९८ के मुकद्दमात कामयाब होते मैंने नहीं देखे । आज क्या सूरत है ? तलाक की कार्रवाई बहुत आसान हो गई है । क्या करते हैं कि मुंह के अन्दर घास डाली और डाइवोर्स हो गया । एक शख्स ने मुझे बताया कि यह भी होता है कि पौध को आग पर चढ़ा दी और कुकिंग के ज़रिये से डाइवोर्स हो गया । सफेद चादर डाली, चूड़ियां फोड़दीं और डाइवोर्स हो गया । इस तरह की खराब प्रथायें देश में फैली हुई हैं और खास कर हमारे उन भाइयों के अन्दर जिन को हम अपनी बराबरी का मानते हैं, आप अनटचेबिलिटी बिल यहां पास कराते हैं। लेकिन जब तक उन लोगों की मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं होगी, जब तक शादी की टाइज नये सिरे से मजबूत नहीं होंगी, तब तक देश में शान्ति नहीं होगी। मैं इस बिल का इसलिये भी स्वागत करता हूं कि यह उन खराबियों को भी दूर करता है । जो लोग कहते हैं कि वह पवित्र हैं, आज उनकी जिन्दगी की क्या हालत है यह आप देखें तो आप को पता लगेगा कि किस तरह से उन में खराबियां बढ़ रही हैं। इधर उन लोगों की ज़िन्दगी को देखिए, जिनको कि छोटी ज़ात वाले कहते हैं। उनकी मैरिज टाईज उतनी मज़बूत नहीं होती हैं और न ही उन लोगों में मैरिज फ़ाइडेलिटी उतनी ऊंची होती है, जितनी कि दूसरों में। यहां पर म यह बता देना चाहता हूं कि मैं डाइवोर्स को किसी हालत में आसान नहीं बनाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में यह बिल इस शक्ल में नहीं बनना चाहिए कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

डाइवोर्स चाहने वालों को आसानी हो जाय। जब हिन्दू कोड बिल के सिलसिले में बहस हुई थी, तो हमारे ला मिनिस्टर साहब ने फ़रमाया था कि हम लोग चाहते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के मारल्ज़ को ऊंचा उठाया जाय, जो कि इस वक्त बहुत लूस हो रहे हैं और मैरिज की टाईज़ को मज़बूत बनाया जाय और मैरिज को उस पैडेस्टल पर लाया जाय, जहां पर कि उसका हक है।

मैं श्री वेंकटरामन् से बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कस्टम जुडिशली रेकगनाइज्ड हैं, उनको मान लेना चाहिए। यह ठीक है कि अगर आप सब कस्टमज को मानते हैं, तो हिन्दू लाज़ के कोडिफ़िकेशन के उसूल पर कुल्हाड़ा मारते हैं। मेरे दोस्त श्री देशपांडे शायद भूल गए हैं कि सपिंड और प्राहिविटिड डिग्रीज़ में की गयी मैरिज इन्सैस्चुअस मैरिज होती है—मामा की लड़की और मौसी की लड़की से मैरिज को हम सब इन्सैस्चुअस मैरिज मानते हैं। अव्वल तो शास्त्र ही इस बात को कहते हैं—और अगर वे नहीं भी कहते हैं, तो जैनेटिक्स की साइन्स कहती है। मेरे भाई गोत्र की बात कर रहे थे, लेकिन अगर सपिंड और प्राहिबिटिड डिग्रीज़ की इजाज़त दे दी गई, तो इस कोडिफिकेशन का क्या फ़ायदा होगा? इस कोडिफिकेशन का जो असली मकसद था, आप उसको काटने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप इन बातों की इजाज़त दें, जब कि शुरू में कोड बिल में कहा गया था कि इनकी इजाज़त नहीं होगी।

मेरे भाई ताना देते हैं कि इस बारे में हम से इलेक्शन लड़ लो। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम हिन्दू कोड बिल के सवाल पर इलेक्शन लड़ कर आए हैं। किस कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा है कि वह हिन्दू कोड के साथ नहीं है। हम उसके उसूल को मानते हैं—हां, उसकी डीटेल्ज़ में कोई गलती कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहिनों को पूरा राइट हासिल हो और उसके स्टेचर को रेज़ किया जाय। जिस मुल्क में औरतों का कद इतना छोटा सा होगा, वहां पर उस कौम की हालत क्या होगी? आज हर एक आदमी चाहता है कि हर मां, बहिन और बीवी को पूरे राइट्स मिलें। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, तो औरतों को बराबरी का हक देना चाहिए। जब तक औरतें फ़ाइनेन्शियली इंडीपेंडेंट नहीं होंगी, तब तक वे अपने स्टेचर को रेज़ नहीं कर सकेंगी। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी ही होगी कि औरतों को जायदाद का हक मिले। इस सिलसिले में मैंने दो अमेंडमेंट्स भेजे हैं कि औरत को बाई दि बैरी फैक्ट आफ़ मैरिज—शादी होने से ही—अपने खाविन्द की जायदाद में आधा हक मिलना चाहिए और जो सब्सीक्वेंट एक्वीज़ीशन्ज़ हों, तो वे जायंट हों। शायद श्री बृज किशोर दास ने कहा था कि इस बिल में राइट्स एंड आब-लिगेशन्ज़ इन्टर से का ज़िक्र नहीं है। मैंने उसके बारे में भी अमेंडमेंट भेजी है।

अगर इस देश के १८ बरस के बच्चों को बच्चे पैदा करने दिया जायेगा, तो हमें इस देश का मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आता। जब शारदा बिल हमारे सामने आया था, तो मने १९२८ में महात्माजी को तार दिया था कि इस बारे में अपनी राय दीजिए। उन्होंने फ़रमाया था कि पच्चीस बरस का मरद होना चाहिए और अठारह बरस की औरत होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहां पर इस तरह बूचंगड़े से बच्चे पैदा किए जायें। कम से कम उसकी उम्र बीस साल होनी चाहिए। लड़की के बारे में आपको अख्तियार है।

पंडित के० सी० शर्मा : पच्चीस वर्ष क्यों न हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इतना आइडियलिस्ट नहीं हूं। मैं एक बिल लाया था कि लड़की की उम्र चौदह से पन्द्रह कर दी जाये वह तो कर दी गई, लेकिन लड़के की उम्र अठारह से उन्नीस करना नहीं माना गया। गाडगील साहब ने कहा कि जब अठारह बरस का लड़का फ़ौज में जाता है, तो क्या वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि गवर्नमेंट ने ऐसा एटीट्यूट अख्तियार किया। मैंने कहा कि मैं कंट्री में जाऊंगा और कहूंगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है। मैं इस भवन के हर मैम्बर से दस्त-बस्ता अर्ज़ करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में तगड़े और मज़बूत बच्चे पैदा हों, जो कि देश के लिए ज़िल्लत का बायस न हों, तो वे मान लें कि लड़के की उम्र अठारह के बजाय बीस बरस कर दी जाय। अगर यही कस्टम के बारे में रवैया रहा तो मैं कहूंगा कि यह बिल सैबोटेज हो गया। हम तो समझते थे कि मैरिड रिलेशनशिप में अस्सी परसेंट की टाइज़ ज्यादा मज़बूत हो गई और प्योर लाइफ़ हो गई--यह नहीं कि जब चाहा, तब शादी का तार काट दिया। अगर यह नहीं हुआ, तो मुझे अफ़सोस होगा कि जो कोशिश हमने की, वह पूरी नहीं हुई। फिर भी मुझे उम्मीद है कि यह बिल कामयाब होगा और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।

मैं श्री वेंकटरामन् से इस बात में मुत्तिफ़िक नहीं हूं कि चूंकि यह बिल राज्य सभा से आया है और इस लिए अगर हमने इसमें तरमीम करदी, तो यह वापिस जायेगा और इसमें देर लग जायगी। जो कुछ हमने यहां पर कोशिश करनी है, हम उससे बाज़ नहीं रहेंगे। अगर कोई सही बात है, तो ज़रूर पास करनी चाहिए और अगर कोई गलत बात है, तो इसको ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, इसको पास कर दिया जाय।

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर उत्तर): मैं सर्वप्रथम यह निवेदन करूंगा कि माननीय विधि मंत्री ने सभी परिस्थियों और घटनाओं का, जिनके कारण सरकार ने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है और उसे संसद् के समक्ष पारित किये जाने के लिये रखा है, एक ऐतिहासिक पर्यवेक्षण किया है। वर्तमान विधेयक इस तथ्य पर आधारित है कि हिन्दू जाति में बहुत पहले से ऐसी रीति-रिवाज रहे हैं जो विवाह-विच्छेद की अनुमति देते थे। अतः वर्तमान विधान उन रीति रिवाज़ों का स्वाभाविक परिणाम है। साथ ही हमें यह भी देखना है कि सामान्य आधार पर विवाह-विच्छेद की अनुमति देने से हिन्दू जाति पर क्या प्रतिक्रिया होती है और उसकी एकता और उसके हित में यह कहां तक लाभदायक है।

वैदिक और पौराणिक काल में प्रचलित प्राधीन प्रथाओं और पद्धतियों के विस्तार में न जा कर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उस काल के समाज में, नारी को कुछ उचित निर्बन्धनों के साथ पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और उसका सम्मान किया जाता था। नारी का आदर किया जाता था और उसे अपना पति चुनने की पूरी पूरी अनुमति थी और यही पद्धति स्वयंबर पद्धति कहलाती थी।

अतः मैं यहां कह सकता हूं कि विधेयक के खंड ५ में दी गई आयु बहुत ठीक है। जहां तक खंड ५ से १० तक का सम्बन्ध है, उनके उपबन्धों के विषय में माननीय सदस्यों को संभवतः कोई आपत्ति नहीं है। वास्तविक मतभेद न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद के विषय में है। अतः इस विषय पर मेरी राय में सुधारकों का यह कहना है कि हम इतिहास की प्रगति को नहीं रोक सकते और कम से कम उन आधारों पर जो

[श्री कानावडे पाटिल]

वर्तमान विवाद अधिनियम में निर्दिष्ट किये गये हैं, विवाह - विच्छेद की अनुमति दी जानी चाहिये। वास्तविक रूप में इन अधिनियमों को कार्यान्वित करने से कुछ लोगों को सुविधायें हुई हैं और कुछ को असुविधायें हुई हैं। उदाहरण के लिये जिस महिला का सारे समाज के समक्ष शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार विवाह हुआ किन्तु परिवार में कुछ विशिष्ट कठिनाइयों के कारण उसे अपने पति से अलग हो जाना पड़ा और वैध पृथक्करण के पश्चात उसी पति से उसे बच्चे पैदा हुए, उस हालत में उन बच्चों का विधि में क्या स्थान होगा ? मेरा अपना अनुभव यह है कि हिन्दू द्विविवाह निवारण अधिनियम को लागू करने से कुछ सम्मानित परिवार को बहुत कठिनाई हुई है।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

जब हम ऐसा महत्वपूर्ण विधान लागू करने जा रहे हैं तो हमें बहुत धीरे धीरे बढ़ना चाहिये। मैं जानता हूं कि कुछ मामलों में विवाह-विच्छेद अवश्य ही वांछनीय होता है और विवाह-विच्छेद के लिये निर्धारित कुछ आधार समझ में आने योग्य है किन्तु सभी आधार मुझे मान्य नहीं है। विवाह-विच्छेद की रूसी विधि की तरह वर्तमान विधि में ऐसा उपबन्ध रखा जाना चाहिये कि जिससे न्यायाधीश दोनों दलों में समझौता करा सके। इसीलिये, जहां तक विवाह विच्छेद का सम्बन्ध है, हमें बहुत सावधानी से बढ़ना चाहिये। मुझे विश्वास है कि वर्तमान समाज में प्रायः प्रत्येक घर में प्रत्येक हिन्दू परिवार में, कुछ अपवादों को छोड़ कर, स्त्री गृह-लक्ष्मी समझी जाती है और उसका आदर और सम्मान किया जाता है। कम से कम गत २५ या ३० वर्षों म या गत शताबदी में हिन्दू जीवन पर पाश्चात्य सभ्यता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हम इसकी विवेचना करें कि पश्चिम में विवाह-विच्छेद पद्धति से समाज को कहां तक लाभ पहुंचा है अथवा वह यूरोप में सामाजिक विघटन का कारण बनी है।

इंग्लैण्ड में प्रत्येक दस मिनट में एक विवाह-विच्छेद हो जाता है। जेल भेजे जाने वाले प्रत्येक आठ व्यक्तियों में एक इसलिये जेल भेजा जाता है कि न्यायालय द्वारा पतियों के नाम निकाले गये पोषण व्यय तथा निर्वाह व्यय आदेश का वह भुगतान नहीं कर पाता है। यह दशा इंगलैण्ड की है जो एक प्रगतिशील और सभ्य देश होने का दावा करता है। अमरीका की दशा तो और भी गई बीती है।

हम कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक विवाह है। परन्तु यदि वास्तव में देखा जाये तो यह एक विवाह नहीं है। आप एक पुरुष को कितनी ही पत्नियां रखने की अनुमति देते हैं अन्तर केवल इतना ही है कि वह एक साथ कई पत्नियां रखने के स्थान पर एक के बाद दूसरी पत्नी को बदलता रहता है। हमारे समाज और हमारी सभ्यता के लिये यह उपयुक्त नहीं है। हमारे यहां तो वैसे भी एक विवाह की ही प्रथा है। कुछ जमींदार राजे महाराजे तथा महाजन भले ही एक से अधिक विवाह करने की सोचते हों परन्तु अन्य कोई भी व्यक्ति दुबारा विवाह करने की बात भी सोचता है जब कोई स्त्री बांझ हो या किसी गन्दी बीमारी से पीड़ित हो और वह भी अपनी पहली पत्नी या नाते रिश्तेदारों के कहने पर। हिन्दू विवाह विधान के कुछ उपबन्ध एच्छिक है। इस विधान में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका परस्पर विरोधी पक्ष अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

सामान्यतः ग्रामों म निवास करने वाले बहुत निर्धन होते हैं और मैं स्वयं जानता हूं कि कभी कभी ऐसे उपबन्धों का अनुचित लाभ उठाया जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता

है कि विवाह के बाद लड़की कुछ मास अपने पति के पास रहती है, उसके बाद किसी बहाने से रुपया लेकर विवाह करने वाला लड़की का पिता उसे अपने पास बुला लेता है और उसके बाद लड़की को पति के पास भेजने के स्थान पर विवाह-विच्छेद करने के लिये मामला तय्यार करता है। ऐसा नहीं होने देना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि विवाह विच्छेद के मामलों का निपटारा ऐसे न्यायाधीशों द्वारा कराया जाये जो कम से कम ज़िला न्यायाधीश के पद के हों।

इसके अतिरिक्त उन माताओं के लिये भी कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिये जिन के दो तीन से अधिक बच्चे हों और जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न हो। इस प्रकार की लाखों स्त्रियां हैं परन्तु राज्य उनकी कोई सहायता नहीं करता है। हमें यह देखना चाहिये कि माताओं की उपयुक्त देख भाल हो वहां जैसा कि सोवियत सरकार करती है। वहां की सरकार करोड़ों के रूबल इस कार्य पर खर्च करती है। मेरा निवेदन है कि दो तीन बच्चों की माताओं को हमारे इस विवाह विधेयक में स्थान दिया जाना चाहिये था।

आचार्य कृपलानी (भागलपुर व पूर्निया): मैं जानता हूं विधेयक तो पास हो ही जायेगा। मैं कुछ भी कहूं उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना वाद विवाद मैंने सुना है उस से मैंने अनुभव किया है कि इस सम्बन्ध में हम तर्क के स्थान पर भावना से अधिक काम ले रहे हैं। दोनों ओर से शास्त्रों के हवाले दिये जा रहे हैं परन्तु चूंकि शास्त्रों में परस्पर विरोध है इस लिये उनसे कोई सहायता नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में रिवाजों से भी हमें सहायता नहीं मिल सकती है। यदि हमें इसमें किसी चीज़ से सहायता मिल सकती है तो वह है समाज-शास्त्रीय अध्ययन जो हमें अपने देश में करना चाहिये। हमारे देश की अधिकांश जनता ग्रामों में निवास करती है। सवर्ण जातियों के हिन्दू समाज का जहा तक सम्बन्ध है यह कहना सर्वथा असत्य है कि पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर क्रूरता का तथा असमानता का व्यवहार किया जाता है। नीची जातियों में कभी पति पत्नी को पीटता है और कभी पत्नी पति को।

यदि हम अपने देश की नारियों की तुलना अन्य देश की नारियों से करें तो हम देखेंगे कि हमारे देश की नारियां किसी प्रकार भी दूसरे देशों की नारियों से पीछे नहीं हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर कितने ही कटरपंथी परिवारों की नारियां, उन परिवारों की नारियां जो सदा जी हुजूरी किया करते थे और विदेशी सरकार से सदा भय किया करते थे, भारी संख्या में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने के लिये निकल आईं। उन्होंने अपने पतियों की, पिताओं की तथा भ्राताओं की कोई भी चिन्ता नहीं की। क्या ये नारियां दासियां थीं? इसलिये यह कहना असत्य है कि हिन्दू समाज ने नारियों को सदा दबा कर रखा है। नारियों से हमारा अभिप्राय सदा पत्नियों से ही नहीं होना चाहिये। संसार के किसी अन्य देश में माताओं, तथा भगनियों को वह उच्च स्थान नहीं दिया गया है जो हमारे देश में दिय गया है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि बहुधा हमारे देश की नारियों के साथ भारी भारी अन्याय किये गये हैं परन्तु निन्न्यानवे प्रतिशत मामलों में इस अन्याय को करने वाली सासें रही हैं। जब कभी ऐसे उदाहरण आये हैं जिसमें अन्याय करने वाला पति हुआ है तो अधिकांशत: उसको ऐसा करने के लिये सास ही ने उकसाया है। नारी ही वास्तव में नारी सब से महान् शत्रु है। यदि किसी नारी के आचरण के विरुद्ध कोई अफ़वाह फैलती तो उसके फैलाने में भी पुरुषों से अधिक स्त्रियों का ही हाथ होता है।

[आचार्य कृपलानी]

वास्तव में यह प्रभाव संयुक्त परिवार का है । हिन्दू समाज संयुक्त परिवार पर आधारित है । कुछ व्यक्ति समझते हैं कि वे अब संयुक्त परिवार में नहीं हैं । परन्तु वास्तव में हमारी मनोवृत्तियां अब भी वही हैं जो पहले थीं । और यह संयुक्त परिवार केवल पिता के परिवार तक ही सीमित नहीं है वरन् साले सालियों का स्थान इसमें और भी ऊंचा है । यह स्त्री का ही प्रभाव है ।

परन्तु, साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह संयुक्त परिवार युवा वधू के लिये केवल अभिशाप ही नहीं ह वरन् एक वरदान भी है । यदि पति कमाता न हो, तो संयुक्त परिवार उसका तथा उसके बच्चों का भरण पोषण करता है । मान लीजिये उस युवा वधू का पैर ऊंचा नीचा पड़ जाता है तो ऐसी दशा में उसकी सास घर के अन्दर उससे चाहे जो कुछ भी कहे परन्तु बाहर वालों के सामने सदा उसका पक्ष ही लेती है क्योंकि यह परिवार की मर्यादा का प्रश्न होता है । हम कांग्रेस वालों का स्वयं यही अनुभव है जब हम जेल जाते थे तो हमारी स्त्रियों और बच्चों की देखभाल कौन करता था ? हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि हमने त्याग किया त्याग तो वास्तव में हमारे परिवार का था । हमारे परिवार वाले हम से सहमत नहीं थे, फिर भी हमारे जेल चले जाने पर उन्होंने हमरी स्त्रियों बच्चों की देखभाल की ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आज व्यक्ति की रक्षा राज्य नहीं करता है, उसकी रक्षा करने वाला संयुक्त परिवार ही है । आज हमारे देश में इतनी बेकारी फैली हुई है, ग्रामों में कितने थोड़े व्यक्तियों के पास काम या रोज़गार है, किसी अन्य देश में ऐसा होता तो लोग भूखमरी के कारण मरने लगते परन्तु आज यदि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है तो इसका कारण यही है कि संयुक्त परिवार उनकी सहायता करता है । हमें तथ्य को स्वीकार करना चाहिये । आप चाहते हैं तो विवाह विच्छेद का उपबन्ध बनाइये । परन्तु जब तक आप संयुक्त परिवार से लाभ उठायेंगे आपको अपनी स्वतन्त्रता पर संयुक्त परिवार का बंधन भी स्वीकार करना पड़ेगा । हमारी सरकार व्यक्तियों को—स्त्री पुरुषों को—सुविधायें तो देती नहीं है और बात उनमें समता स्थापित करने की कहती है । जब तक संयुक्त परिवार है कोई समता नहीं हो सकती है । मैं संयुक्त परिवार का समर्थक नहीं हूं संयुक्त परिवार के भीतर मैंने कभी जीवन निर्वाह भी नहीं किया है फिर भी जो बात है उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । भाई भतीजेवाद की यह सारी मनोवृत्तियां संयुक्त परिवार ही का परिणाम है ।

फिर हमारे सोचने की बात यह है कि हमारा देश प्रजातन्त्र का हामी है । प्रजातन्त्र की दो विशेषतायें हैं, एक तो यह कि हम जो विधान बनायें जनता को हमने उसके पक्ष में कर लिया हो और दूसरी बात यह कि हमें ऐसे विधान बनाने चाहियें जो जनता द्वारा दुराचारपूर्ण न समझे जायें । यदि इस दृष्टि-कोण से देखा जाये तो अधिकांश हिन्दू नारियां विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं ।

फिर भी किसी सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसे विधान बना कर, जो जनमत से थोड़ा आगे बढ़े हुए हों, समाज का सुधार करे । ऐसा अधिकार चाहे प्रजातन्त्रात्मक न हो परन्तु नैतिक अवश्य हैं ।

इस विधेयक के तीन मुख्य सिद्धान्त है—पहला एक विवाह, दूसरा अन्तर्जातीय विवाह तथा तीसरा विवाह-विच्छेद । जहां तक एक विवाह का सम्बन्ध है यह विधान पूर्णरूप से प्रजातन्त्रात्मक ह क्योंकि जनमत उसके पक्ष में है । अन्तर्जातीय विवाहों का जहां तक

सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि लोकमत यह है कि हिन्दू धर्म में अन्तर्जातीय विवाहों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये ।

हम कहते हैं कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है । परन्तु कोई क्या है इसकी पहचान उनके कथन से नहीं वरन् उसके कार्यों से की जाती है हम जानते हैं कि हिन्दू नारियां विवाह विच्छेद के उपबन्ध के इतना पक्ष में नहीं हैं जितना कि मुसलमान नारियां एक–विवाह के पक्ष में हैं, फिर भी एक विवाह सम्बन्धी उपबन्ध हमने केवल हिन्दुओं के लिये ही बनाया है । इससे स्पष्ट ह कि केवल महासभा ही नहीं हमारी सरकार भी साम्प्रदायिक है ।

अब हमें देखना यह है कि क्या विवाह विच्छेद के उपबन्ध से हमारे देश की नारियों को लाभ होगा । सभी सवर्ण जातियों में दहेज की प्रथा है और यह दहेज कभी कभी पचास साठ हज़ार तक का होता है । पति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, ऐसे प्रमाण उपस्थित करेगा कि जिससे अपनी पत्नी से विवाह-विच्छेद प्राप्त हो जाये और फिर दहेज की राशि को डकार जायगा । उसके बाद फिर विवाह करेगा और फिर दहेज लेगा । हमारी नारियां आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी है नहीं और फिर कहीं यदि उनके एक दो बच्चे भी हुए तो वह कहां जायगी सिवाये इसके कि ठोकरें खाती फिरें । क्या आप समझते हैं कि भारत में परित्यक्ता नारी को दूसरा पति मिल जायेगा ? कोई बहुत ही पढ़ी लिखी नारी हो तो बात और है परन्तु साधारण नारियों के लिये तो कठिन है । हमारे देश में तो खाना भी छू लेने से झूठा हो जाता है, फिर नारी की बात ही क्या है । ऐसी नारी से कौन विवाह करने को तय्यार होगा जो कुंवारी न हो । इसलिये वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि आप विवाह-विच्छेद का विधान पारित करना चाहते हैं तो ऐसा अधिकार केवल नारियों को ही प्राप्त होना चाहिये, पुरुषों को यह अधिकार किसी प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये । जब आर्थिक समता और जनता के लिये सामाजिक, सुरक्षा स्थापित न हो जाये और संयुक्त परिवार समूल नष्ट भ्रष्ट न हो जाये तब तक तो कम से कम ऐसा ही होना चाहिये, अन्यथा विपदाओं का सबसे अधिक शिकार नारियों को ही बनना पड़ेगा ।

समवाय विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पटेस्कर): मैं समवायों तथा कुछ अन्य संथाओं से सम्बन्धि विधि को संहिताबद्ध तथा संशोधित करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

हिन्दू विवाह विधेयक—जारी

श्री भक्त दर्शन (ज़िला गढ़वाल-पूर्व व ज़िला मुरादाबाद-उत्तर पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं लेकिन कुछ संशोधनों और कुछ शर्तों के साथ । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह समझते हैं कि हमारे समाज को समय की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना चाहिए और हमारे कानूनों में समय समय पर परिस्थितियों के अनसार संशोधन होते रहने चाहियें । यह जो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति से होकर और राज्य सभा से स्वीकृत होने के बाद इस सदन में आया है इसमें तीन मुख्य बातें हैं :—

पहली बात तो इस में जाति भेद को समाप्त करके हिन्दुओं में आपस में विवाह करने की है ।

दूसरी बात जो इस में की
एक पती और एक पत्नी की की जा रही है ।

तीसरी चीज़ जो इसमें है वह है विवाह विच्छेद (डाइवोर्स) के मुताल्लिक ।

[श्री भक्त दर्शन]

जहां तक प्रथम और दूसरी बात का प्रश्न है मैं समझता हूं कि देश के सब लोग इन दोनों बातों का पूरी तरह से समर्थन करते ह और बहुत वर्षों से इसकी आवश्यकता अनुभव भी की जा रही थी कि सारे देश के लिए इस तरह का एक कानून बनाया जाये, ताकि सब राज्यों को, सब नर और नारियों को इससे लाभ हो सके ।

इतना कहने के बाद अब मैं तीसरी बात जो कि विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में है उस पर अपने विचार रखने से पहले विधि मंत्री महोदय के ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनका इस विधेयक में उल्लेख नहीं है । पहली बात तो धारा ५ के सम्बन्ध में है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि वर और वधू की आयु कम से कम १८ और १५ वर्ष क्रमशः हो । जैसा कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास जी भार्गव ने कहा कि संयुक्त प्रवर समिति ने यह सुझाव दिया था कि कम से कम वर की आयु २१ वर्ष और वधू की १६ वर्ष होनी चाहिये और मैं भी यही चाहता हूं लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि राज्य-सभा ने उसमें यह संशोधन क्यों कर दिय ? इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें फिर से संशोधन कर दिया जाये और यह व्यवस्था कर दी जाये कि वर की आयु विवाह के समय २१ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये और वधू की १६ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस विधेयक में न्यूनतम आयु की व्यवस्था की जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें यह भी व्यवस्था कर दी जाये कि अधिक से अधिक क्या आयु होनी चाहिये जिस आयु तक की कोई विवाह कर सकता है । पश्चिमी देशों में बड़ी बड़ी उम्र में शादी हुआ करती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि एक निश्चित आयु के बाद किसी का विवाह नहीं हो सके जहां तक मुझे मालूम है बड़ौदा राज्य में इस तरह का एक विधान था कि ४५ वर्ष के ऊपर कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हम १८ या २१ वर्ष की न्यूनतम आयु रखना चाहते हैं तो हमें अधिकतम आयु का भी विधान लाना चाहिए । आज के दिन हम देखते हैं कि ६० और ७० वर्ष के बूढ़े लोग भी शादी करने को उत्सुक रहते हैं और इसलिए अधिकतम आयु की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि इस आयु का आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा ।

दूसरी बात जो कि मुझे समाज सुधार की दृष्टि से बहुत ,आवश्यक मालूम होती है वह यह है और जैसा कि अभी आचार्य कृपलानी जी ने बतलाया कि हमारे पुरुष लोग अपनी पत्नियों को तलाक देकर विवाह के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे और वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वे बिल्कुल कुमारी कन्याओं से विवाह कर लें, ऐसा न होने देने के लिए मैं उचित समझता हूं कि यह भी विधान होना चाहिये कि अगर हम वास्तव में समाज सुधार करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने तलाक दे रक्खा है या जो विधुर हो चुके हैं, वे लोग केवल विधवा स्त्रियों और तलाक़ दे दी गयी स्त्रियों से ही शादी कर सकें ।

आदरणीया श्रीमती जयश्री राय जी ने भी अभी उल्लेख किया और मैं माननीय विधि मंत्री जी से पूछता हूं कि जब सारी विवाह व्यवस्था में संशोधन करना चाहती हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि दहेज़ की प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं पारित किया जाता ? दहेज़ की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक गैर सरकारी प्रस्ताव महीनों पहले इस सदन में लाया गया था और उस अवसर पर सरकार की ओर

से आश्वासन दिया गया था कि हम दहेज़ की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए जल्दी क़ानून लाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत उपयुक्त अवसर है और इसी विधेयक के अन्दर दहेज़ व कन्या विक्रय के बारे में भी कोई प्रतिबन्ध रख दिया जाय। बहुत से लोग अब यह समझने लगे हैं कि दहेज़ की प्रथा इस देश से समाप्त हो चुकी है, दहेज़ रूपी शैतान आज भी हमारे समाज में विद्यमान है और आए दिन अप्रिय और दुखद घटनाएं होती रहती हैं जब हम सुनते हैं कि दहेज़ की बलिवेदी पर फ़लां लड़की कुर्बान हो गयी और बंगाल की स्नेहलता की कहानी अकेली एक कहानी नहीं है बल्कि अनेकों स्नेहलताओं की कहानियां हमें सुनाई पड़ती हैं

हमारे इस देश के पर्वतीय इलाक़ों में और बहुत से पिछड़े हुये इलाक़ों में कन्याओं की बिक्री करने की प्रथा आज भी जारी है, कन्या शुल्क लिया जाता है और मैं इस कुप्रथा का अन्त कराने के लिए और उसको रोकने के लिए आवश्यक संशोधन लाने का विचार कर रहा हूं।

जहां तक विवाह विच्छेद का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत महत्व-पूर्ण और क्रान्तिकारी क़दम होगा। जिन लोगों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं, उन दोनों पक्षों के विचारों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर वह वर्ग है, मेरे मित्र श्री नंद लाल शर्मा जी की तरह का जो कि विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और जो ऐसा समझते हैं कि अगर विवाह विच्छेद को किसी भी शर्त के साथ मान्यता दे दी जायगी तो आकाश गिर पड़ेगा या पृथ्वी आकाश में समा जायगी, लेकिन मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इस वर्तमान समय में भारतीय नारी की जो जो दशा है, उसका अध्ययन करना चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त ने "साकेत" में भारतीय नारी का इस तरह चित्रण किया गया है।

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल म दूध और आंखों में पानी॥

भारतीय हिन्दू रमणी का सम्पूर्ण जीवन ही एक करुणा की एक गाथा है, उसके पास अपने बच्चों के लिए वात्सल्यपूर्ण ममत्व है और भारतीय नारी का जीवन हमेशा रोते और कलपते ही बीतता है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें इस तरह का विधान में संशोधन करना चाहिये और क़ानून बनाना चाहिये जिससे महिलाओं का जीवन जो कष्टमय और दुःखमय है, उससे उन्हें छुटकारा मिले और राहत मिले।

आज हमारे समाज में कन्यादान की प्रथा प्रचलित है। कन्यादान का मतलब यह होता है कि हमने अपनी कन्या को एक सम्पत्ति मान लिया है और जिस तरह से हम गाय, बकरी या और सम्पत्ति का दान देते हैं, उसी तरह अपनी कन्याओं को दान में दे देते हैं। आज शिक्षित समाज में यह प्रथा नहीं चल सकती। आज विवाह के मामले में वर और वधू की सम्मति लेना आवश्यक है और ली जानी चाहिए लेकिन साथ ही मैं इसका हामी नहीं हूं कि उनको इतना अधिकार और स्व-तन्त्रता दे दी जाये कि वह कोर्टशिप करती फिरें लेकिन वर और वधू की सम्मति विवाह में ज़रूर लेनी चाहिए और उस हालत में उनका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। विवाह विच्छेद के विरोध में यह भी कहा गया है कि प्राचीन ग्रन्थ इसके लिए इजाज़त नहीं देते हैं, मैं इसे सही नहीं समझता, लेकिन मैं इसके बारे में बहस न करते हुए केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में उस प्रथा का

[श्री भक्त दर्शन]

ज़िक्र किया है जिसको कि नियोग कहा जाता है और नियोग की व्यवस्था किन्हीं ख़ास ख़ास परिस्थितियों में हमारे वहां मान्य थीं . . . .

श्री नन्द लाल शर्मा : वह शास्त्र नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : शास्त्र नहीं है, पर वेदसम्मत है, अब इसमें अपना अपना दृष्टि-कोण है। दूसरी ओर हमारे देश के अन्दर और इस सदन में भी बहुत से ऐसे माननीय सदस्य आये हैं जिनकी आंखें पश्चिमी प्रकाश से चका-चौंध हो गयी हैं और जिन्हें अपने देश की प्राचीन परम्परा और व्यवस्था के अन्दर कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती। मुझे वह बात याद है जो आज से कुछ दिनों पहले इसी सदन में हमारी माननीया सदस्या श्रीमती सुभद्रा जोशी ने इस विषय पर बोलते हुए कही थी कि हिन्दू महिलाओं का जीवन अभी तक वेश्या-वृत्ति का जीवन रहा है, प्रॉस्टिट्यट्स का जीवन उनका है।

श्री वी० जी० देशपांडे : शेम, शेम।

श्री भक्त दर्शन : सीता और सावित्री की उत्तराधिकारिणी एक भारतीय महिला के मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना सारे हिन्दू समाज के लिए कलंक की बात है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि आज भारतीय नारियों का जीवन बड़ा दुखमय है, लेकिन उसका वेश्यावृत्ति से तुलना करना, मैं समझता हूं कभी भी और किसी भी हालत में उचित नहीं है। इसी तरह के अनधिकारपूर्ण या इसी तरह के उत्तेजनापूर्ण शब्दों के द्वारा हम जो समाज के अन्दर सुधार की भावना लाना चाहते हैं, उसके प्रतिकूल एक नई धारा पैदा होती है और मैं यह अनुरोध करूंगा, जैसा कि मेरी बहिन श्रीमती सुचेता कृपलानी ने मुझ से पहले कहा है कि हमें इस देश में समाज सुधार की भावना लाते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जो हमारे विपक्षी लोग हैं और जो हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं उन्हें हमको नीचा दिखाने का बहाना (हैंडल) मिल जाये।

इस विधेयक में मझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बात की कोशिश की गई है कि विवाह विच्छेद की जो व्यवस्था रक्खी जा रही है उसका प्रयोग करने का कम से कम अवसर आने पाय, उस पर कड़े से कड़े प्रतिबन्ध लगाये जायें और एक सुनहरा मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन मेरी नज़र में इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं जिनकी ओर मैं समझता हूं कि हमें ख़ास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे बहुत सी शिक्षित महिलाओं से बातचीत करने का अवसर मिला है और समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सी शिक्षित महिलाओं के अन्दर भी यह आशंका है कि जिस दिन यह कानून बन जायेगा तो बहुत सी स्त्रियों के पति जो आजकल की नई रोशनी की चकाचौंध में आ चुके हैं, वे अपनी पत्नियों को तिलांजलि दे दगे, तलाक़ दे देंगे, मेरी सम्मति में इस विधेयक में ऐसा विधान होना चाहिए ताकि उसका अवसर कम से कम आये। हम देखते हैं कि इसकी जो धारा १४५ है, उसके अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि विवाह के तीन वर्ष तक तलाक़ के बारे में कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन इसके साथ में कुछ ऐसी छूटें दी गयी हैं कि उन परिस्थितियों में तलाक़ या विवाह विच्छेद के बारे में आवे-दन पत्र दिया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि जो उसमें व्यवस्था या सुविधा दी जा रही है, उसको हटाया जाना चाहिए, और हमें इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। जब एक बार विवाह हो चुका तो कम से कम तीन वर्ष तक तो दोनों जने मिल जुल कर रहें और देखें कि मिल कर रह सकते हैं या नहीं और जीवन रूपी गाड़ी के ये दो पहिये साथ साथ गाड़ी को

खींच सकते हैं या नहीं, अगर तीन वर्ष तक इस तरह का प्रयत्न करने के बाद भी यह मालम पड़े कि उनका साथ साथ चलना असम्भव है और वे एक साथ नहीं रह सकते तभी वह विवाह विच्छेद के लिए अदालत में जायं और अपनी इच्छा को प्रकट करें।

इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसमें एक धारा रक्खी गई है कि अगर अदालत चाहे या दो पार्टियों में से एक पार्टी चाहे तो इस सम्बन्ध के मुकद्दमों की जितनी कार्यवाही होगी, उसको इन कैमरा किया जायगा और सारी कार्यवाही को गोपनीय रक्खा जायगा। मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन होना चाहिए कि अनिवार्य रूप से इस तरह की अदालती कार्यवाहियां गोपनीय होनी चाहिएं। पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों में आये दिन पेज के पेज भरे रहते हैं और हमारे देश में भी मैं समझता हूं कि इस तरह के जो मुकद्दमे होते हैं, उनको लोग बड़ी दिलचस्पी और ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो कार्यवाहियां हैं उनको प्रोत्साहन न देने का एक तरीक़ा यह भी है कि समाचार पत्रों में उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं छपना चाहिए और गोपनीय ढंग से उनकी सुनवाई हो।

एक बात मुझे अन्त में, सभापति महोदय, यह कहनी है कि विवाह विच्छेद की सुविधा के सम्बन्ध में इसके विरोध में जो प्रचार देश के अन्दर किया जा रहा है, उसके मुकाबले में इस कानून को समझाने के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया ताकि पब्लिक के दिल में जो तरह तरह की इस कानून के बारे में गलतफ़हमियां फैली हुई हैं, उनको दूर किया जा सके। आज मैं देखता हूं कि अख़बारों में तरह तरह की गलतफ़हमियां फैलाई जाती हैं, मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करूंगा कि इस विवाह विधेयक के क़ानून बन जाने के बाद उन्हें जितने अपने प्रचार यंत्र हैं और मशीनरी है, उसके द्वारा जनता में इसके सम्बन्ध में प्रचार करना चाहिए और हमें लोगों को यह समझाना चाहिए कि इस विवाह विधेयक का यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के विच्छेद को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम कम से कम अवसरों पर इस विच्छेद के अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। जहां पर कोई बहुत ज्यादा अत्याचार का मामला हो या आपस में पति पत्नी के रूप में रहना बिल्कुल ही असम्भव हो गया हो, वहां पर इसका प्रयोग करने का अधिकार दिया जा रहा है।

इस क़ानून की धारा २९(२) में यह बताया गया है कि यह क़ानून तो बना दिया गया लेकिन जो पुराने रीति रिवाज हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करूंगा कि अगर यह धारा इसमें रहने दी जाती है तो मुझे डर है कि कम से कम ८० प्रतिशत इसका प्रभाव समाप्त हो जायगा। अगर इस धारा को रहने दिया गया तो जौनसार—बावर और दूसरे क्षेत्रों में जो बहुपतित्व की प्रथा है उसको मानने वाले इसकी शरण ले सकते हैं कि यह तो हमारी पुरानी प्रथा में है, हम इस कस्टम को मानते हैं और हम पर यह कानून लागू नहीं हो सकता। इस तरह से तो हमने इस कानून को ही बेमान बना दिया।

इसी तरह से बहुत सी आदिम जातियां भी हैं, जैसा कि पंडित ठाकुर दास जी ने फरमाया, उनमें भी थोड़े से कारणों से तलाक आपस में हो जाया करता है। मैं समझता हूं कि तलाक को इतना सरल नहीं बनने देना चाहिये। इस लिये विधि मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि वे इस पर सोचें और इस धारा २९(२) को निकाल कर इस बिल को सब के लिये लागू करें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि हम सारे देश के लिये एक प्रकार के कानून बना सकें, वह पूरा हो सके।

[श्री भक्त दर्शन]

सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं और अन्त में केवल यह शब्द कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के स्वीकृत हो जाने से मैं कभी यह आशंका नहीं करता कि हमारी महिलाओं के सामने जो सीता और सावित्री के उज्जवल उदाहरण हैं वह उनकी आंखों से ओझल हो जायेंगे। हमारा देश आज भी इतनी विपत्तियों का सामना करने के पश्चात् भी जीवित है क्योंकि आज भी लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हमारी स्त्रियां पुराने ढंग से रह रही हैं। और अपने पतियों से प्रेम कर रही हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद भी जसा कि बहिन उमा नेहरू जी ने कहा, हमारी स्त्रियां सीता और सावित्री के आदर्श को नहीं भूलेंगी और पुरुष भी राम का उदाहरण सामने रख कर उनका अनुसरण करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सशर्त समर्थन करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : आचार्य कृपलानी के भाषण को सुनकर मुझे यह दृढ़ निश्चय हो गया ह कि स्त्री जाति की सुरक्षा के लिये यह विधान अत्यावश्यक है। मानव भगवान् की प्रतिमूर्ति है तथा उसे इतनी उन्नति करनी चाहिये जिससे कि वह स्वयं भगवान् बन जाये। मेरे कई मित्रों ने वेदों के उदाहरण दिये जो कि ४००० ई० पू० से २००० ई० पू० के हैं परन्तु मानवता उससे भी कहीं अधिक प्राचीन है। इसलिये हमें पूर्व वैदिक काल पर ध्यान देना चाहिये। उस काल में स्त्रियां सामुहिक रूप से सभी पुरुषों को पति समझती थीं तथा इसी प्रकार के आपसी सम्बन्ध थे। वैदिक काल में मानवता का विकास हुआ परन्तु इस विकास के समय, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही अधिकार प्राप्त रहे जिनका उन्होंने दुरुपयोग किया क्योंकि मानव की मनोवृत्ति इस प्रकार की है कि अधिकार प्राप्त होने पर वह स्वार्थ के वशीभूत होकर सभी वस्तुओं को अपने उपभोग तक ही सीमित रखता है। और मेरे विचार से तब अवनति का प्रारम्भ हुआ अर्थात् उन्होंने विपक्षियों को इतनी अवनति की जहां से उनका पुनः उठना असम्भव प्रतीत होने लगा। श्री जगजीवन राम ने भी वेदों के उदाहरण दिये परन्तु उन्हें तो वेदों पर गर्व नहीं होना चाहिये क्योंकि उनको तथा उनके पूर्वजों को कभी भी वेद नहीं पढ़ने दिये गये थे। श्री चटर्जी तथा श्री पाटस्कर आदि को वेदों पर गर्व हो सकता है परन्तु उन व्यक्तियों को जिनको वेदों तथा स्मृतियों का दर्शन भी दुर्लभ था, इन पर गर्व नहीं होना चाहिये।

क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों ने अपनी एक उक्ति 'नन्दान्तं क्षत्रियकुलम' के द्वारा इस उच्चता से गिरा दिया। इस प्रकार मूलतः समाज के दो वर्ग हो गये एक पुजारियों का तथा दूसरा शूद्रों का। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की सामाजिक विधि के द्वारा हमें असमानता को दूर करना चाहिये।

मैं श्री देशपांडे तथा श्री चटर्जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उनकी धारणा यह है कि शास्त्रों के अन्तर्गत मानव समाज की प्रगति हुई है ? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, मानवता का विकास अपने आप तथा क्रमशः होता रहा है। और जो तथ्य एक काल के लिये ठीक होता है वह सभी कालों के लिये ठीक नहीं होता है और हम उसको उसी प्रकार छोड़ देते हैं जैसे कि 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' अर्थात् हम जीर्ण वस्त्रों को त्याग देते हैं।

इस प्रकार पुरानी रूढ़ियों के आधार पर हमें अपने भविष्य का गठन नहीं करना क्योंकि उनको हम छोड़ चुके हैं। इसलिये ये शास्त्र हमारे उसी समाज की ओर इंगित करते हैं जब राजा राज्य किया करते थे और लोगों का दैवी अधिकार पर विश्वास था। 'तां विष्णुः पृथ्वि पति।

इस प्रकार ब्राह्मणों ने राजा को दैवी शक्ति का प्रतिरूप घोषित करके अपने पक्ष में मिलाया और इन दोनों ने मिल कर वैश्यों तथा शूद्रों को खूब पीसा। उस समय ब्राह्मण और ऋषि विधान बनाते थे और वह विधान उनकी सत्ता को बनाये रखने और उन्हीं के हाथों में समस्त शक्ति को रहने देने के लिये बनाये जाते थे। इसलिये हमें इन शास्त्रों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये।

पहले पुरुषों के समान स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था परन्तु बाद को केवल इसलिये कि कहीं पुरुषों का महत्व कम न हो जाये स्त्रियों की दशा शूद्रों के समान ही बना दी गई।

सामन्तशाही का परिणाम रहा है आपसी युद्ध, निरक्षरता, अज्ञान और स्त्रियों की गुलामी और पराधीनता। इस विदेशी सत्ता के गुलाम बनने पर उसने हमको प्रजातन्त्र का मंत्र सिखाया और हमने सामन्तशाही के चंगुल से निकल कर प्रजातन्त्र को समझा है इसलिये सामन्तशाही के प्रतीक वेदों तथा शास्त्रों से अब हमें छुटकारा पाना चाहिये। प्रजातन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को मनचाही सरकार पसन्द करने का अधिकार है, यदि वह चुनाव गलत करता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना होता है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि राज्य संचालन के कार्य में अभी निपुण नहीं हो पाये हैं इसलिये वयस्क मताधिकार न दिया जाये। परन्तु तो भी वह मिला और हमने सही या गलत सरकार का चुनाव किया। अब स्त्रियों को भी अधिकार मिलना चाहिये। हमने उनको पर्याप्त अधिकार में रखा है।

यह संसार भावनाओं पर आधारित है। पति पत्नि को और बच्चा मां बाप को प्यार करता है तथा यह भावनायें मृत्यु के पश्चात् अथवा संसार की समाप्ति के पश्चात् ही नष्ट हो सकती हैं। यह भावनायें इस विधेयक से प्रभावित नहीं होती है विवाह विच्छेद का नियम भी रहने देना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं है कि विधान बनते ही प्रत्येक स्त्री विवाह विच्छेद करना प्रारम्भ कर देगी। महासभा ने बार बार कहा है शस्त्रास्त्र अधिनियम को निरसित कर दिया जाये क्या इस अधिनियम के निरसित होते ही चारों ओर गोलियां चलने लगेंगी।

हमारे संविधान म कुछ आपात उपबन्ध रखे गये हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार का उपबन्ध करना आपात स्थिति को प्ररूप देना है। हम अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यकों के अधिकार के मानते हैं। अल्पसंख्यकों को महिलाओं क समान अधिकार मिलने चाहियें। यदि हम प्रेम करेंगे तो स्त्रियां भी हम अवश्य प्रेम करेंगी क्योंकि स्त्रियों को केवल प्रेम ही चाहिये तथा वह प्रेम की साकार प्रतिमा होती हैं। इसलिये उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिये जिससे कि वे अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकें। उन्हें स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये क्योंकि हम स्वयं स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करते रहे हैं तथा यही हमारा उद्देश्य है।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : मेरा विचार है तथा मैं समझता हूं कि हिन्दू विवाह पद्धति एक आदर्श पद्धति है। इस सम्बन्ध में मैं याज्ञवल्क्य से तथा श्री जवाहरलाल नेहरू के बीच के काल के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इस काल के प्रेम, आदर्श विवाहों तथा असफल विवाहों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर केवल इतना कहूंगा कि यह विधेयक एक ओछा और छिछोरा विलेख है—इससे केवल बात का आभास मिलता है और वह है शरीर की भूख। यह मैं मानता हूं कि हम इससे ऊपर नहीं उठ सके हैं। आज का ब्राह्मण समाज अधोगति को पहुंच चुका है यह मैं जानता हूं परन्तु मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन इस संसार में बौद्धिक कुलीनता का फिर प्रादुर्भाव होगा और मानव को ईश्वर के समक्ष नहीं उससे भी श्रेष्ठस्तर पर रखा जायेगा।

[श्री लोकनाथ मिश्र]

मैं शास्त्रों में विश्वास नहीं करता हूं तथा मेरा विचार है कि मनुष्य शास्त्रों से कहीं अधिक उच्च तथा पवित्र है। यह समस्या अधिकारों की नहीं है परन्तु आवश्यकताओं की है तथा आवश्यकताओं का अन्त भी निश्चित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का जन्म होता है तथा उसकी मृत्यु होती है तथा इस काल में उसे इन नियमों पर चलना चाहिये। क्या सरकार तथा माननीय मंत्री मुझे बतायेंगे कि जिस जीवन को उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है उससे जीवन के प्रति दार्शनिक विचार क्या है। कुछ आदर्श हो सकते हैं परन्तु मैं तो केवल एक आदर्श को ही जानता हूं और वह पश्चिम का आदर्श है और उसमें जीवन का स्पन्दन पाया जाता है और वह आदर्श है साम्यवाद का। साम्यवाद धीरे धीरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। उसमें एक निश्चित विचार-धारा है उसमें जीवन का स्पन्दन है। इस प्रकार के आदर्श का किसी न किसी दिन मुकाबला करना होगा, धर्मान्धता से नहीं अपितु मनोबल से। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि विवाह केवल आनन्द के लिये नहीं होता है प्रत्युत्त उसमें सामाजिक सुधार भी होता है विवाह के द्वारा दो व्यक्ति मिल कर प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। तथा यही आपसी सम्बन्ध होना भी चाहिये।

मैं विवाह विच्छेद का विरोधी नहीं हूं क्योंकि जब दो व्यक्तियों में विरोध उत्पन्न हो जाता है तो उनको कोई भी एक साथ नहीं रख सकता है। इस बन्धन से मुक्त होने के लिये आपने कई शर्तें दी हैं। मेरा निवेदन है कि शर्तों की क्या ज़रूरत है, वे केवल इतना कह कर कि अब हमें अलग अलग रहना चाहिये, अलग हो सकते हैं। सर्वोत्तम तरीका यही है। उन्हें न्यायालय में जाने की क्या आवश्यकता है। विच्छेद के लिये उन्हें क़ानून का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है? प्रेम ने उन्हें मिलाया तथा जब प्रेम ही नहीं रहा तो एक साथ रहना कैसा?

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं इसके द्वारा केवल बहु-विवाह पर नियंत्रण लगता है। यह अच्छा है परन्तु जैसा कि मैंने बताया जीवन के जिस आदर्श की ओर इसका निर्देश है वह मुझे स्वीकार नहीं है। परन्तु फिर भी जो इस विधेयक का समर्थन करते हैं उन्हीं के लिये मैं इसका समर्थन करता हूं तथा केवल यही कहना चाहता हूं कि विवाह-विच्छेद यथासम्भव आसान होना चाहिये।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर-उत्तर) : इस विधेयक के गुण दोषों पर चर्चा न करके, माननीय सदस्यों ने अधिकतर भावनाओं के आधार पर चर्चा की है। कुछ ने शास्त्रों के उदाहरण दिये तथा कुछ शास्त्रों के एकदम विरोधी थे। मई दिवस के उपलक्ष में दिय गये एक भाषण में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि जो व्यक्ति इस विधयक के विरोधी हैं उन्होंने अधिकतर मनु तथा याज्ञवल्क्य के उदाहरण दिये हैं परन्तु वे केवल ऋषि के तथा जो कुछ उन्होंने कहा उसके अनुसार आधुनिक समाज को नहीं बनाया जा सकता है। मुझे इस विधेयक की आलोचना इस सिद्धान्त पर नहीं करनी है अपितु वैज्ञानिक आधार पर मैं इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आचार्य कृपलानी ने इसे एक विश्व व्यापी महत्व का विषय बताया है। सभा को उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

मेरा अनुभव है कि पश्चिमी देशों की स्त्रियां अधिक प्रगतिशील हैं। मैं इंगलैण्ड के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। प्रतिवर्ष होने वाले प्रत्येक २५ विवाहों में से एक में विवाह विच्छेद अवश्य हो जाता है। अमरीका प्रत्येक चार विवाहों में से एक में विवाह विच्छेद हो जाता है।

'एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में अमरीका के बारे में बताया गया है कि वहां विवाह-विच्छेद का सब से अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है और उनमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ गई है।

अब मैं इस सम्बन्ध में रूस, चीन और जर्मनी जैसे देशों के अनुभव बताऊंगा। मैंने उन देशों में देखा है कि बहुत थोड़े से मामलों में विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाती है और अधिक से अधिक इस बात की कोशिश की जाती है कि दोनों में मेल स्थापित हो जाये। यदि सारे प्रयत्नों के उपरान्त भी मेल स्थापित नहीं होता और विवाह विच्छेद की अनुमति देनी पड़ जाती है, तो प्रत्येक पक्ष को २०० से ५०० रूबल तक देने पड़ते हैं। जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं समझता हूं कि वे विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि बच्चों पर कोई प्रभाव पड़े, क्योंकि वे देश की भावी आशा हैं। परिवार के भंग होने का परिणाम यह होगा कि बच्चे अपराधी हो जायेंगे और उनका विकास रुक जायेगा। अतः, मैं कहता हूं कि हमें बच्चों के हितों की ओर प्रथम ध्यान देना चाहिए और यहां पर विवाह-विच्छेद का उपबन्ध नहीं करना चाहिए केवल यह सोचकर ही कि पश्चिमी देश प्रगतिशील हैं, हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुभव यह बताता है कि विवाह विच्छेद की प्रथा प्रत्येक देश में असफल रही है और उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं।

डा० राधा विनोद पाल, जो कि देश के एक महान् पुरुष हैं, उन्होंने भी संसार के प्रत्येक देश के अनुभव के आधार पर इस विवाह विच्छेद की प्रथा का विरोध किया है। केवल इसी आधार पर इसको अपना लेना, कि दूसरे देशों ने भी इसको अपना लिया है, उचित नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक, एंजिल्स, ने अपनी पुस्तक 'परिवार, राज्य तथा समाज की उत्पत्ति' में बताया है कि स्त्री और पुरुष की असमानता का कारण स्त्री का धन से वंचित रखा जाना है। एक ऐसे देश में जहां ९९ प्रतिशत स्त्रियां आर्थिक रूप से अपने पतियों के अधीन हैं, मुझे विश्वास है, यदि विवाह-विच्छेद की प्रथा जारी की जायगी, तो इसका परिणाम यह होगा कि उनके पति इच्छानुसार विवाह विच्छेद करने लगेंगे। अतः स्त्रियों के हित के लिये यह आवश्यक है कि विवाह विच्छेद का उपबन्ध न किया जाये। यदि विवाह विच्छेद का उपबन्ध करना ही है, तो उसके लिये हमने पूर्व ही विशेष विवाह अधिनियम पारित कर दिया है और उसमें किसी न किसी रूप में विवाह-विच्छेद का उपबन्ध कर दिया है। अतः, इस विधेयक में उसका उपबन्ध करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि मनु और याज्ञवल्क्य ने जो कुछ कहा, वह केवल अपने समय के लिये ही नहीं कहा। उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसे सिद्धान्त रख जो सर्वदा और हर जगह लागू हो सकते हैं उन्होंने बताया है कि जब तक पारिवारिक संस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जायगा, तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि परिवार की ओर हमें मुख्य ध्यान देना है, ताकि बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण हो सके। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी देश भी इस सिद्धान्त की ओर झुकने लगे हैं। अतः, सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सरकार का यह कहना, कि पहले समय की बातें आज की सभ्यता में लागु नहीं हो सकतीं, ठीक नहीं है। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम हमें यह समझ लेना चाहिए कि क्या चीज़ आधुनिक है, और क्या क्षणिक है। हमें वही काम करना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और स्थायी है।

[श्री एस० एल० सक्सेना]

इतना कह कर मैं, विवाह-विच्छद के सिद्धान्त का विरोध करता हूं ।

सरदार इकबाल सिंह (फ़ाज़िल्का सिरसा) : मैं इस बिल की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि यह बिल सिक्ख कम्युनिटी पर भी लागू होगा, वैसे तो सिक्ख कम्युनिटी के लिए कोई अलहदा कस्टमरी ला है नहीं । जो क़ानून बाक़ी हिन्दू कम्युनिटी पर लागू होते हैं वही सिक्ख कम्युनिटी पर भी लागू होते हैं, लेकिन जो हालात पंजाब में हैं, या जिस क़िस्म की मुखालफ़त आप दूसरे तबकों में सुनते हैं कि किस क़िस्म की मुखालफ़त इस बिल की यहां पर होगी और वहां पर इस हाउस के मेम्बर वह लोग करेंगे जो यह चाहते हैं कि इस समाज में इस समाज के रस्मोरिवाज़ में, इस समाज के बाक़ी क़िस्म के और खास तौर पर शादी के मामलों में कोई किसी किस्म की तबदीली नहीं करना चाहते थे वह लोग सिक्ख कम्युनिटी में भी इस बिल की मुखालफ़त करते हैं । इसी लिये अगर आप इस किस्म के समाज और जो सुधार की तवारीख है उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि पिछले १००, १५० सालों में जब से कि राजा राम मोहन राय न सती के खिलाफ तहरीक चलाई थी, जिस किस्म के आर्गूमेन्ट्स उस वक्त के लोग उनके खिलाफ दिया करते थे, उसी किस्म के आर्गूमेन्ट्स और उसी किस्म की विचारधारा का आज इस सदन में और इस सदन के बाहर लोग प्रचार करते हैं । उनके सोचने का ढंग आज भी वही है जो आज से १०० साल पहले था । आज अगर किसी चीज़ में कोई तबदीली कर दी जाय, समाज में यह खास तौर पर मौजूदा शादी के कानून में कोई तबदीली कर दी जाय तो लोग यह समझते हैं कि उससे बहुत सी तकलीफें और बहुत से खतरात आयेंगे और लोग यह भी समझते हैं कि इस समाज के शादी के कानन में तबदीली के साथ उनके रस्म रिवाज तब्दील हो जायेंगे । इस लिये सब से बेहतर तरीका मैं यह समझता हूं कि जहां तक डिमाक्रेसी, जमहूरियत, प्रजातन्त्र का सवाल है सब को बराबरी का हक हो । जब तक इस प्रजातन्त्र में सब लोगों को बराबर का हक नहीं मिलता है, चाहे वह आदमी हो या औरत हो, तब तक यह प्रजातन्त्र मजबूती के साथ नहीं चल सकता । आप पंजाब में देखिये कि वहां पर खास तौर से देहातों में बहुत से लोग इस लिये दोबारा शादी कर लेते हैं कि उनकी पहली शादी की बीबी से या पहली शादी के रिश्तेदारों से नहीं बनती । बाज वक्त एसा भी होता है कि दहेज की वजह से या किसी और वजह से भी ऐसा हो जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि सब से बहतरीन चीज़ इस कानून में जो है वह यह है कि एक ही शादी हो और किसी भी आदमी को यह हक नहीं होना चाहिए कि वह दूसरी शादी करे, क्योंकि मैंने उन बहनों की तकलीफें देखी हैं जिनका जीवन उनके खाविन्द की दूसरी शादी के बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि उनकी न उस घर में कोई इज्जत रह जाती है न उन को उस घर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है जहां से कि वह आती हैं । उनका जीना भी मुश्किल हो जाता है और मरना भी मुश्किल हो जाता है । इस लिये इस बिल में जो सबसे बहतर चीज़ है और जिस को वेलकम करना चाहिये वह यह है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद कम से कम समाज की वह लानत, जो कि मेरे हिस्से में रायज है, खत्म हो जायगी । अगर किसी को दूसरी शादी करनी ही होगी तो उस को किसी न किसी तरह से पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तभी उसकी दूसरी शादी हो सकती है । साथ ही यह भी है कि बहुत से आदमी सिर्फ अपना कारोबार चलाने के लिय, सिर्फ इसलिये कि उनकी पहली घर वाली से बनती नहीं थी, इस लिये

बहुत सी एसी चीज़ें किया करते थे, आइन्दा या तो वह करेंगे नहीं और अगर करेंग भी तो उनको बहुत मुश्किलें हुआ करेंगी । कम से कम जो पहली औरतें होंगी एकनामिकली उन का कोई न कोई प्रबन्ध होगा । पंजाब में, यह भी मैं मानता हूं कि, सिर्फ एक तबके में डाइ-वोर्स था और वह कस्टमरी डाइवार्स था । लोग अपनी औरतों को किसी ढंग से, जैसा कि हमारे मोहतरम ठाकुर दास जी ने कहा कस्ट-मरी डाइवोर्स दे दिया करते थे । आइन्दा उसका लीगलाइज्ड फार्म होगा और लीग-लाइज्ड फार्म होने के बाद उसमें जो चीज़ होगी वह कम से कम तरीके से होगी । जो लोग डाइवोर्स की हिमायत करते हैं वह इस लिये भी कि पाकिस्तान से हजारों आदमी आये और उन में बहुत से घरों में औरतों को जिस किस्म का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है उसके लिये भी इस किस्म का कोई कानून होना चाहिये । फिर आप ने यह भी देखा कि दिल्ली में बहुत से बदकारी के अड्डे फैले हुए हैं । इन बदकारी के अड्डों को चलाने के लिये कौन जिम्मेदार होता है । हालात की मजबूरी की वजह से बहुत से घरों में ऐसे हालात हो भी नहीं सकते कि जहां पर वह औरतें अपना जीवन व्यतीत कर सकें । इन अड्डों के चलने की सबसे बड़ी वजह यही है । हमारे समाज में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हकीकतन अगर औरतें और खाविन्द एक साथ रहना चाहें तो वह रह सकें । समाज का कानून मजबूर करता है कि उनको अलग रहना पड़ेगा अगर किसी की दूसरी शादी हो गई है । आज उन की तरक्की का कोई रास्ता नहीं है । इस लिये मैं यह समझता हूं कि आप चाहे जो कहें, लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे हर चीज़ बदलती है । मैं चाहता हूं कि आजकल के जमाने में हर चीज़ में आसानी से और ठीक ढंग से ख्यालात में तबादला हो, मैं इसको मंजूर करता हूं, लेकिन अगर ऐसा दबादला किसी सोशल सुधार के लिये होता है तो उस की सब से ज्यादा मुखालिफत होती है । अगर एक ढंग से एक चीज़ को लोग मंजूर करेंगे तो लाज़िमी तौर पर उस चीज़ का असर दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा । आज का समाज जिस तरह से आगे जा रहा है, जैसे साइंटिफिक तरीकों से लोगों में हर मामले में तवादला पैदा हो रहा है वैसे ही सोशल हालात में भी, इस साइंटिफिक दुनियां में भी तबादला आ रहा है । आप चाहे इसे अच्छा समझें या बुरा समझें, चाहे इसको मानें या न मानें, लेकिन आप इस से बच नहीं सकते । आज हमारे देश में एक मसला यह भी है कि हमारे मुल्क का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बहुत कम है । उसकी वजह से यह है कि आज एक घर में एक ही आदमी कमाने वाला होता है और खाने वाले बहुत होते हैं । हो सकता है कि उस घर की कोई औरत क्लर्की करती हो, कोई आदमी क्लर्की करता हो, या कोई बहन मास्टरी करती हो, वह दूसरों को पढ़ाती हो, लेकिन आज उस किस्म के ख्यालात में तबादला आ रहा है । इसलिये मैं समझता हूं कि इन चीज़ों के साथ साथ हमें भी अपने ख्यालात में तबादला करना चाहिये ।

एक दो और चीज़ें मैं कहना चाहता हूं जो कि मैं समझता हूं कि इस बिल में जरूरी हैं । जहां तक प्राहिबिटेड डिगरीज का सवाल है, जहां पर भाई की विधवा का सवाल है, खास तौर से उस वक्त जब कि छोटा भाई शादी शुदा नहीं है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं एक बड़ा भाई है, वह मर जाता है, उसका छोटा भाई है, पंजाब में और दूसरी जगहों में भी यह हुआ करता था कि जो बड़े भाई की बीवी होती थी उसके विधवा होने के बाद छोटा भाई उस को अपनी औरत के तौर पर रख लिया करता था । अगर आप प्राहिविटेड डिगरीज में उसका नाम रख देते हैं तो आप यह समझ लीजिये कि एक खान्दान जो कि बहुत उदार है जिस को हक है कि वह

[सरदार इक़बाल सिंह]

छोटे भाई की स्त्री बना कर उस विधवा को अपने घर में रख सके, उसको आप ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि आपका कानून ऐसा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में आप को इस लिहाज से तबदीली करनी चाहिये कि जो पुराने रस्म व रिवाज हैं, यानी अगर उस विधवा की दूसरी शादी न कर के उसको उसी घर में छोटे भाई की औरत बना कर रखने का कोई इरादा करे, अगर वह उसको ताये के लड़के के साथ, चाचे के लड़के के साथ उसकी बीवी बना कर रखने का इरादा करे या अगर उसके घर में कोई आदमी नहीं है तो खान्दान में कहीं पर ऐब्सार्ब करने का इरादा करे तो उसको ऐसा करने का हक दिया जाना चाहिये। यह चीज़ बेहतर होगी वनिस्पत इसके कि आप उसको मजबूर करें कि वह उस घर में नहीं रह सकती, उस घर के किसी आदमी के साथ नहीं रह सकती।

इन बातों को रखते हुए मैं इस बिल की हिमायत करता हूं।

श्री बी० डी० शास्त्री : इस अवसर प्रदान के लिये धन्यवाद। मैं इस विधेयक पर कुछ निवेदन करूं, इसके पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद के जितने भी सदस्यों ने विवाद में भाग लिया, प्रायः किसी ने मनु और याज्ञवल्य को नहीं छोड़ा। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि मनु और याज्ञवल्क्य की बातों पर जब तक विश्वास न हो तब तक उनका संदर्भ दे कर उद्धरण दे कर, यहां विवाद में उन का प्रसंग लाना कहां तक उचित है। कुछ तो ऐसे उद्धरण दिये गये जिन को सुन कर मुझ को बड़ी हंसी आई। हमारे वयोवृद्ध मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी जिन की मैं बड़ी श्रद्धा करता हूं, इज्जत करता हूं, यहां पर भाषण दिया। लेकिन मुझे यह बात सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि उन्होंने ऊंचे स्तर की महिलाओं का नाम लिया और वह भी उस केटेगरी में रक्खी गई जिस में उन्हें असती का रूप दिया गया।

उन्होंने कुन्ती और दमयन्ती का नाम लिया। जिन लोगों ने महाभारत का अध्ययन किया है, और नैषधीय चरित्र को देखा है उन्हें ज्ञात होगा कि उनका जीवन कितना उज्वल था। कई लोगों का आक्षप है कि कुन्ती के जो पुत्र पैदा हुए, वे अलग अलग पिताओं से थे। यह बात बिल्कुल गलत है। उदाहरण के लिये लोग कहते हैं कि अर्जुन इन्द्र से पैदा हुआ, भीम वायु से पैदा हुआ और इसी प्रकार दूसरे पुत्र भी अमुक अमुक देवता से हुए।

श्री रघुनाथ सिंह : और कर्ण ?

श्री बी० डी० शास्त्री : सोचने की बात है कि क्या सूर्य कुन्ती से सम्पर्क करने आए होंगे ? शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि सम्भोग -काल में-ऋतुकाल में—जब स्त्री पति-गामनी होती है, तो उस समय जैसी वह कलपना करती है, वैसा ही उसे पुत्र प्राप्त होता है। हो सकता है कि इसी तरीके से कुन्ती ने इन्द्र और सूर्य इत्यादि का आवाहन किया और ऐसे शूरवीर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए हों। मैं समझता हूं कि कुन्ती पर यह लांछन लगाना कि उसने मन में सूर्य को बुलाया होगा, इसलिए उसको पुत्र प्राप्त हो गया, बिल्कुल अनुचित है सूर्य के साथ किसी महिला का संग अस्वाभाविक है। मेरे पास इस सम्बन्ध में सामग्री ज्यादा है और समय कम है। अभी एक वयोवृद्ध महिला ने बताया कि स्त्रियों पर बड़ा अत्याचार होता रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मनु के सम्बन्ध में इस तरह के लांछन असहय होते हैं। स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता था ? इसके ये उदाहरण हैं :—

सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः।
योसितामवमानेन प्रकृतेश्च पराभवः।
रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती।
प्रकृतिः पूजिता तेन वस्त्रालंकार चन्दनैः॥

स्त्री की पूजा को साक्षात भगवती की पूजा माना जाता था। यह भी कहा जाता

था कि :

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।"

अर्थात् जिस देश में नारी की पूजा नहीं होती, वह देश नष्ट है । वही देश समृद्ध माना जायगा, जहां नारी का आदर होता है और पूजा होती है । मैं समझता हूं कि पहले शास्त्रकारों से सम्पर्क स्थापित करने के बाद फिर मनु और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों पर लांछन लगाना चाहिए ।

मुझे थोड़ा बहुत कहना है इन नए यग के—कलियुग के—मनु, श्री पाटस्कर के सम्बन्ध में और वह यह है कि उन्होंने यह विधेयक उपस्थित करते समय चन्द श्लो कों को उद्धृत किया । उन्होंने उनकी जैसी व्याख्या की, उसको सुन कर कम दुख नहीं हुआ । उन्होंने कहा कि :

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

वह भूल जाते हैं कि इसमें चार बातें बताई गई हैं : वेद, स्मृति, सदाचार और "स्वस्य प्रियमात्मनः" । ये चारों एक माला में मणि की तरह गुंथी हुई हैं । वेद को विस्तृत करने के लिए स्मृतियां आई और स्मृतियों ने जिस सदाचार का निर्माण किया, उसके अन्तर्गत रह कर ही हमें अधिकार है कि हम "स्वस्य प्रियमात्मनः" की व्याख्या करें । अगर हम नींव को छोड़ कर केवल "स्वस्य प्रियमात्मनः" में जाय, तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें चोरी पसन्द है, तो वह करें और अगर डाका पसन्द है, तो वह करें । हम केवल एक पोर्शन—एक भाग—को ले लें और उससे श्लोक का अर्थ का अनर्थ कर दें और वह इस लिए कि हमें ज़बर्दस्ती एक चीज़ लोगों पर लादनी है । हम नहीं समझते कि शास्त्रों की इस तरह की व्याख्या ऐसे योग्य विद्वानों के लिए शोभा देती है ।

उन्होंने यह भी कहा कि—

"महाजनो येन गतः स पन्थाः"

लेकिन महाजन कौन हैं ? क्या वह है, जो ब्लैक-मार्केटिंग करता है ? आप किस को महाजन मानते हैं ? पुरातन योग्य विद्वानों, ऋषियों और राजाओं को तो छोड़ दीजिए । हम आज के युग में देखें कि कौन महाजन है । महात्मा गांधी महाजन थे ? और अगर वह थे, तो इस सम्बन्ध में उनके विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । सम्बन्धित पत्र को तो मैं इस समय भूल आया हूं । एक महिला ने उनसे प्रश्न किया था कि "वाह, यह बताइये कि अगर कोई महिला किसी एकान्त स्थान से गुज़र रही है और कोई उस पर बलात्कार करे, तो उसका सती धर्म रहा या नष्ट हो गया ?" महात्मा जी ने कहा कि उस महिला को भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने सतीत्व को नष्ट न होने दे और अपने हाथ और नाखूनों से आततायी का मुकाबला करे और अपने सतीत्व की रक्षा करे अगर वह शक्तिविहीन है, तो इस बात की कोशिश करे कि पहले अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे और सती धर्म का नाश न होने दे, वर्ना हम नहीं मान सकते कि वह अक्षतयोनि है । अगर हम यह कहें कि हम उस महामानव के सिद्धांतों के आधार पर यह बिल बनाने जा रहे हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है ।

कुछ लोगों ने दावा किया है कि अगर हिन्दू मैरिज बिल कहीं जनता के बीच जाय, तो इसका बड़ा समादर होगा और सभी श्रेणी के लोग अपनी सहमति देंगे । यह बात कहना तो बड़ा सरल है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी यह बात कही और अन्य मित्रों ने भी कही ; इसको सुनने के बाद महाभारत की वह कथा याद आती है जब कि वीर अभिमन्यु को सप्त महारथियों ने अपने व्यूह में घेर लिया था और दुर्योधन ने उसको कहा था कि अगर तुम अपने प्राणों की भीख मांगो, तो हम दे सकते हैं । इस पर अभिमन्यु ने उत्तर दिया था कि प्राणों की भीख मांगने वाला अभिमन्यु

[श्री बी० डी० शास्त्री]

नहीं है। यहां पर तुम इतने महारथी एकत्रित हो, यदि तुम्हें अपनी वीरता का अभिमान है, तो समीप ही पड़ी हुई मेरी तलवार मुझे दे दो । अगर मैं वीर क्षत्रिय का अंश हूं और अर्जुन का पुत्रहूं. तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुम सबों को चीरता फाड़ता हुआ व्यूह के बाहर निकल जाऊंगा । सही बात तो यह है कि अगर पाटस्कर साहब को इस बात का विश्वास है कि इस बिल का पूरा समर्थन होगा और देश इसका समादर करेगा, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वह जनता के बीच इस बिल को जाने दें । अगर इसको जनता का समर्थन प्राप्त होगा, तो हर एक व्यक्ति, जो कि संसद् में आया है, उसे न केवल एक पास हुई वस्तु मानेगा, बल्कि उसका पूरा समादर करेगा उसके अनुसार चलना स्वीकार करेगा । सब से बड़ी बात यह है कि देश का वातावरण इस बिल के अनुकूल नहीं है, इस लिए उन बातों को हम केवल कह कर भूल जाते हैं । जहां तक मेरा ख्याल है, इस विधेयक से और खास कर इन दो बातों से—डाइवोर्स और सगोत्र विवाह से—देश को कोई लाभ नहीं होगा—बल्कि हानि ही होगी । इस देश के चारित्रिक जीवन पर लोग आक्षेप करते हैं । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस देश की जनता मनु और याज्ञवल्क्य के नियमों पर चल रही है और चलना चाहती है । कई पश्चिमी देशों के विद्वान् काशी अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । मैं उनके एक दो उद्धरण आपको सुना रहा हूं ।

फ्रेडरिक पिनकाट कहते हैं कि जब कोई बुद्धिमान जाति हजारों वर्ष तक किसी रीति रिवाज को मानती है, तो उसमें अवश्य कुछ बात होती है । मैक्समूलर हिन्दुओं को दार्शनिक जाति मानते हैं और कहते हैं कि उनकी सामाजिक प्रणालियां वर्षों के अनुभव पर आधारित हैं और उनको इस बारे में पश्चिम कुछ नहीं सिखा सकता । एडिसन के अनुसार स्त्री का पतिव्रत्य ही उसे पति की दृष्टि में प्रिय बनाता है । प्लेटो भी ब्रह्मचर्य को सोने से भी अधिक महत्व देते हैं। प्लौटस ब्रह्मचर्य को ही सब से बड़ा दहेज मानते हैं और स्टील उसे सौन्दर्य का एक मात्र आधार मानते हैं ।

इस तरह से यह तो उन पश्चिमी देशों के महानुभावों की रायें हैं । आज पश्चिमी देश में जो एक प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है उसमें वे संशोधन करना चाहते हैं । वे समझते हैं कि वास्तव में इससे उनके देश को लाभ नहीं हुआ है । लेकिन आज हम उनकी नकल करने जा रहे हैं । बरसों तक गुलामी का जीवन बिताने के बाद आज हम यह महसूस करने लगे हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है इनमें कुछ खराबियां हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां विवाह को केवल संयोग का स्वरूप नहीं माना गया और न ही यह माना गया है कि इसके ज़रिये दो आदमियों में व्यवहार जगत का काम चलाने के लिये है । यदि आप वेदों को देखें और उपनिषदों को देखें तो पायेंगे कि विवाह का तालिक रहस्य क्या है । उपनिषद् में लिखा है :

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति
आत्मनत्सु कामाय पति प्रियो भवति ॥

इसका अर्थ यह है कि अरे पति के काम के लिए स्त्रियों को पतिप्रिय नहीं होता, वह तो आत्मा के काम के लिए प्रिय होता है । पति और पत्नी दोनों मिल कर न केवल सांसारिक व्यवहार ही निभाते हैं बल्कि उन में इतनी आस्था होती है, उनमें इतना विश्वास होता है कि वे समझते हैं कि बाद में भी वे दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे । इस पवित्र भावना को लेकर हमारे यहां विवाह और संस्कार का कार्य होता है । विवाह को कितना

पवित्र माना गया है। इसके बारे में भी मैं एक ऋचा आपके सामने रखना चाहता हूं।

समज्जन्तु विश्वेदेव समापो हृदयानि नौ।

इसका अर्थ है कि विश्वे देवो हम दोनों दम्पत्ति के हृदय विचार पानी की तरह मिल कर एक हो जाएं। हम केवल इस जीवन काल में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी हम दोनों एक साथ कदम उठायें और हम दोनों चिरकाल तक जीवन बितायें। ज़रा सोचिये ऐसे ऊंचे ख्याल होने चाहियें जो हमारे हिन्दू धर्म में लिखे हैं।

अब आप सोचिये कि इस बिल के पास हो जाने के बाद क्या होगा। आज तो विवाह के बाद हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और पति जो पैसा कम कर लाता है अपनी पत्नी को दे देता है और विश्वास करता है कि वह धन का ठीक तरह से उपयोग करेगी। स्त्री सोचती है कि मेरा पति जो पैसा बड़ी मेहनत से कमा कर लाता है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस बिल के पास हो जाने के बाद यह होगा कि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा। स्त्री के मन में भी और पति के मन में भी यह आशंका रहेगी कि कहीं एक दूसरे को छोड़ न दे। पति सोचेगा कि कहीं उसकी पत्नी दूसरा पति न कर ले और पत्नी सोचेगी कि कहीं उसका पति कहीं दूसरी शादी न कर ले। पत्नी तो यह सोचेगी कि उसका पति उसको ठीक तरह से पैसे नहीं दे रहा है और पति यह सोचे कि उसकी पत्नी ठीक तरह से खर्च नहीं कर रही है। इस तलाक के कारण दोनों में हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना पैदा नहीं हो सकती। उन दोनों के मन में पहली भावना यही पैदा होगी कि कहीं कोई किसी को तीन साल के बाद छोड़ न दे। इसलिए मैं समझत हूं कि यह कानून उपयोगी सिद्ध नहीं होगा और इससे नुकसान ही होगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम वेदों में जो कुछ लिखा है और स्मृतियों में जो कुछ लिखा है उसको छोड़ कर भी विचार करें तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हर देश का एक साहित्य होता है और जो कुछ भी हम करें हमें उस साहित्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। प्राचीन काल का जो साहित्य है उसकी तरफ भी आप न जायें। लेकिन जो नवीन काल के कवि हुये हैं और जो बड़े बड़े विद्वान् हो गुज़रे हैं उन सब ने देश के चारित्रिक बल को सुचारू रूप से चलने की प्रेरणा दी। आप महाकवि कालिदास, भास, भारवि सूर तुलसी आदि की रचनाओं को ही देख लीजिये। किसी ने भी ऐसे नायक को अपने काव्यों में नहीं चुना, अपने साहित्य में नहीं रखा जिससे लोक व्यवहार में दूषित चरित्र की छाप पड़ती हो। सभी लोगों ने एक मत से कोशिश की कि लोगों का ऐसा चरित्र हो जिससे कि उनका जीवन उज्जवल हो और उनके आदर्श ऊंचे हों। उनकी हमेशा यह इच्छा रही कि लोगों का चरित्र ऊंचा हो जिससे कि देश आगे बढ़ सके। तो आज हमें यह भी देखना है कि इन विद्वानों के बताये हुये रास्ते पर हम कहां तक अमल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम उनके विचारों से प्रेरित हो रहे हैं उन बातों पर भी विचार करने की आज हमें ज़रूरत है।

पंडित फोतेदार (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधान के परिपोषकों को बधाई देता हूं, क्योंकि इससे नारी जाति को युगों से चली आने वाली दासता से मुक्ति मिल जायेगी।

संसद् के इस सत्र में अनेक ऐसे विधान बनाये गये हैं, जिनसे इस सत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

इस विशिष्ट विधान के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व, मझे यह बात कहते हुये दुःख है

[पंडित फोतेदार]

कि काश्मीर तथा जम्मू को छोड़ दिया गया है। काश्मीर तथा जम्मू पूरी तरह से भारत के ही भाग हैं, और मैंने अनेक बार बताया है कि भारत में काश्मीर का विलय निश्चित है। दिल्ली करार से जम्मू तथा काश्मीर के निवासी भारत के ही राष्ट्रीय हैं और सारी सुविधाओं के अधिकारी हैं। किन्तु यह बड़े खेद की बात है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य इस महत्वपूर्ण विधान के क्षेत्र से बाहर रखा गया है और वहां की दस लाख जनता इसका लाभ उठाने से वंचित रहेगी, यद्यपि पारित होने के बाद यह विधान देश से बाहर रहने वाले हिन्दुओं के लिये भी लागू होगा। इस सम्बन्ध में संवैधानिक परिसीमाओं की बात कही जा सकती है मैं इसको समझता हूं। किन्तु इन संवैधानिक परिसीमाओं के रहते हुये भी, वे इस विधि का लाभ उठा सकेंगे। मने इस सम्बन्ध में काश्मीर सरकार के सदस्यों से बातचीत की है और वे इस विधान को काश्मीर संविधान सभा अथवा विधान सभा में प्रस्तुत करने को तैयार हैं। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि जिस पुरानी विधि को हम तोड़ रहे हैं, काश्मीर में वही पुरानी विधि ही लागू रहेगी, और लोग काश्मीर जाकर दूसरा विवाह कर लेंगे जिससे इस विधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में काश्मीर सरकार अथवा विधान सभा से पत्रव्यवहार करें और इस समस्या के समाधान के लिये कोई उपाय निकालें।

प्रत्यक युग का अपना पृथक् नैतिक तथा सामाजिक स्तर होता है। हर समय प्राचीन समय की बात करना प्रगति में अवरोध उत्पन्न करना है। मेरे मित्र, श्री नन्द लाल शर्मा ने राम और सीता के बारे में कुछ बताया। मैं बड़ा प्रसन्न होता यदि श्री नन्द लाल शर्मा जैसे व्यक्ति इस विधेयक का विरोध करने के बजाय, स्वयं बहुपत्नीत्व को रोकने वाले विधान प्रस्तुत करते, जिससे स्त्रियां भारत की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सकतीं।

एक विवाह से तीन बातें हो सकती हैं। यह भय हो सकता है कि आदमी रखल रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी होते ह, जहां आदमी अपनी प्रथम पत्नी की उपस्थिति में ही दूसरा विवाह कर लेते हैं और वे लड़कियां हमेशा ही अपने पति की उपेक्षा का पात्र बनी रहती हैं। एक विवाह से आदमी औरतों की इस प्रकार से उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। वे उस समय तक दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे, जब तक विधि न्यायालय में जाकर वे अपने मामले को साबित न कर दें तथा अपनी प्रथम पत्नी के निर्वाह का पूरा प्रबन्ध न कर दें। और भी बहुत सी बातें हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि मेरा समय पूरा हो चुका है और उन बातों पर तब विचार हो सकेगा, जबकि इस विधेयक पर खंडशः विचार किया जायेगा।

श्री पाटस्कर : श्रीमान्, मैंने इस विधान का पुरःस्थापन करते समय ही यथाशक्ति स्पष्ट रूप में तथा संक्षेप में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की थी। लगभग २८ या २९ सदस्यों ने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि उनमें से अधिकांश सदस्यों ने इस विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों का समर्थन किया है। मैं अनुभव करता हूं कि कुछ व्यक्ति अपने सिद्धांतों के कारण इस विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से सन्तुष्ट नहीं हुये हैं। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा और मैंने इसको अपने भाषण में भी स्पष्ट कर दिया है कि मैंने मनु और याज्ञवल्क्य का इस लिये निर्देशन नहीं किया कि मैं यह चाहता था कि उन्होंने २००० वर्ष पहले जो कुछ लिखा, उसके सम्बन्ध में चर्चा की जाये और यह देखा जाये कि जो कुछ उन्होंने कहा वह ठीक है अथवा

नहीं और वर्तमान काल में उनके सिद्धान्तों पर चला जा सकता है अथवा नहीं । मैंने सारे माननीय सदस्यों को अपने भाषण की प्रतियां वितरित कर दी हैं ताकि माननीय सदस्य किसी प्रकार का कोई गलत ख्याल न बना लें । और मैंने इसको पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि २००० वर्ष पहले मनु ने जो कुछ कहा अथवा उन्होंने जो संहिता तैयार की, उसको बुरा या भला कहन के लिये हमें इस समय मनु की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए । ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और न इससे कोई लाभ ही होता है । किन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण के महत्वपूर्ण भाग को तो निकालने की कोशिश की और मेरे शब्दों की हंसी उड़ानी चाही । मैं श्री चटर्जी को बताना चाहता हूं कि मैं उन आदमियों में से हूं जो कि, मनु और याज्ञवल्क्य ने उस समय के लिये जो कुछ किया, उसका आदर करते हैं । किन्तु वे बातें अब नहीं लागू होतीं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वे अमर हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर विवाद नहीं करना चाहता । मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी मनु बनने की कोई आकांक्षा नहीं है क्योंकि जिस संविधान को हमने अपनाया है, या जिस प्रशासन को हमने स्वीकार किया है, उसके अनुसार आज कोई भी मनु नहीं बन सकता । जैसा मैंने पहले कहा, १८ वीं शताब्दी के अन्त से जिस हिन्दू विधि को हम लागू हुआ देख रहे हैं, वह प्राचीन समय की विधि नहीं है । मैंने श्री देशपांडे या श्री चटर्जी या श्री नन्द लाल शर्मा को कभी भी उन न्यायालयों के बारे में कुछ भी कहते हुये नहीं सुना, जिन्होंने समय समय पर ऐसी विधियां बनाईं, जो कि प्राचीन ग्रन्थों से असंगत थीं । मैं उनको चुनौती नहीं दे रहा हूं मैं केवल नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि हम उन दोषों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे देश में विदेशी प्रशासन के परिणामस्वरूप आ गईं और जिसकी वजह से यह वर्तमान प्रणाली स्थापित हो गई । उन्होंने इन न्यायालयों की स्थापना क्यों की ? कारण स्पष्ट है और मैं उस बात को बढ़ाना नहीं चाहता । इस समय जो हिन्दू विधि लागू है, वह स्मृति द्वारा उपबन्धित विधि न होकर वह विधि है, जिसकी सैंकड़ों वर्षों में उन न्यायाधीशों ने बनाया, जो कि स्वयं शास्त्रों से अनभिज्ञ थे और पंडितों से सलाह लेते थे, और इन पंडितों में भी परस्पर मतभेद था । जैसा कि मैंने बताया, १८७७ में ही विदेशी प्रशासन ने भी यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि न्यायिक निर्णयों द्वारा बनाई गई यह विधि भी संगत तथा एकरूप नहीं हो सकती । उस समय के प्रसिद्ध कनिंघम ने भी जिन्होंने सर्वप्रथम सारे मामलों को एकत्र करने की कोशिश की, यह कहा है कि यह प्राचीन विधि न होकर वह विधि है जो कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनेक व्यक्तियों की सलाह से बनाई गई है । वे स्वयं इससे अनभिज्ञ थे, किन्तु वे विभिन्न व्यक्तियों पर विश्वास करते थे और उन व्यक्तियों ने भी उनको भिन्न भिन्न सलाह दी । यह प्राचीन विधि नहीं थी, अपितु न्यायालयों द्वारा बनाई गई विधि थी । यह न्यायिक निर्णयों की विधि थी । अंग्रेजों ने उसको किन्हीं भी कारणों से लागू किया हो, किन्तु अब २०० साल के पश्चात् जबकि हमारा एक संविधान है, और सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न एक संसद् है क्या न्यायालयों द्वारा प्रशासित उन विधियों को जारी रखना उचित है ? क्या आप उनको उस अवस्था में रहने देना चाहते हैं, जिससे मुझ जैसे एडवोकेट खूब फलफूल सकें और प्रत्येक मामले में तर्क करने के लिये उनको बड़ी लाभदायक बातें मिल सकें ? मैंने स्वयं वकालत की है और मैं एडवोकेटों को दोष देना नहीं चाहता । एक चर्चा इस सम्बन्ध में प्रारम्भ होती है कि राही बनाम गोविन्द के मामले में निर्णय हुआ । एक वकील सामने आकर कहता ह कि निर्णय के द्वारा इस विधि

[श्री पाटस्कर]

का उपबन्ध हुआ है । दूसरा आदमी कहता है कि यह तो एक प्रासंगिक अधिवचन के रूप में कहा गया था और निर्णय कुछ और ही हुआ था। यह मामले अनन्त हैं और उनके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है । हाल ही में १९५२ में न्यायाधिपति तेंदुलकार ने बम्बई में एक निर्णय देते हुये यहां तक कह दिया कि सप्तपदी के बाद भी ऐसी बात नहीं है कि विवाह टूट नहीं सकता । उस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि गत दो सौ सालों से हम ऐसा करने के अभ्यस्त हो गये हैं और देश के विभिन्न भागों में न्यायालय जो निर्णय देते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती । मैं सभा के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूं, जिस पर वह शांतिपूर्वक विचार करे । क्या अभी वह समय नहीं आया है जबकि हम विधान बनाने के कर्तव्यों को पूरा करें और विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों द्वारा बनाई गई विधियों को समाप्त कर दें ? क्या १८२९ में सती प्रथा का उन्मूलन नहीं किया गया था ?

यह कोई नई चीज़ नहीं है । यदि आप पिछले अभिलेख देखें, तो आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी । विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६ में पारित किया गया था । मेरे पास इस समय उसकी एक प्रति है । उस समय क्या हुआ ? इसी प्रकार की आपत्तियां उठाई गईं और यह कहा गया कि एक विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती और इसी प्रकार की अनेक बातें कही गईं । उसके पश्चात् क्या हुआ ? प्रत्येक विधवा स्त्री ने पुनर्विवाह नहीं किया । एक अभागी विधवा स्त्री है, जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई अन्य साधन नहीं है, वह संयुक्त परिवार के तथा कथित लाभ उठाने म असमर्थ है और उसके संरक्षक उसकी सहायता करने को आगे नहीं आते । तभी वह पुनर्विवाह करने का विचार करती है । बहुत से मामलों में वह स्वयं अपनी जीविका कमाना चाहती है । किन्तु फिर भी, बहुत सी आपत्तियां उस समय उठाई गईं । मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि अन्ततः, इन विधानों के सम्बन्ध में सब एकमत नहीं हो सकते । इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो भयंकर चित्र खींचे जाते हैं, उनसे हमें विचलित नहीं हो जाना चाहिए हम देखें कि पश्चिमी देशों में क्या हो रहा है । इंग्लैन्ड में प्रतिदिन विवाह विच्छेद के अनेक मामले हो रहे हैं, और इन्हीं कारणों से अमरीका में भी विवाह-विच्छेद की अनुमति दी जाती है, तथा इसी प्रकार की अनेक बातें कही गई हैं । कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश में सीता और सावित्री जैसी स्त्रियां हुईं । मैं इतना आत्मश्लाघी नहीं हूं कि मैं यह कहूं कि केवल हमारे देश में ही सावित्री और सीता जैसी स्त्रियां पैदा हो सकती हैं म आत्मश्लाघी नहीं हूं और इसके लिये आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं । किन्तु हमें इन चीजों से बहक नहीं जाना चाहिए । हम नहीं जानते कि विदेशों में विवाह-विच्छद की अनुमति किन दिशाओं में दी जाती है । हम नहीं जानते कि उनकी संस्कृति क्या है । मुझे अपनी संस्कृति के प्रति उतना ही गर्व है जितना कि यहां किसी दूसरे को है । यदि हमें एक अच्छी बात का वस्तुतः गर्व है तो ऐसी बात क्यों होगी । क्योंकि विवाह विच्छेद की कतिपय गम्भीर मामलों में अनुमति दी गई है जिन में आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोई और विकल्प नहीं रह जाता, तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि शताब्दियों से विाहित जीवन का जो विकास हुआ है और जिस पर हमें इतना गर्व है वह कल ही छिन्न भिन्न हो जायेगा और ज्यों ही एक महिला विवाह करेगी वह अपने पति से विवाह विच्छेद की बात सोचने लगेगी या एक व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो जायेगा कि वह अपनी

पत्नी को छोड़ कर किसी दूसरी महिला का पीछा करने लग जायेगा । आप किस प्रकार के चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें इस समाज को जिसमें हम रह रहे हैं नहीं भूलना चाहिय । हम जनसाधारण के प्रतिनिधि हैं, जिस समाज से हमारा सम्बन्ध है उसे हम जानते हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है । अतः हम प्रस्तुत किये गये कुछ भयानक चित्रों से प्रभावित नहीं हो सकते और कुछ लोगों की हीन भावनाओं के प्रवाह में नहीं बह सकते । हमें अपना पथ कुछ गम्भीर विचारों द्वारा निर्धारित करना चाहिये ।

क्या यह सच नहीं कि हमारे इन लोगों में जिन्हें हम हिन्दू कहते हैं और जिन पर हमें गर्व है, ८० प्रतिशत लोगों में रीति द्वारा विवाह विच्छेद की अनुमति है ? क्या उनका सांस्कृतिक जीवन शेष १५ या २० प्रतिशत लोगों के सांस्कृतिक जीवन से भिन्न है ? क्या ये १५ या २० प्रतिशत लोग स्थायी रूप से अपने आप को पृथक् रखना चाहते हैं ? यह प्रश्न है । लोगों को गलत पथ बताने से कोई लाभ नहीं । मुझे विश्वास है कि जो लोग इस विधान का विरोध करते हैं उनके पास तर्क नहीं है । क्या हमें अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर ध्यान देने की बजाय अपने ही इन ८० प्रतिशत लोगों के सांस्कृतिक जीवन की ओर नहीं देखना चाहिये ? वे हमारे भाई हैं और वे गत सहस्रों वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं । हम सब एक ही हिन्दू समाज के अंग हैं जिस पर हमें गर्व है । क्या हम यह देखें कि उन में विवाह-विच्छेद की प्रथा के कारण क्या होता है या हम अन्य देशों की ओर देखें ?

श्री नन्द लाल शर्मा : क्योंकि आपने उन पर रोक लगा रखी है ।

श्री पाटस्कर : ये १५ प्रतिशत लोग उन लोगों पर केवल अपनी अधिमानता बनाये रखने के हेतु ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं । इससे कोई भी गुमराह नहीं होगा । क्या विधवा विवाह से लोग भ्रष्ट हो गये हैं ? अतः इस उपबन्ध से भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी । यह तो केवल लोगों की बुद्धि से धूल झाड़ने का प्रयत्न मात्र है । मुझे विश्वास है कि लोग भ्रष्ट नहीं होंगे ।

इस उपबन्ध में कुछ भी नवीन नहीं है बम्बई की संविधिन पुस्तक में भी इसी प्रकार का अधिनियम है । बम्बई विधान सभा ने इसे लगभग सात वर्ष पूर्व पारित किया था और वस्तुतः यह अधिनियम तब से वहां लागू हैं । वहां क्या हुआ है ? आपको इसके सांख्यकी की क्या आवश्यकता है ? हम जो लोग बम्बई राज्य के हैं जानते हैं कि वहां यह अधिनियम किस प्रकार लागू हो रहा है । मैंने श्री कानावडे पाटिल का भाषण सुना है । मैं इस पद पर आने से पूर्व वकालत करता था । वहां जिस प्रकार के मामले आते हैं वे किस प्रकार के हैं ? ये पीड़ित महिलाओं के मामले होते हैं । उनमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन के सामने और कोई रास्ता नहीं, उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है । मेरे माननीय मित्र श्री कानावडे पाटिल को सम्भवतः यह पता नहीं कि बम्बई अधिनियम के अन्तर्गत रूढ़िगत विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं है । अतएव उन जातियों में से बहुतों को आवश्यक रूप से न्यायालय में जाकर विवाह विच्छेद प्राप्त करना पड़ता, जिनमें रूढ़िगत विवाह-विच्छेद का अधिकार है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनके मामले कुछ ऐसे हैं जो कि उस अधिनियम के फलस्वरूप हुए हैं । यह गलत बात है ।

अतः मेरा निवेदन है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं मैं मनु या याज्ञवल्क्य नहीं हूं और मैं न ही वैसा बनने की महत्वाकांक्षा कर सकता हूं । मैं अपने माननीय मित्र श्री चटर्जी को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं मनु या याज्ञ-

[श्री पाटस्कर]

वल्क्य बनने की इच्छा नहीं करता क्योंकि मुझे विश्वास है कि मनु और याज्ञवल्क्य के दिन अब नहीं रहे । ऋषि अब विधियां नहीं बना सकते । विधियां लोगों के प्रतिनिधियों को बनानी होंगी और मैं लोगों का वह विनीत प्रतिनिधि हूं जिस पर यह विधान बनाने का कार्यभार डाला गया है । मैं इसी विनीत भाव से इसे देखता हूं । मैं बहुमत प्राप्त दल में से हूं । यदि अल्पसंख्यक मुझ से सहमत नहीं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । अतएव ये सब बातें द्वेष-भाव उत्पन्न करने के लिए की जा रही हैं ।

कोई भी विवेकशील व्यक्ति जिस ने आधुनिक न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है जिसने संविधान के निर्माण और विधि प्रशासन के लिए देश के उच्चतम न्यायालयों की स्थापना में भाग लिया है यह देख सकता है कि इसे लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने करना है और यह यहां किया जा रहा है । मैंने सभा में चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना है । कुछ लोग यह समझते हैं कि यह पुरुष और नारी के सम्बन्ध का प्रश्न है । इसे अवश्य स्वीकार करना होगा कि नारी की तुलना में पुरुष को कम से कम कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे । मैं यह समझने में उदार हूं कि जब कभी विशेषाधिकारों पर हाथ डाला जाता है तो इसका कुछ विरोध होता है । मैं आपको याद दिला दूं कि आप जितनी अधिक देर इन विशेषाधिकारों को रखने का प्रयत्न करेंगे उतना ही यह आपके लिए और इस देश और समाज के लिए जिसके हेतु आप ऐसा कर रहे हैं, हानिकर होगा । विशेषाधिकारों के दिन समाप्त हो गये हैं ।

केवल दो ही दिन पूर्व हमने एकमत होकर अस्पृश्यता अपराध विधेयक पारित किया है । उससे एक बात का पता लगता है कि भारत के लोगों में कितनी जाग्रति आ रही है । इस जागृति का प्रभाव यहां भी ऐसे बहुत से सदस्यों पर पड़ा है जिनकी बुद्धि इसका समर्थन करने के लिये तेयार नहीं थी । परन्तु उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि समय के अनुसार उन्हें बदलना पड़ा है । लोगों को अपनी इच्छाएं बदलनी होंगी । मेरी उनसे अपील है कि उन्हें इतना अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये कि आपको कुछ वर्षों पश्चात् यह अनुभव हो कि पीड़ित नारियों को सहायता पहुंचाने के लिए ऐसे विधान की क्या आवश्यकता है । विधान का यही उद्देश्य है ।

इस विधेयक के सिद्धांत क्या हैं ? इसके सम्बन्ध में इतना वाद-विवाद करने की क्या आवश्यकता है ? प्रथम सिद्धांत तो यह है कि किसी जाति में विवाह हो सकता है । मुझे विश्वास है कि कतिपय सदस्यों का वास्तविक विरोध इस तथ्य के सम्बन्ध में है जिसे वे नहीं चाहते । समय इतना परिवर्तित हो गया है कि वे खले रूप से यही नहीं कह सकते । अतएव वे इसका समर्थन कर रहे हैं । उनका ध्यान एक तो प्राचीनता की ओर है और दूसरे अगले निर्वाचन की ओर है । मैं इसका स्वागत करता हूं ।

जहां तक दूसरे सिद्धांत अर्थात् किसी भी जाति के लोगों के बीच विवाह अथवा जैनियों बुद्धों और सिखों—उन्हें भी अब हिन्दू कहा जाता है—के बीच विवाह का सम्बन्ध है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सिवाय कुछ लोगों की ओर से अप्रत्यक्ष आक्षेप के, जो इतना न्यून था कि जब तक कोई भली प्रकार ध्यान देकर न देखे दिखाई भी नहीं देता था लगभग प्रत्येक सदस्य ने इसका समर्थन किया है ।

तीसरी बात यह है कि हम एक विवाह की प्रथा चाहते हैं । अब इतनी देर हो चुकी है कि यदि कोई विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में अपने विचारों के कारण एक विवाह के विरुद्ध तर्क देना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता । अतः

उन्होंने भी अनिच्छा से और अस्पष्ट ढंग से इसके विरुद्ध कुछ कहा है। यदि आप ध्यान-पूर्वक उनकी बातों का अर्थ निकालें तो पता लगेगा कि अभी तक उनकी बौद्धिक स्थिति वैसी है, परन्तु निस्सन्देह समय इतना बदल गया है कि प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया जा सकता।

फिर विवाह विच्छेद का प्रश्न आता है। इस उपबन्ध से हम क्या करना चाहते हैं? हमें इसका पूर्ण विश्लेषण करना चाहिये और माननीय मित्रों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस विषय को इस दृष्टि से न देखें कि यह अमुक दल ने रखा है अथवा किसी और ने वरन् उन्हें इसे अन्य दृष्टिकोण से देखना चाहिये। जैसा प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनमें विवाह विच्छेद की प्रथा है। अब श्रेष्ठ वर्गों का कोई प्रश्न नहीं रहा। क्योंकि आपने कहा है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति—चाहे वह अपने अन्दर ही अन्दर यह अनुभव करता हो—किसी जात-पात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं। इस दृष्टिकोण से इसे देखिये। अपनी जगहों पर जाकर उन जातियों म देखिये जिनमें विवाह-विच्छेद की प्रथा है कि क्या उनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया है। क्या नारी समाज भ्रष्ट हो गया है, क्या पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ कर अन्य महिलाओं के पीछे घूमते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि तथा-कथित उच्च जातियां भ्रष्ट हो जायेंगी और वे इसके अयोग्य हैं? यह तो आप अपना अपमान कर रहे हैं, उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जो सुशिक्षित थे और जिनके पास शास्त्रों का अध्ययन करने उन्हें समझने और संसार की गतिविधि जानने के साधन थे। क्या यह सम्भव है कि इससे थोड़े से २० प्रतिशित लोगों में गड़बड़ हो जायेगी जबकि ८० प्रतिशत लोगों में ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा है तो मुझे विश्वास है कि जितनी जल्दी उन्हें शेष ८० प्रतिशत लोगों के समान स्तर पर लाया जाये और वे भी अधिक अच्छे और प्राकृतिक ढंग से जीवन व्यतीत करने लगें उतना ही उन सब के लिए अच्छा है।

मैं यह समझ सकता हूं कि कुछ लोगों में, ठीक या गलत यह भावना विद्यमान है कि जिन मामलों में विवाह विच्छेद की अनुमति की जायेगी उनमें कुछ गड़बड़ हो जायेगी। मैं उनका समर्थन करूंगा। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि हम इन भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं का आदर करना चाहिये, परन्तु मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इसे इस दृष्टि से देखना चाहिये। हम केवल यह उपबन्ध करने का यत्न कर रहे हैं—इस समय मैं इसे विस्तारपूर्वक नहीं ले रहा हूं कि इसमें क्या होना चाहिये और क्या नहीं—कि जिन श्रेणियों का उल्लेख किया गया है उनके मामले में पति या पत्नी को सम्बन्ध विच्छेद की अनुमति देनी चाहिये।

मैं एक बात को समझता हूं। संयुक्त परिवार के नष्ट होने की बात कही गई थी। मैं एक गांव का हूं—यद्यपि हाल ही में मैं वहां नहीं गया—जहां मेरे दादा के समय में एक बड़ा संयुक्त परिवार था जिस के ४० या ५० सदस्य थे। उनमें एक विधवा थी जिसका पति उसके यौवन काल में मर गया था और एक थी जिसको उसके पति ने छोड़ दिया था। ४० या ५० सदस्यों के परिवार में विधवाओं या छोड़ी हुई नारियों की कोई समस्या नहीं थी। परन्तु आजकल प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संयुक्त परिवार बिखर गये हैं। लोग मद्रास और अन्य दूर दूर के स्थानों से दिल्ली में जीविका की खोज में आये हुए हैं। बाहर क्या होता है कोई नहीं जानता। यदि कोई विधवा हो जाती है तो आप उसे नहीं जानते

[श्री पाटस्कर]

आपन उसे देखा तक न होगा, परन्तु क्या आप चाहते हैं कि संयुक्त परिवार के नाम पर ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवाहर हो जैसा पुरानी पद्धति में होता था ? यह सम्भव नहीं। अब तो हम देख रहे हैं कि पति पत्नी के लिए भी गुज़ारा करना कठिन है। पुरानी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। यह कहने के लिए क्या कसौटी है कि यह उपबन्ध नहीं होना चाहिये और उन्हें यह कल्पना करते हुए रहना चाहिए कि सीता और सावित्री का कैसा आचार था, उनको आजीविका कहां से मिलेगी। क्या वह सीता और सावित्री के समान रहने के लिए तैयार हैं ? उन लोगों में से कितने यह सुनते ही कि उनकी कोई दूर की सम्बन्धनी विधवा हो गई है, दौड़े जायेंगे और उसके भरण पोषण का प्रबन्ध करेंगे और उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा पहले उससे हुआ करता था। जब ऐसी व्यवस्था थी तो मैं उसका आदर करता था। परन्तु मैं वे आर्थिक और सामाजिक स्थितियां पैदा नहीं कर सकता जो उस समय थीं। अतएव उन महान् पूर्वजों के नाम पर अपने सम्बन्धियों को कष्ट देने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। हम यह विधान किन के लिए बना रहे हैं ? अपनी बहनों अपनी लड़कियों और भाभियों आदि के लिये। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं उनके ऐसे कोई भाव नहीं हैं और केवल कुछ ही लोगों को ही अपनी प्राचीन संस्कृति और परम्परा का उत्तराधिकार प्राप्त है ? इस सम्बन्ध में तो मैं जितना कम कहूं उतना ही अच्छा है। अतः हम देखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है। हमें इस विचार में नहीं बह जाना चाहिये कि पश्चिम में क्या हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जिस सामाजिक संस्कृति को विकसित किया था हमें उस पर गर्व करना चाहिये और यह विचार नहीं करना चाहिये कि हमारा समाज पथ भ्रष्ट हो जायेगा और वैसी ही बातें करेगा जो पश्चिम में हुई हैं। इसके विरुद्ध मैं फिर यह दोहराना चाहता हूं कि यद्यपि मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी का मत मुझ से भिन्न है, हमारे लिए अपनी आन्तरिक समस्याओं के सम्बन्ध में निश्चय करते समय एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक के नाते और लोगों के दूषित उदाहरणों की सहायता लेना ठीक नहीं है। अपने लोगों के सम्बन्ध में तथ्य एकत्र कीजिये। किसी ने भी ऐसा करने का कष्ट नहीं उठाया है।

मैंने वर्णाश्रय स्वराज्य संघ की एक पुस्तक के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं। हम उस दृष्टिकोण से इस प्रश्न की ओर न देखें, बल्कि यहां उपस्थित दशाओं को दृष्टि में रखते हुए उस पर विचार करें। मैंने कहा था कि "संस्कार" और "धार्मिक संस्कार" (सैक्रामेन्ट) में कुछ अन्तर है। मैंने केवल यही कहा था कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भिन्न हैं।

मैं सभा के समक्ष कुछ अन्य बातें रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे सन्देह है कि पहले हुई कुछ घटनाओं के कारण जनता में कुछ गलत फ़हमी फैलने की सम्भावना है मेरा मन्तव्य यह था कि मनु अथवा याज्ञवल्क्य का 'संस्कार' और बाइबिल का "धार्मिक संस्कार" (सैक्रामेन्ट) एक ही चीज़ नहीं है। शब्दकोष के अनुसार "सैक्रामेन्ट" का अर्थ क्रिश्चियन चर्च के कतिपय अधिकारों में से एक अधिकार है जिसमें "बैप्टिजम" और "लार्ड्स् सपर" मुक्ति के लिये आवश्यक हैं। मनु अथवा याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार के संस्कार की कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने संस्कार की निन्दा नहीं की थी किन्तु मैंने केवल इतना ही कहा था कि संस्कार और सैक्रामेन्ट को एक ही चीज़ समझा गया है। इसका कारण यह है कि अनेक माननीय सदस्य भी यह सोचते हैं कि यही तथ्य इसका कारण है कि पहले अंग्रेज़ न्यायाधीश होते थे जिन्हें कुछ पंडितों से परामर्श लेना पड़ता था। किसी ने कहा होगा कि

"सैक्रामेन्ट" ही संस्कार शब्द का द्योतक है। श्री चटर्जी के पास मेरे इस कथन के कि संस्कार सैक्रामेन्ट नहीं है, खंडन के लिये कोई तर्क नहीं थे। इनका तर्क केवल हंसी उड़ाने का था। आखिरकार, तर्क क्या है ? हमें तो केवल श्री मेन या श्री मुल्ला के कथनों की व्याख्या करनी है और मैं भी वही करता था किन्तु जब मैंने मंत्री की हैसियत से यह विधेयक पुरःस्थापित किया तब मैंने संस्कार के वास्तविक अर्थ पर सावधानी से विचार किया। इस विषय में विधान बनाते समय मुझे इस बात का परीक्षण करना था कि 'संस्कार' का क्या अर्थ है, कहीं भूल से तो कुछ किया नहीं गया है और क्या इसमें सुधार करना अपेक्षित होगा।

हम वर्तमान उथल पुथल की स्थिति में एकरूपता स्थापित करना चाहते हैं और यही विधेयक का उद्देश्य है। मैंने भी बहुत सी बातें कही होतीं किन्तु मैं अब उन्हें कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वे अनावश्यक हैं। मुझे खेद है कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार की बातें कहते हैं। मैं उस विषय में अधिक कहना नहीं चाहता किन्तु मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे इस प्रश्न पर अधिक शान्त होकर विचार करें और हमें धमकी देने का प्रयत्न न करें। अब मनु या याज्ञवल्क्य नहीं आ सकते। हमें ही विधियां बनानी होंगी न कि न्यायालयों को। लोकतंत्र का यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि यदि विधान मंडल विधान न बनाये, तो न्यायालय अपने निर्णयों से विधान बनाते हैं। उसका सर्वोत्तम रूप यह है कि एक सुसंगत एकरूप विधान हो। हम उस कार्य को न्यायालयों पर न छोड़ दें। कुछ परिस्थितियों के कारण उनका कार्य और कठिन बना दिया गया है। इसी लिये हम यहां विधान बनाने जा रहे हैं।

मेरे विचार से मैंने स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है। किसी की भावनाओं पर आघात करना यह मेरा उद्देश्य नहीं था किन्तु कुछ लोगों ने मुझे गलत समझा और कहा कि "आपने मनु का निदेश क्यों किया ? आपने यह क्यों कहा कि "संस्कार" और "सैक्रामेन्ट" एक ही चीज़ नहीं हैं?" कुछ गलती हुई है जिसके कारण कि यह सब कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। मैं उस दृष्टिकोण से उसे नहीं देखता। हम सरल दृष्टिकोण से इस पर विचार करें कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के बीच, यह कहां तक वांछित है कि एकरूप विधि बनायी जाय जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि उचित विवाह क्या है और किन दशाओं में विघटित किया जा सकता है इत्यादि। मैं वही करना चाहता हूं जिसका किया जाना वर्तमान दशा में आवश्यक है। वही कांग्रेस सरकार करने का प्रयत्न कर रही है। यह कोई नयी चीज़ नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि समस्त जनता के लिये एकरूप विधि क्यों नहीं बनायी जाती है और संविधान की धारा ४४ में क्या कहा गया है। इसका कारण बहुत सरल है। शब्द 'हिन्दू' की परिभाषा अन्तर्गत हिन्दू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के अनुयायी और मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदियों को छोड़ अन्य सभी लोग आते हैं। इसके लिये कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। क्या आप जानते हैं कि शब्द "हिन्दू" की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? मेरे विचार से सर्वप्रथम किसी फ़ारसी पुस्तक में इसका प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ सिन्धु नदी के पार रहने वाले लोगों से था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने सब को एक साथ कर दिया और वह सब के लिये एक विधि बनाना चाहती थी। अतः वह हिन्दू, सिख और जैनियों के लिये लागू किया गया। अतः हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये जो उसके विरुद्ध हों। उस दृष्टिकोण से हम अधिकतर जनता के लिये उसे लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हमने वास्तव में कोई उपयुक्त विधि संहिता बनायी होती तो नवीन परिस्थितियों में उसका विस्तार कर के उन पर

[श्री पाटस्कर]

लागू करना कठिन न होता । मेरी अपनी कल्पना है कि यह बहुत धीमी प्रगति है । हमने संविधान में वही उद्देश्य रखा है । हम एकरूप विधि बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो ८५ प्रतिशत जनता पर लागू हो । मैं एकरूपता के इस छोटे विधेयक से ही सन्तुष्ट हूं क्यों कि शेष १५ प्रतिशत भी धीरे धीरे एक साथ हो जायेंगे । अतः हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करने जा रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद के ४४ में उल्लिखित निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो ।

जम्मू और काश्मीर के मेरे मित्र के कथन के सम्बन्ध में, मैं उन कठिनाइयों को समझता हूं जो उन्होंने हमारे समक्ष रखी हैं । आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद ३७० के अधीन हम कुछ विषयों के सम्बन्ध में विधान बना सकते हैं । यह उन विषयों में से नहीं है । कुछ प्रविधिक कठिनाइयों के कारण इस विधेयक को उस राज्य तक विस्तृत नहीं किया गया है । मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि कुछ समुदायों द्वारा उत्पात करने के प्रयत्नों के बावजूद अभी हाल में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही हम इसे उस राज्य पर भी लागू कर सकेंगे । वहां भी विधान सभा है और यदि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक को यहां पारित करने के लिये सहमत हो जायं तो मैं यथासम्भव शीघ्र काश्मीर सरकार को लिखूंगा । किन्तु जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय, मैं कुछ नहीं कर सकता । इस समस्या की ओर हमने ध्यान दिया था और हम यथासम्भव शीघ्र अवसर पर, न केवल जनता के एक भाग के हित में वरन् सारे देश के हित में, उसे सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे ।

श्री वी० जी० देशपांडे : केवल एक प्रश्न । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विधेयक में विवाह-विघटन की प्रथाओं को स्वीकार कर ऊंची जाति और नीची जाति के हिन्दुओं में विवाहों के विघटन के लिये कोई एक रूप उपबन्ध नहीं बनाये गये हैं ?

श्री पाटस्कर : जातियों और वर्गों के रूप में मैं कुछ नहीं सोच पाता हूं । यदि गलती से कोई हो भी गई हो, तो हम उसका परीक्षण करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "हिन्दुओं में विवाह सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि कार्य मंत्रणा समिति की उपसमिति ने समय के इस आवंटन की सिफारिश की है जिसे हिन्दु विवाह विधेयक के विभिन्न खंडों के सामने जिस में नये खंड भी सम्मिलित हैं, दिखाया गया है :

खंड	आवंटित समय
खंड २ से ८	४ घंटे
खंड ९ से १२	३ घंटे
खंड १३ से १८	४ घंटे
खंड १९ से २३	१ घंटे
खंड २४ से २८	२ घंटे
खंड २९ से ३०	१ घंटा
कुल	१५ घंटे

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं आशा करता हूं कि इस आवंटन को सम्पूर्ण सभा स्वीकार करती है ।

सभापति महोदय : मैं माने लेता हूं कि सभा ने कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

सभापति महोदय : अतः यह स्वीकृत है ।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार ३ मई, १९५५ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—142 LSD—16-1-56—000